VISIONIAS
INSPIRING INNOVATION

सामाजिक मुद्दे

Classroom Study Material

(May 2021 to January 2022)

DELHI LUCKNOW JAIPUR HYDERABAD PUNE AHMEDABAD CHANDIGARH GUWAHATI

8468022022
9019066066

enquiry@visionias.in /c/VisionIASdelhi /Vision_IAS vision_ias www.visionias.in /VisionIAS_UPSC

सामाजिक मुद्दे (Social Issues)

विषय-सूची

1. महिलाएं और बच्चे (Women and Child) 4

1.1. महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून (Laws Related to Protection of Women) 4

1.1.1. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 {The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021} 4

1.1.2. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 {Surrogacy (Regulation) Act , 2021} 5

1.1.3. सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 {Assisted Reproductive Technology (ART) Regulation Act 2021} 6

1.1.4. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 {Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019} 7

1.2. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा (Domestic Violence Against Women) 8

1.3. प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 {The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Act, 2002} 10

1.4. कृषि कार्यबल के स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture) 11

1.5. सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission for women in Army) 12

1.6. बाल विवाह (Child Marriage) 12

1.7. बाल दत्तक ग्रहण (Child Adoption) 14

1.8. बाल श्रम (Child Labour) 15

1.9. मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021 {The Trafficking in Persons (Prevention, Care and Rehabilitation) Bill, 2021} 16

1.10. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 {Protection of Children From Sexual Offences (POCSO) Act, 2012} 17

1.11. महिलाओं और बच्चों से संबंधित वैश्विक रिपोर्ट (Global Reports Related to Women & Children) 19

1.11.1. यूनिसेफ द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट जारी की गई (State of The World's Children 2021 Report Released by UNICEF) 19

2. अन्य सुभेद्य वर्ग (Other Vulnerable Sections) 20

2.1. दिव्यांगजन (Persons with Disabilities: PwDs) 20

2.2. आंतरिक प्रवास (Internal Migrants) 21

2.3. वृद्धजनों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक, 2021 (Quality of Life for Elderly Index, 2021) 22

2.4. अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security for Informal Workers) 24

2.5. ट्रांसजेंडर के अधिकार (Rights of Transgenders) 25

2.6. हाथ से मैला ढोने की प्रथा (Manual Scavenging) 26

2.7. देशज लोग (Indigenous People) 27

VISION IAS

3. शिक्षा (Education)......29
3.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP)......29
3.2. स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education in Schools)......30
3.3. भारत में उच्चतर शिक्षा (Higher Education in India)......32
4. स्वास्थ्य (Health)......34
4.1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) द्वितीय चरण {National Family Health Survey (NFHS-5) Phase II}......34
4.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान {The National Health Accounts (NHA) Estimates}......35
4.3. यूथेनेशिया (Euthanasia)......35
4.4. भारत में तंबाकू का सेवन (Tobacco Use in India)......37
4.5. भारत में द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल (Secondary Health Care in India)......38
4.6. नशीली दवाओं का सेवन (Drug Abuse)......39
4.7. गेमिंग डिसऑर्डर (Gaming Disorder)......40
4.8. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया'ज मिसिंग मिडिल (Health Insurance for India's Missing Middle)......41
5. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation)......43
5.1. वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2021 {Global Hunger Index (GHI), 2021}......43
5.2. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2021 (State of Food Security and Nutrition in the World 2021)......44
5.3. वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 (Global Nutrition Report 2021)......45
5.4. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Food Crises)......47
5.5. 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2021' रिपोर्ट (Swachh Survekshan 2021 Report)......48
6. विविध (Miscellaneous)......50
6.1. जनसंख्या नियंत्रण नीति (Population Control Policy)......50
6.2. राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index: NMPI)......50
7. परिशिष्ट: नई शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधान (Provisions of National Education Policy, 2020)......52
7.1. विद्यालयी शिक्षा (School Education)......52
7.2. उच्चतर शिक्षा (Higher Education)......54
7.3. अन्य प्रमुख प्रावधान (Other Major Provisions)......56

नोट:

PT 365 (हिंदी) डाक्यूमेंट के अंतर्गत, व्यापक तौर पर विगत 1 वर्ष (365 दिन) की महत्वपूर्ण समसामयिकी को समेकित रूप से कवर किया गया है ताकि प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी में अभ्यर्थियों को सहायता मिल सके।

VISION IAS

अभ्यर्थियों के हित में PT 365 डॉक्यूमेंट को और बेहतर बनाने के लिए इसमें निम्नलिखित नवीन विशेषताओं को शामिल किया गया है:

1. टॉपिक्स के आसान वर्गीकरण और विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को रेखांकित तथा याद करने के लिए इस अध्ययन सामग्री में विभिन्न रंगों का उपयोग किया गया है।
2. अभ्यर्थी ने विषय को कितना बेहतर समझा है, इसके परीक्षण के लिए QR आधारित स्मार्ट क्विज़ को शामिल किया गया है।
3. विषय/ टॉपिक की आसान समझ के लिए इन्फोग्राफिक्स को शामिल किया गया है। यह सीखने और समझने के अनुभव को आसान बनाता है तथा पढ़े गए विषय/कंटेंट को लंबे समय तक याद रखना सुनिश्चित करता है।

QUIZ **SMART QUIZ**	विषय की समझ और अवधारणाओं के स्मरण की अपनी क्षमता के परीक्षण के लिए आप हमारे ओपन टेस्ट ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर स्मार्ट क्विज़ का अभ्यास करने हेतु इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं।	

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

1. महिलाएं और बच्चे (Women and Child)

1.1. महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कानून (Laws Related to Protection of Women)

1.1.1. गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 {The Medical Termination of Pregnancy (Amendment) Act, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र सरकार ने **"गर्भ का चिकित्सकीय समापन (MTP)[1] (संशोधन) नियम, 2021"** को अधिसूचित किया।

गर्भ का चिकित्सकीय समापन (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बारे में

- यह विधेयक **गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971** में उन प्रावधानों में संशोधन करने का प्रयास करता है, जिनके अंतर्गत गर्भ को समाप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही, जिस समयावधि के भीतर गर्भपात कराया जा सकता है, उस समयावधि में वृद्धि करता है (यह अवधि 20 सप्ताह से बढ़ाकर 24 सप्ताह तक कर दी गई है)।
- भ्रूण से संबंधित गंभीर असामान्यता के मामले में 24 सप्ताह के बाद गर्भ की समाप्ति के लिए **राज्य-स्तरीय मेडिकल बोर्ड** का परामर्श लेना आवश्यक होगा।

MTP अधिनियम, 1971 और MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021 के बीच तुलना

विशेषताएं	MTP अधिनियम, 1971	MTP (संशोधन) अधिनियम, 2021
गर्भधारण के बाद से 12 सप्ताह तक का समय	• **एक चिकित्सक** की सलाह	• **एक चिकित्सक** की सलाह
गर्भधारण के पश्चात से 12 से 20 सप्ताह का समय	• **दो चिकित्सकों** की सलाह	• **एक चिकित्सक** की सलाह
गर्भधारण के उपरांत से 20 से 24 सप्ताह का समय	• **अनुमति नहीं**	• कुछ श्रेणियों की गर्भवती महिलाओं के लिए **दो चिकित्सकों की सलाह**
गर्भधारण के बाद से 24 सप्ताह से अधिक का समय	• **अनुमति नहीं**	• बहुत अधिक भ्रूण असामान्यता की स्थिति में चिकित्सा बोर्ड का गठन किया जाता है।
गर्भधारण के दौरान किसी भी समय	• यदि गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो, तो **एक चिकित्सक द्वारा सद्भाव से परिपूर्ण परामर्श देना।**	• यदि गर्भवती महिला का जीवन बचाने के लिए तुरंत आवश्यक हो, तो **एक चिकित्सक द्वारा सद्भाव से परिपूर्ण परामर्श देना।**
गर्भनिरोधक विधि या उपकरण की विफलता के कारण समापन	• **विवाहित महिला द्वारा 20 सप्ताह की अवधि तक** गर्भ का समापन किया जा सकता है।	• यह विधेयक **सभी महिलाओं को** (विवाहित या अविवाहित) को 20 सप्ताह की अवधि तक **गर्भ को समाप्त करने की अनुमति देता है।**
चिकित्सा बोर्ड	• ऐसा कोई प्रावधान नहीं, **केवल पंजीकृत चिकित्सक ही** गर्भ का समापन करने का **निर्णय ले** सकते हैं।	• **केवल चिकित्सा बोर्ड द्वारा ही सुनिश्चित किया जाएगा** कि क्या बहुत अधिक भ्रूण असामान्यताओं के कारण **24 सप्ताह के उपरांत गर्भ का समापन किया जा सकता है।** • सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों की सरकार चिकित्सा बोर्ड का गठन करेगी। इस बोर्ड में स्त्री रोग विशेषज्ञ, बाल रोग विशेषज्ञ, रेडियोलॉजिस्ट/ सोनोलॉजिस्ट और राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य सदस्य शामिल होंगे।
गोपनीयता और दंड	• कोई भी व्यक्ति जो जानबूझकर किसी भी विनियमन की आवश्यकताओं का उल्लंघन करता है या जानबूझकर पालन करने में	• **पंजीकृत चिकित्सक द्वारा** जिस महिला की गर्भावस्था समाप्त कर दी गई है, उसकी जानकारी केवल विधि द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति को ही प्रदान की जा सकती है।

[1] Medical Termination of Pregnanc

	विफल रहता है, तो उस व्यक्ति को **अर्थदंड से दंडित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकता है।**	• उल्लंघन करने पर **एक वर्ष तक का कारावास, अर्थदंड या दोनों** से दंडनीय होगा।

1.1.2. सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 {Surrogacy (Regulation) Act , 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 को अधिसूचित किया।

सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की मुख्य विशेषताएं

- **सरोगेसी को परिभाषित करता है:** सरोगेसी एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसमें एक महिला इस इरादे से एक 'इच्छुक दंपति' के लिए बच्चे को जन्म देती है कि जन्म के बाद वह (महिला) बच्चे को इच्छुक दंपति को सौंप देगी।
- **विनियमन के लिए बनाए गए नए निकाय:**
  - **राष्ट्रीय सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्ड का गठन:** इसका अध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का प्रभारी मंत्री होता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं:
    - सरोगेसी से संबंधित नीतिगत मामलों पर **केंद्र सरकार को सलाह देना**;
    - अधिनियम के कार्यान्वयन की **समीक्षा और निगरानी** करना,
    - सरोगेसी क्लीनिक्स के लिए **आचार संहिता निर्धारित करना;**
    - सरोगेसी क्लीनिक्स के भौतिक बुनियादी ढांचे, प्रयोगशाला और नैदानिक उपकरण एवं विशेषज्ञ समूहों के लिए **न्यूनतम मानकों को निर्धारित करना;**
    - अधिनियम के तहत गठित विभिन्न निकायों के प्रदर्शन की निगरानी करना;
    - राज्य से सहायता प्राप्त प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों के कामकाज की निगरानी करना।
  - प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के स्तर पर **राज्य सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी और सरोगेसी बोर्डों का गठन करना।**
- **सरोगेसी का विनियमन:**
  - यह कानून **वाणिज्यिक सरोगेसी को प्रतिबंधित** करता है, लेकिन **परोपकारी सरोगेसी की अनुमति** देता है।
  - सरोगेसी की अनुमति तब दी जाती है जब यह,
    - उन इच्छुक दम्पति के लिए हो, जो बांझपन से पीड़ित हैं;
    - केवल परोपकारी सरोगेसी उद्देश्यों के लिए हो;
    - वाणिज्यिक उद्देश्य से, वेश्यावृत्ति या शोषण के अन्य रूपों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए नहीं हो, तथा
    - विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी भी स्थिति या बीमारी के लिए हो।
  - **सरोगेसी क्लिनिक्स का पंजीकरण** अनिवार्य कर दिया गया है।
  - केंद्र और राज्य सरकारें अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के खिलाफ कार्रवाई करने एवं मूल्यांकन करने के लिए **एक या अधिक उपयुक्त अधिकारियों** की नियुक्ति कर सकेंगी।
- **सरोगेट माता के लिए पात्रता मानदंड:** निम्नलिखित मापदंड निर्धारित किए गए हैं-

सरोगेसी के प्रकार

- **परोपकारी सरोगेसी (Altruistic surrogacy):** इसमें गर्भावस्था के दौरान चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज के अलावा सरोगेट मां को कोई मौद्रिक मुआवजा नहीं दिया जाता है।
- **व्यावसायिक सरोगेसी (Commercial surrogacy):** इसमें सरोगेसी या उससे संबंधित प्रक्रियाओं में बुनियादी चिकित्सा खर्च और बीमा कवरेज के साथ-साथ **मौद्रिक लाभ या पुरस्कार** (नकद या वस्तु के रूप में) भी शामिल होता है।
  - भारत में इसे **पहली बार वर्ष 2002 में वैध किया गया** था। इसके बाद भारत, विश्व की **"किराये की कोख" का केंद्र** बन गया।
  - हालांकि, इसमें शामिल पक्षों के लिए उचित कानूनों और सुरक्षा उपायों की कमी के कारण, कई नैतिक कानूनी चुनौतियां उत्पन्न हुईं।
- सरकार ने **वर्ष 2015 में विदेशी नागरिकों के लिए सरोगेसी पर प्रतिबंध** लगा दिया।

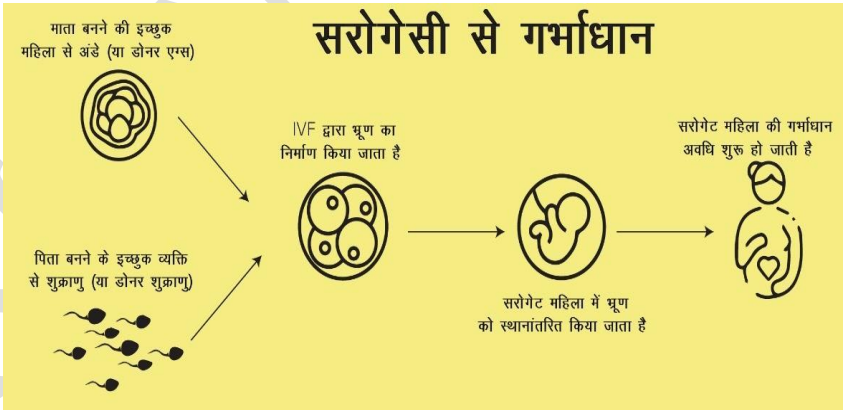

PT 365 - सामाजिक मुद्दे

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

- एक **विवाहित महिला जिसका स्वयं का एक बच्चा हो** और जिसकी आयु 25 से 35 वर्ष है;
- अपने **जीवनकाल में केवल एक बार सरोगेट हो;**
- सरोगेसी के लिए चिकित्सा और मनोवैज्ञानिक उपयुक्तता का प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।

- **दम्पतियों के लिए पात्रता मानदंड:** इच्छुक दम्पति के पास उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा जारी **"आवश्यकता का प्रमाण-पत्र"** और **"पात्रता का प्रमाण-पत्र"**[2] होना चाहिए।

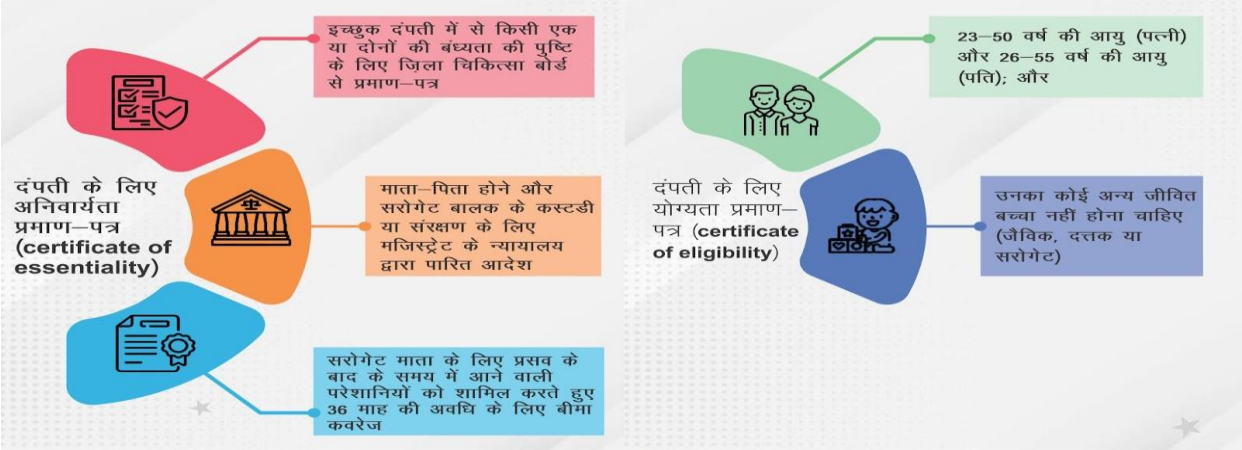

- **अन्य विशेषताएं:**
  - सरोगेसी प्रक्रिया से पैदा हुए **बच्चे को इच्छुक दंपत्ति की जैविक संतान** माना जाएगा।
  - सरोगेट बच्चे के **गर्भपात** के लिए **सरोगेट माता की लिखित सहमति और उपयुक्त प्राधिकारी की अनुमति** की आवश्यकता होती है। यह अनुमति **गर्भपात की चिकित्सकीय समाप्ति अधिनियम, 1971**[3] के अनुरूप होनी चाहिए।
  - **अपराध के लिए दंड और जुर्माना:** 10 वर्ष तक का कारावास और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना।

1.1.3. सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 {Assisted Reproductive Technology (ART) Regulation Act 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्र ने ART विनियमन अधिनियम, 2021 को अधिसूचित किया।

इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (ART) की परिभाषा:** ART में वे सभी तकनीकें शामिल हैं जो मानव शरीर के बाहर शुक्राणु या डिम्बाणुजनकोशिका (अपरिपक्व अंड कोशिका) संचालन करने और किसी स्त्री की जननीय प्रणाली में युग्मक या भ्रूण (gamete or embryo) को स्थानांतरित करके गर्भधारण करवाने का प्रयत्न करती हैं।
- **ART क्लीनिक्स और बैंकों का विनियमन:** प्रत्येक ART क्लिनिक और बैंक को **भारत में बैंकों और क्लीनिक्स की राष्ट्रीय रजिस्ट्री (NRBC)**[4] **के तहत** पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- इसके तहत स्थापित **राष्ट्रीय रजिस्ट्री** देश में सभी ART क्लीनिक्स और बैंकों के विवरण के साथ एक केंद्रीय डेटाबेस के रूप में कार्य करेगी।
- **लिखित सूचित सहमति (Written informed consent):** क्लिनिक निम्नलिखित के बिना कोई उपचार व प्रक्रिया संपन्न नहीं करेगा:
  - सहायक प्रजनन तकनीक चाहने वाले **सभी पक्षों** की लिखित सूचित सहमति;
  - प्रक्रिया में शामिल दंपत्ति या महिला द्वारा डिम्बाणुजनकोशिका दाता (oocyte donor) के पक्ष में बारह महीने की अवधि के लिए निर्धारित राशि का बीमा कवरेज। यह कवरेज बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा मान्यता प्राप्त बीमा कंपनी या एजेंट के माध्यम से होगा।

[2] Certificate of essentiality and certificate of eligibility

[3] Medical Termination of Pregnancy Act, 1971

[4] National Registry of Banks and Clinics

- **प्रत्यारोपण पूर्व आनुवंशिक रोग निदान:** इसका उपयोग मानव भ्रूण की जांच के लिए किया जाएगा। इसमें केवल ज्ञात व पहले से मौजूद आनुवंशिक रोगों की जांच शामिल होगी।
- **लिंग चयन निषिद्ध:** गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अधीन, क्लिनिक किसी भी दंपत्ति या महिला के लिए पूर्व-निर्धारित लिंग परीक्षण उपलब्ध नहीं करवा सकते।
- **ART के माध्यम से जन्मे बच्चों के अधिकार:** ART की सहायता से जन्मे बच्चे को **प्रक्रिया में शामिल दंपत्ति की जैविक संतान** माना जाएगा। साथ ही, ऐसे जन्मे बच्चे को वे सभी अधिकार और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे, जो प्राकृतिक रूप से जन्म लेने वाले बच्चों को प्राप्त होते हैं। दाता (donor) का ऐसे बच्चे पर कोई जनकीय (parental) अधिकार नहीं होगा।
- **अपराध:** ART के माध्यम से पैदा हुए बच्चों को त्यागना या उनका शोषण करना; मानव भ्रूण या युग्मकों को बेचना, खरीदना, व्यापार करना या आयात करना; दाताओं को प्राप्त करने के लिए मध्यवर्तियों का उपयोग करना; प्रक्रिया में शामिल दंपत्ति, महिला या युग्मक दाता का किसी भी रूप में शोषण करना तथा मानव भ्रूण को नर या जानवर में स्थानांतरित करना अपराध है।

सहायता प्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (ART) के बारे में

ART में उपचार की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। **उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:**

- **डिंबोत्सर्जन प्रेरण (Ovulation induction):** इसमें एक हार्मोन दवा (टैबलेट या इंजेक्शन) का लेना शामिल है। यह दवा पुटक-उद्दीपक हॉर्मोन (follicle-stimulating hormone: FSH) के उत्पादन को उत्तेजित करता है। इससे गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है।
- **कृत्रिम गर्भाधान (Artificial insemination):** इसमें गर्भाशय ग्रीवा के माध्यम से और डिंबोत्सर्जन के समय या उससे ठीक पहले एक पुरुष साथी के वीर्य को महिला के गर्भाशय में समाविष्ट किया जाता है।
- **इन-विट्रो निषेचन (In-Vitro Fertilisation: IVF):** अंडे और शुक्राणु के निषेचन को महिला के अंडाशय के बाहर प्रयोगशाला में एक कल्चर डिश में सुविधाजनक संपन्न किया जाता है। परिणामस्वरूप निर्मित भ्रूण को फिर भ्रूण हस्तांतरण नामक प्रक्रिया द्वारा महिला के गर्भाशय में रखा जाता है।
- **प्रत्यारोपण पूर्व आनुवंशिक परीक्षण (Preimplantation genetic testing: PGT):** इसका उपयोग लोगों को एक ज्ञात आनुवंशिक स्थिति से गुजरने के जोखिम को कम करने में मदद करने के लिए किया जाता है। PGT दो प्रकार के होते हैं:
  - **मोनोजेनिक/एकल जीन दोषों के लिए PGT (PGT-M):** ऐसे भ्रूणों की पहचान करना, जो किसी 'दोषपूर्ण' जीन से प्रभावित नहीं हैं, जिससे बीमारी हो सकती है।
  - **गुणसूत्रीय संरचनात्मक पुनर्व्यवस्था के लिए PGT (PGT-SR):** उन भ्रूणों की पहचान करने के लिए जिनमें आनुवंशिक सामग्री की सही मात्रा होती है।

- **दंड:** निर्धारित प्रावधानों का उल्लंघन करने पर, पहले उल्लंघन के लिए **5 से 10 लाख रुपये तक का जुर्माना** आरोपित किया जाएगा। दोबारा उल्लंघन करने पर **3 वर्ष से लेकर 8 वर्ष तक का कारावास और 10 से 20 लाख रुपये तक** का जुर्माना देना होगा।
- **राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड:** सरोगेसी अधिनियम के तहत **राष्ट्रीय (या राज्य) ART और सरोगेसी बोर्ड** गठित किया जाएगा। यह बोर्ड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए **राष्ट्रीय (या राज्य, जैसे भी लागू हो) बोर्ड** होगा।
- **अपराधों का संज्ञान:** कोई भी न्यायालय राष्ट्रीय बोर्ड या राज्य बोर्ड या उसके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई शिकायत के अलावा, इस अधिनियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। इस अधिनियम के तहत सभी अपराध **संज्ञेय और जमानती होंगे।**
- **नियम बनाने की शक्ति:** केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए नियम बना सकती है।
- **अन्य कानूनों का अनुप्रयोग निषिद्ध नहीं है:** इस अधिनियम के प्रावधान **गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 तथा नैदानिक स्थापना (पंजीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010** या वर्तमान में लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के अतिरिक्त होंगे, और उनका अल्पीकरण नहीं करेंगे।

1.1.4. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 {Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, मध्य प्रदेश में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर तीन तलाक का सहारा लिया। उसने दहेज में दो लाख रुपये की मांग को लेकर अपनी पत्नी के साथ विवाह को समाप्त करने हेतु तीन बार तलाक कहा था।

वर्ष 2019 के इस अधिनियम के प्रमुख प्रावधान

- **यह तत्काल तीन तलाक व्यवस्था (तलाक-ए-बिद्दत) को निरर्थक/शून्य एवं गैर-कानूनी घोषित करता है।**

- यह अधिनियम **तत्काल तीन तलाक प्रथा** को **एक दंडनीय अपराध** घोषित कर, इस संबंध में **तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान** करता है।
- इसे (तलाक देने अथवा कहने को) **संज्ञेय अपराध** के रूप में वर्णित किया गया है। यदि विवाहित मुस्लिम महिला (जिसे तलाक दिया गया है) या उसके रक्त या विवाह से संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा पुलिस को अपराध होने के संबंध में सूचना दी जाती है, तो उक्त स्थिति में इसे संज्ञेय अपराध माना जाएगा।
    - ज्ञातव्य है कि संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध होता है जहां पुलिस अधिकारी किसी भी आरोपी व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है।
- यदि दोनों पक्ष कानूनी कार्यवाही को रोकने तथा विवाद को सुलझाने हेतु सहमत हों तो यह अधिनियम **निकाह हलाला** की प्रक्रिया से गुजरे बिना भी **सुलह हेतु अवसर** प्रदान करता है।
- **मजिस्ट्रेट, पत्नी के पक्ष को सुनने के उपरांत पति को जमानत** दे सकता है।
- **भत्ता:** जिस मुस्लिम महिला को तलाक दिया गया है, वह अपने पति से अपने और स्वयं पर निर्भर बच्चों के लिए निर्वाह भत्ता प्राप्त करने हेतु अधिकृत है। भत्ते की राशि **मजिस्ट्रेट** द्वारा निर्धारित की जाएगी।
- **अभिरक्षा (कस्टडी):** जिस मुस्लिम महिला को इस प्रकार का तलाक दिया गया है, वह अवयस्क बच्चों को अपनी अभिरक्षा में रखने के लिए अधिकृत है। अभिरक्षा के तरीकों का निर्धारण **मजिस्ट्रेट** द्वारा किया जाएगा।

तलाक/अलगाव के विभिन्न रूप

- **तत्काल तीन तलाक (तलाक-ए-बिद्दत)** को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। **तलाक-ए-बिद्दत** की प्रथा के तहत जब कोई व्यक्ति एक बार में, फोन या लिखित संदेश या तलाकनामा में उल्लेख के माध्यम से तीन तलाक का उच्चारण करता है, या लिखता है, तो तलाक को तत्काल प्रभावी या अटल (irrevocable) माना जाता है, भले ही वह व्यक्ति बाद में पुन: सुलह करने का इच्छुक हो।
    - ऐसे दंपत्ति के लिए अपने दाम्पत्य जीवन में वापस आने का एकमात्र तरीका **निकाह हलाला** है। इसके उपरांत ही पत्नी अपने पति के संग पुन: जीवनयापन कर सकती है।
- **निकाह हलाला:** इस प्रथा के तहत तलाक की प्रक्रिया से गुजरने वाली मुस्लिम महिला को अन्य पुरुष से निकाह करना होता है और निकाह पूर्ण होने के पश्चात् पूर्व पति से तलाक लेना होता है। केवल तभी वह अपने पूर्व पति से दोबारा शादी करने की पात्र हो सकती है।
- **तलाक-उल-सुन्नत:** इसके अंतर्गत, पति द्वारा तलाक दिए जाने के पश्चात् पत्नी को तीन माह की इद्दत अवधि का पालन करना होता है तथा इस दौरान पति पत्नी के साथ समझौता और सुलह कर सकता है। इस तीन माह की अवधि के दौरान, दंपति के मध्य सहवास की स्थिति में तलाक अमान्य हो जाता है।
    - हालांकि, इद्दत की अवधि समाप्त हो जाने और पति द्वारा तलाक को अस्वीकृत न करने की स्थिति में तलाक अटल और अंतिम होता है।
    - इसे मुस्लिमों में विवाह अनुबंध के विघटन का आदर्श रूप माना जाता है।

1.2. महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा (Domestic Violence Against Women)

सुर्ख़ियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र का दस्तावेज़, **'कोविड-19 महामारी और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं के खिलाफ हिंसा'** इस बात की प्रारंभिक समझ प्रदान करता है कि कोविड-19 महामारी ने एशिया और प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के प्रसार को कैसे प्रभावित किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- कोविड-19 महामारी के दौरान एशिया और प्रशांत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में वृद्धि हुई है।
- महामारी ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दो प्रकारों से बढ़ावा दिया है: **अंतरंग साथी द्वारा हिंसा और डिजिटल हिंसा।** महामारी के कारण **महिलाओं पर अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ भी बढ़ गया है।**
- **कारणों में शामिल हैं:** अपराधियों के संपर्क में वृद्धि (लॉकडाउन, स्कूलों का बंद होना आदि); महामारी का अतिरिक्त तनाव; सहायता, सुरक्षा और कानूनी सेवाओं तक पहुंच में कमी; हिंसा की रिपोर्ट करने का कलंक आदि।

भारत में घरेलू हिंसा

- भारत में घरेलू हिंसा की जड़ें बहुत गहरी और व्यापक रूप से फ़ैली हुई हैं। संविधान का **अनुच्छेद 15(3)** विधायिका को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान के निर्माण की शक्ति प्रदान करता है। इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए **वर्ष 2005 में, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम (PWDVA) पारित** किया गया था।
- PWDVA, **महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय (CEDAW)** के सिद्धांतों को शामिल करता है। इसकी भारत ने वर्ष 1993 में अभिपुष्टि की थी।

PWDVA, 2005 के मुख्य उपबंध

- **घरेलू हिंसा** में शारीरिक, मौखिक, भावनात्मक, आर्थिक या/और लैंगिक शोषण शामिल है।
- यह कानून अपनी परिभाषा में व्यापक है- **"घरेलू संबंध" में विवाहित महिलाएं, माताएं, पुत्रियां और बहनें शामिल हैं।**

- यह कानून **लिव-इन रिलेशनशिप** में रहने वाली महिलाओं के साथ-साथ माता, दादी इत्यादि सहित परिवार की अन्य महिला सदस्यों की भी सुरक्षा करता है।
- **कवरेज:** सभी महिलाएं, इनमें एक साझा घर में रहने वाली माता, बहन, पत्नी, विधवा या पार्टनर शामिल हो सकती हैं। घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत **एक बच्चा भी राहत का हकदार** है। ऐसे बच्चे की माता अपने नाबालिग बच्चे (चाहे लड़का हो या लड़की) की ओर से याचिका दायर कर सकती है।
- **किसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जा सकती है:**
  - कोई भी वयस्क पुरुष सदस्य जो महिला के साथ घरेलू संबंध में रहा है।
  - पति या साथी पुरुष के रिश्तेदार।
  - इसमें पुरुष साथी के पुरुष और महिला रिश्तेदार, दोनों शामिल हैं।
  - पीड़ित को आश्रय या चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए **आश्रय गृह या चिकित्सा सुविधा** का भी प्रावधान किया गया है।
- **यह अधिनियम मौजूदा कानूनों के अतिरिक्त है।**
  - घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अन्य कानूनी कार्यवाहियों में भी राहत मांगी जा सकती है, जैसे- तलाक, भरण-पोषण, आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 498A, आदि के लिए याचिका।
    - असंतुष्ट पीड़िता को **आईपीसी की धारा 498A** के तहत समानांतर **शिकायत दर्ज कराने का भी अधिकार है।**
    - **भारतीय दंड संहिता की धारा 498A:** जो कोई भी, चाहे वह महिला का पति हो या पति का रिश्तेदार, ऐसी महिला के साथ क्रूरता करता है, उसे किसी निर्धारित अवधि के लिए कारावास से दंडित किया जाएगा और उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कारावास की अवधि को तीन वर्षों तक बढ़ाया जा सकता है।

संबंधित तथ्य

वैवाहिक बलात्कार

हाल ही में, केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय (HC) से समय की मांग करते हुए कहा कि वैवाहिक बलात्कार के मुद्दे पर अधिक परामर्श करने की जरूरत है।

वैवाहिक बलात्कार और भारत में वैधानिक स्थिति

- भारतीय दंड संहिता में बिना सहमति से या डरा-धमका कर या छल करके सहमति प्राप्त कर या असंतुलित मानसिक स्थिति में, नशे की स्थिति आदि में लैंगिक संबंध स्थापित करने को बलात्कार के रूप में परिभाषित किया गया है।
  - अविवाहितों के संबंध में उनके बीच इस तरह का लैंगिक संबंध या बलात्कार गैर-कानूनी है। किन्तु कई देशों में, वैवाहिक बलात्कार अर्थात् अपनी स्वयं की पत्नी के साथ बिना सहमति के लैंगिक संबंध बनाने को बलात्कार की परिभाषा में शामिल नहीं किया गया है।
  - **भारत** उन 36 देशों में से एक है जहां **वैवाहिक बलात्कार कानूनी अपराध नहीं है।**
  - भारत में भी, **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 375** में कहा गया है कि एक पुरुष द्वारा बलपूर्वक अपनी पत्नी से लैंगिक संबंध बनाना बलात्कार नहीं है, जब तक कि पत्नी की आयु 15 वर्ष से कम न हो। वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह आयु सीमा 18 वर्ष कर दी थी।
    - IPC की धारा 376-A के तहत न्यायिक रूप से अलग रह रही पत्नी के साथ बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
  - इसके अतिरिक्त, **विवाह विच्छेद अधिनियम, 1869** (ईसाई धर्म से संबद्ध व्यक्ति के तलाक से संबंधित), **विशिष्ट विवाह अधिनियम (SMA), 1954 और हिन्दू विवाह अधिनियम (HMA), 1955** आदि के तहत पति या पत्नी दोनों के पास **'दांपत्य जीवन की पुनर्बहाली' का अधिकार' है।**

हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने दहेज हत्या के आधारों को स्पष्ट किया

- **दहेज हत्या** की व्याख्या करते हुए, उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि वैवाहिक घर में मृत्यु से पहले वधु को **मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार से प्रताड़ित किया** जाता है, तो उक्त मामले को दहेज मृत्यु के रूप में माना जा सकता है।
- **दहेज हत्या के बारे में**
  - दहेज मृत्यु (कानून में हत्या शब्द प्रयोग नहीं किया गया है) को **भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304B** में परिभाषित किया गया है। दहेज़ मृत्यु के मामले में इस धारा को **भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B (दहेज मृत्यु के बारे में उपधारणा)** के साथ पढ़ा जाता है।
  - उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय के अनुसार, **उसकी मृत्यु से ठीक पहले** का अर्थ है कि मृत्यु का समय निकट होने के दौरान **अभियुक्त द्वारा की गई क्रूरता** को सिद्ध करना होगा।
    - साथ ही, यह क्रूरता अभियुक्त की ओर से **निरंतर रूप से की जानी** चाहिए, जिससे पीड़िता का जीवन दयनीय हो जाए, जो अंततः उसे आत्महत्या करने के लिए विवश कर दे।
- **भारत में दहेज मृत्यु के बारे में**
  - **डाउरी (Dowry),** जिसे **दहेज** (उत्तर भारत) **या स्त्रीधनम** (दक्षिण भारत) के रूप में भी जाना जाता है, **को 1961 के दहेज प्रतिषेध अधिनियम** द्वारा परिभाषित किया गया है-

- विवाह के संबंध में एक पक्ष/माता-पिता द्वारा दूसरे पक्ष को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दी गई या देने के लिए सहमत कोई संपत्ति या मूल्यवान प्रतिभूति दहेज कहलाएगी।

- दहेज़ हत्या दीर्घकाल से चली आ रही एक व्यापक **सामाजिक बुराई है।** इसे भारतीय दंड संहिता में वर्ष 1986 में एक नए अपराध के रूप में जोड़ा गया था।
- दहेज हत्या के अतिरिक्त, **क्रूरता** (किसी महिला का उत्पीड़न या यातना) और **घरेलू हिंसा** अन्य सामान्य प्रकार के दहेज संबंधी अपराध हैं।

1.3. प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 {The Pre-Natal Diagnostic Techniques (Regulation and Prevention of Misuse) Amendment Act, 2002}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, हरियाणा के कुरुक्षेत्र के एक निजी अस्पताल में प्रसव पूर्व निदान तकनीक (Pre-Natal Diagnostic Techniques: PNDT) रैकेट को उजागर किया गया।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (PCPNDT) अधिनियम, 1994 के बारे में

- इस अधिनियम का उद्देश्य **भ्रूण के लिंग के निर्धारण के लिए प्रसव पूर्व निदान तकनीकों को प्रतिबंधित करना है। इन तकनीकों के परिणामस्वरूप कन्या भ्रूण हत्या होती है।**
- PCPNDT अधिनियम, 1994 को **वर्ष 2003 में संशोधित** किया गया था। इसे **प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002** कहा जाता है।
- **अधिनियम के मुख्य बिंदु**
  - निम्नलिखित में से किसी भी असामान्यता का पता लगाने के उद्देश्यों के अलावा **प्रसव पूर्व निदान तकनीक का संचालन नहीं किया जाएगा:**
    - गुणसूत्र संबंधी असामान्यताएं।
    - आनुवंशिक चयापचय रोग।
    - हीमोग्लोबिनोपैथी।
    - लिंग-संबंधी आनुवंशिक रोग।
    - जन्मजात विसंगतियां।
    - कोई अन्य असामान्यताएं या रोग, जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट किए जा सकते हैं।
  - **किसी भी प्रसवपूर्व निदान तकनीक का उपयोग या परिचालन तभी किया जाएगा, जब ऐसा करने के लिए योग्य व्यक्ति का उन कारणों से (जो लेखबद्ध किए जाएंगे) यह समाधान हो जाता है कि निम्नलिखित किसी शर्त की पूर्ती हो गई है:**
    - गर्भवती महिला की **आयु पैंतीस वर्ष** से ऊपर है।
    - गर्भवती महिला की **दो या अधिक स्वतः गर्भपात** या भ्रूण की हानि हुई है।
    - गर्भवती **महिला विभव विरूपजनकों,** जैसे कि औषधियों, विकिरण, संक्रमण या रसायनों से प्रभावित हुई है।
    - गर्भवती महिला या उसके पति के परिवार में **मानसिक मंदता या शारीरिक विकृतियों का इतिहास रहा हो,** जैसे- स्पास्टिसिटी या कोई अन्य आनुवंशिक बीमारी।
    - **कोई अन्य शर्त** जो केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती है।
  - केंद्र सरकार परिवार कल्याण मंत्रालय या विभाग के प्रभारी मंत्री की **अध्यक्षता** में **केंद्रीय पर्यवेक्षण बोर्ड** के रूप में ज्ञात एक बोर्ड का गठन करेगी। **बोर्ड निम्नलिखित कार्य करेगा:**
    - प्रसव पूर्व निदान तकनीकों, लिंग चयन तकनीकों के उपयोग और उनके दुरुपयोग के खिलाफ **नीतिगत मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह प्रदान करेगा।**
    - **अधिनियम** और उसके अंतर्गत बनाए गए **नियमों के कार्यान्वयन की समीक्षा और निगरानी करेगा।** इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार को उक्त अधिनियम और नियमों में बदलाव की सिफारिश भी करेगा।
    - गर्भधारण पूर्व लिंग चयन और कन्या भ्रूण हत्या की ओर ले जाने वाली जन्मपूर्व भ्रूण लिंग निर्धारण प्रथा के खिलाफ **जन जागरूकता सृजित करेगा।**
    - आनुवंशिक परामर्श केंद्रों, आनुवंशिक प्रयोगशालाओं और आनुवंशिक क्लीनिकों में कार्यरत **व्यक्तियों द्वारा पालन की जाने वाली आचार संहिता निर्धारित** करेगा।

VISION IAS

- **अधिनियम के तहत गठित विभिन्न निकायों के प्रदर्शन की निगरानी करेगा** और इसके उचित एवं प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाएगा।
- **कोई अन्य कार्य** जो अधिनियम के तहत निर्धारित किए जा सकते हैं।

- इसी प्रकार, विधानमंडल वाले प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में एक बोर्ड का गठन किया जाएगा। इसे **राज्य पर्यवेक्षण बोर्ड या केंद्र शासित प्रदेश पर्यवेक्षण बोर्ड** के रूप में जाना जाएगा।
- इस कानून के तहत, ऐसे **सभी केंद्र** जिनमें संभावित रूप से भ्रूण का पूर्वनिर्धारण या प्रसव पूर्व के लिंग का पता लगाने में सक्षम उपकरण मौजूद हैं, उन्हें **उपयुक्त प्राधिकरणों में पंजीकरण करवाना** होगा।
- यह लिंग का पता लगाने या निर्धारण के लिए ऐसी तकनीकों के संबंध में **विज्ञापनों को प्रतिबंधित** करता है।
- अधिनियम और नियम **उचित रिकार्ड्स के रखरखाव एवं संरक्षण** से विस्तृत रूप से संबंधित हैं।
- अधिनियम **लिंग निर्धारण या रिकार्ड्स के गैर-रखरखाव में शामिल** सभी दोषों के लिए दंड (मौद्रिक और कारावास) का प्रावधान करता है।
  - **अपवाद:** वह महिला जिसका इस तरह की नैदानिक तकनीकों या इस तरह के चयन से गुजरना अपरिहार्य हो।
- **उपयुक्त प्राधिकारियों** को कानून के उल्लंघनकर्ताओं की मशीनों, उपकरणों और रिकॉर्ड की तलाशी, जब्ती और सील करने, जन-जागरूकता सृजित करने आदि **हेतु दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं।**

1.4. कृषि कार्यबल के स्त्रीकरण (Feminization of Agriculture)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (PLFS)[5] (2019-2020) के आंकड़े कृषि में महिला श्रम बल की भागीदारी दर में वृद्धि दर्शाते हैं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **कृषि में संलग्न कामगारों की संख्या में** 42.5 प्रतिशत (2018-19) से **45.6 प्रतिशत** (वर्ष 2019-20) तक की वृद्धि हुई है।
- कार्यबल में लगभग **संपूर्ण वृद्धि कृषि द्वारा समायोजित की गई थी।** इसलिए कृषि ऐसे सिंक का कार्य करती आ रही है अर्थात् ऐसे कार्यबल को अवशोषित कर लेती है, जिन्हें कहीं और पारिश्रमिक देने वाला रोजगार नहीं मिल पाता है।
- **महिला श्रम बल भागीदारी दर** (LFPR)[6] **में तेजी से वृद्धि** हुई है और यह 5.5 प्रतिशत अंक (2018-19 से) तक बढ़ गई है। इसमें हुई अधिकतर वृद्धि **ग्रामीण महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर** (LFPR) **बढ़ने से प्रेरित हुई है।**

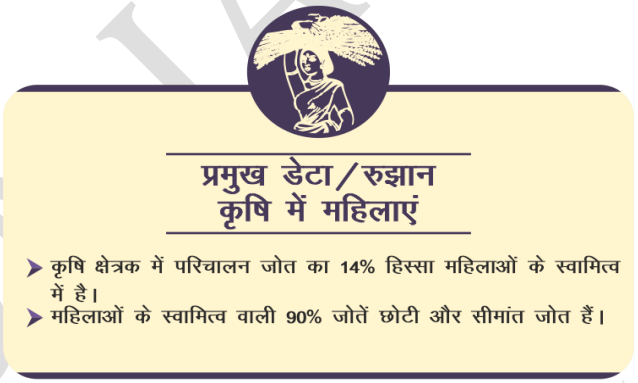

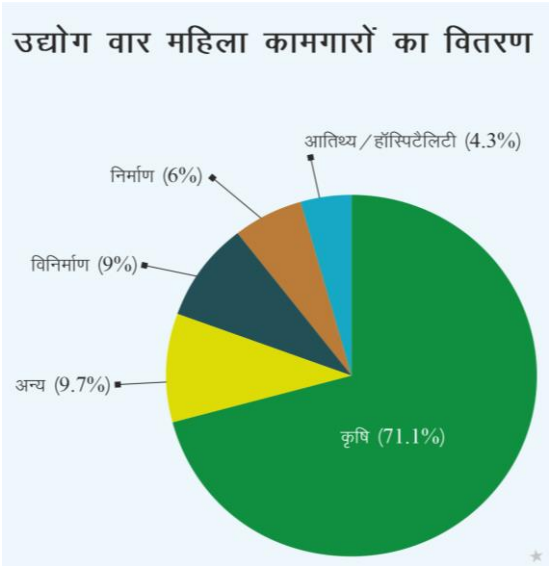

- महिलाओं, विशेष रूप से कृषि-श्रमिकों के रूप में कार्य करने वाली महिलाओं की बढ़ती भागीदारी की इस परिघटना को **भारतीय कृषि कार्यबल के स्त्रीकरण** की प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है।
  - रोजगार के संबंध में, इस शब्द का प्रयोग किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग के स्त्रीकरण को दर्शाने के लिए किया जा सकता है, जहां **महिलाओं की भागीदारी सामान्य रूप से कहीं अधिक है।** उदाहरण के लिए, सेवा उद्योग, कृषि या परिधान उद्योग।

कृषि में स्त्रीकरण को प्रेरित करने वाले कारक

- **कृषि संकट के कारण पुरुषों का प्रवासन।**
- **सामाजिक मानदंडों के कारण महिलाओं की गतिशीलता कम होती है।**

[5] Periodic Labour Force Survey

[6] Labour Force Participation Rate

- **श्रम प्रधान कार्यों के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।**
- **महिलाओं को काम पर रखने से कम उत्पादन लागत सुनिश्चित होती है:** महिलाएं कई बार कम वेतन वाले अनियमित कार्य स्वीकार कर लेती हैं। उन्हें काम पर रखना और हटाना आसान होता है।

1.5. सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन (Permanent Commission for women in Army)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रक्षा मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि फरवरी 2020 में उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद 577 महिला अधिकारियों को भारतीय सेना में स्थायी कमीशन दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

▶ रक्षा क्षेत्र में लिंगानुपातः
वर्तमान में महिलाएं अभी भी सेना के एक **छोटे से हिस्से में शामिल** हैं। **थल सेना में 0.56%, वायु सेना में 1.08% और नौसेना में 6.5%**

पृष्ठभूमि

- स्थायी कमीशन का आशय, **'सेवानिवृत्त होने तक सेना में करियर'** से है। स्थायी कमीशन के लिए **राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या भारतीय सैन्य अकादमी** में भर्ती होना पड़ता है।
- सेना अधिनियम, 1950 की धारा 12, महिलाओं को सेना में रोजगार या नामांकन के लिए अपात्र बनाती है, जब तक कि केंद्र सरकार एक आधिकारिक राजपत्र के माध्यम से उन्हें अनुमति नहीं देती।
- जनवरी 1992 में, केंद्र सरकार ने उन क्षेत्रों की एक सूची प्रदान की थी जहां महिला अधिकारियों को नियोजित किया जा सकता है। ये थे:
  - सेना डाक सेवा
  - न्यायाधीश महाधिवक्ता विभाग;
  - सेना शिक्षा कोर;
  - सेना आयुध कोर (केंद्रीय गोला बारूद डिपो और सामग्री प्रबंधन);
  - सेना सेवा कोर (खाद्य वैज्ञानिक और खानपान अधिकारी)
  - सिग्नल कोर;
  - इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग;
  - इंजीनियर्स;
  - इंटेलिजेंस कोर; तथा
  - तोपखाना रेजिमेंट।
- **यह शुरुआत भी शार्ट सर्विस कमीशन (SSC) पर ही थी।**
  - स्थायी कमीशन का अर्थ सेना में सेवानिवृत्ति तक का सेवाकाल है, जबकि शॉर्ट सर्विस कमीशन कुल 14 वर्षों के लिए होता है। इसमें शुरुआती अवधि 10 वर्ष की होती है, जिसे अधिकारी के मूल्यांकन के बाद आगे और 4 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाता है।
- फरवरी 2020 में, उच्चतम न्यायालय **(बबीता पुनिया केस)** ने निर्देश दिया था कि **सेना में महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दिया जाए। महिलाओं की शारीरिक सीमाओं के बारे में सरकार के तर्कों को अस्वीकार करते हुए SC ने यह** कहा कि ये तर्क लिंग आधारित रूढ़ियाँ (sex stereotypes) और महिलाओं के विरुद्ध लैंगिक भेदभाव पर आधारित हैं।
  - न्यायालय ने निर्णय दिया था कि SSC के तहत 14 वर्ष या 20 वर्ष तक कार्य करने वाली प्रत्येक महिला अधिकारी को कमांड पोस्टिंग सहित सेना में स्थायी कमीशन देने पर विचार किया जाना चाहिए।
- महिला अधिकारी अभी भी **पैदल सेना, तोपखाने और बख्तरबंद वाहिनी में सेवा नहीं दे सकती हैं।** इन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने वाले सबसे अग्रिम स्थानों पर तैनात लड़ाकू दल में भी शामिल नहीं किया जा सकता है।
- भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना ने पहले ही महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन दे दिया था।

1.6. बाल विवाह (Child Marriage)

सुर्ख़ियों में क्यों?

ओडिशा सरकार ने राज्य को वर्ष 2030 तक बाल विवाह मुक्त बनाने के लिए एक योजना आरंभ की है।

VISION IAS

अन्य संबंधित तथ्य

- ओडिशा सरकार ने **राज्य रणनीतिक कार्य योजना' (SSAP)[7] के अनुसार 'बाल विवाह की कुरीति को समाप्त करने और किशोरियों के सशक्तीकरण पर अभिसारी कार्य बिंदुओं' पर विचार करने हेतु पांच विभागों** को जिम्मेदारी दी है। राज्य सरकार ने **बाल विवाह की कुरीति समाप्त करने** के लिए वर्ष 2019 में पांच वर्षीय 'राज्य रणनीति कार्य योजना' आरंभ की थी।
- इन विभागों में विद्यालय और जन शिक्षा, कौशल विकास एवं तकनीकी शिक्षा, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति विकास, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण, उच्चतर शिक्षा तथा कानून विभाग शामिल हैं।

बाल विवाह के बारे में

- बाल विवाह एक ऐसा **औपचारिक विवाह या अनौपचारिक बंधन है, जिसे कोई व्यक्ति कानून द्वारा निर्धारित आयु से पहले संपन्न करता है।**

- बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम[8], 2006 के अनुसार, **पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है।**
- बाल विवाह की समस्या **देश भर में व्यापक पैमाने** पर फैली हुई है। हालांकि, यह **उत्तरी, पूर्वी और पश्चिमी भारत में बहुत सामान्य है।** उदाहरण के लिए झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश एवं अन्य राज्यों में।

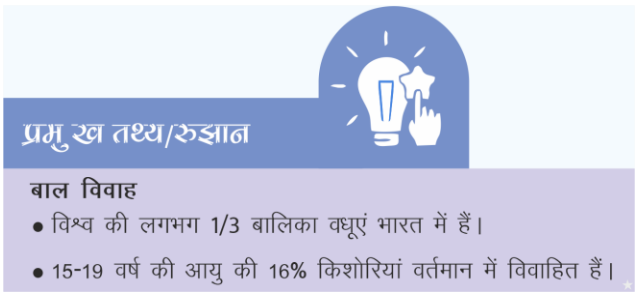

[7] State Strategy Action Plan

[8] Prohibition of Child Marriage Act

© Vision IAS

1.7. बाल दत्तक ग्रहण (Child Adoption)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, संसद ने "किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2021 को अधिसूचित किया है।

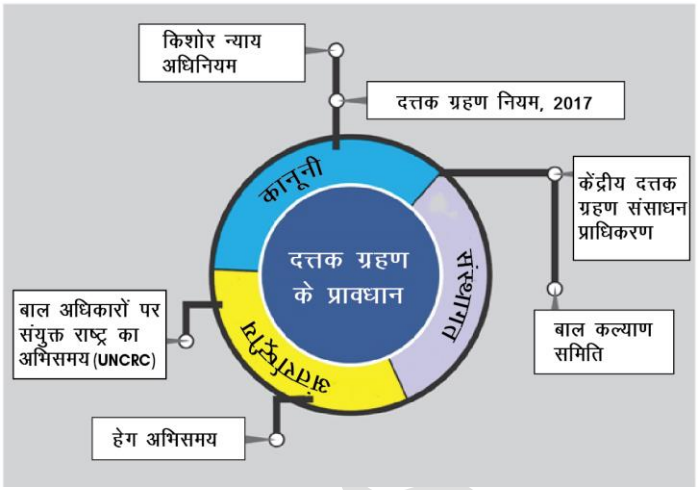

अन्य संबंधित तथ्य

- यह अधिनियम **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 में संशोधन** करता है। इस संशोधन का प्रयोजन किशोर न्याय अधिनियम, 2015 के तहत बाल संरक्षण व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।
- यह **बालकों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय[9], किशोर न्याय प्रशासन के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियम (बीजिंग नियम)** और **हेग कन्वेंशन (1993)** के अनुरूप है।
- **प्रमुख विशेषताएँ:**
  - **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** के अनुसार न्यायालयों की बजाय, जिला मजिस्ट्रेट अब प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए **देश के भीतर और देश के बाहर दत्तक ग्रहण (intra-country and inter-country adoptions)** के लिए आदेश जारी कर सकते हैं।
  - यह अधिनियम **'बाल कल्याण समितियों' (CWCs) के सदस्यों की नियुक्ति के लिए पात्रता मानकों** को परिभाषित करता है।
  - **गंभीर अपराधों को फिर से परिभाषित करना:** गंभीर अपराधों में वे अपराध शामिल हैं, जिनके लिए भारतीय दंड संहिता या उस समय लागू किसी अन्य कानून के तहत दंड का प्रावधान है।
    - न्यूनतम कारावास तीन वर्ष से अधिक और सात वर्ष से कम; या
    - सात वर्ष से अधिक की अवधि के लिए अधिकतम कारावास, लेकिन कोई न्यूनतम कारावास या सात वर्ष से कम का कारावास नहीं है।
    - यह अधिनियम **शिल्पा मित्तल बनाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली शासन वाद में** न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय से सुसंगत है। इस वाद में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रकार के अपराधों को **जघन्य की बजाय गंभीर** अपराध माना है।
  - इस अधिनियम के तहत इस तरह के **सभी बाल अपराधों की सुनवाई बाल न्यायालयों** में की जाएगी।

क्या आप जानते हैं?

किशोर न्याय के प्रशासन के लिए यू. एन. स्टैण्डर्ड मिनिमम रूल्स (बीजिंग रूल्स): ये नियम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि **किशोर न्याय प्रणाली किशोर की भलाई पर जोर देगी।** साथ ही, इन नियमों में यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि किशोर अपराधियों के प्रति कोई भी प्रतिक्रिया हमेशा अपराधियों और अपराध दोनों की परिस्थितियों के अनुपात में होगी।

भारत में दत्तक ग्रहण से संबंधित प्रावधान

- जब बच्चा परिवार के बिना होता है, तो राज्य उसका संरक्षक बन जाता है। यदि दत्तक ग्रहण में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया जाता है, तो सरकार बच्चे को अपनी अभिरक्षा (कस्टडी) में ले सकती है।
  - **विधिक ढांचा:**
    - **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015 {Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015}:** यह देश में दत्तक ग्रहण की संपूर्ण प्रक्रिया को शासित करता है। यह अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियाओं के बाहर बच्चे को गोद देने या गोद लेने और साथ-साथ उनकी बिक्री एवं खरीद को भी प्रतिबंधित करता है। इस प्रकार का कृत्य एक दंडनीय अपराध है, जिसमें **तीन से पांच वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपये तक का जुर्माना** हो सकता है।

[9] UN Convention on Rights of the Child

- **दत्तक ग्रहण विनियम, 2017 (Adoption Regulations, 2017):** यह विनियमन परिवार के भीतर दत्तक ग्रहण की आवश्यकता, दत्तक ग्रहण उपरांत समर्थन, बाल-केंद्रित प्रावधानों, न्यायालय के लिए दत्तक ग्रहण के मामलों के निस्तारण की समय-सीमा, वरीयता सूची का समेकन तथा 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के मूल स्थान की खोज करने की सुविधा आदि से संबंधित है।

- **संस्थाएं:**
  - **केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण (Central Adoption Resource Authority: CARA):** यह MoWCD के अधीन **एक वैधानिक निकाय** (किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत) है। यह मुख्य रूप से अपनी संबद्ध/मान्यता प्राप्त दत्तक ग्रहण एजेंसियों के माध्यम से अनाथ, परित्यक्त और अध्यर्पित किए जाने वाले बच्चों के दत्तक ग्रहण {अंतर्देशीय (inter-country) दत्तक ग्रहण सहित} से संबंधित है।
  - **जिला बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee: CWC):** यह **किशोर न्याय अधिनियम** के अंतर्गत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के संबंध में शक्तियों का प्रयोग करने व कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अंतिम प्राधिकरण है। CWC को देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले **बच्चों की आवासीय सुविधाओं का प्रति माह कम से कम दो बार निरीक्षण दौरा करना अनिवार्य है।** साथ ही, इसे किसी भी प्रकार के सुधार के लिए जिला बाल संरक्षण इकाई और राज्य सरकार को अनुशंसा करने का भी अधिकार है।
- **अंतर्राष्ट्रीय समझौते:**
  - **बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UN Convention on the Rights of the Child: UNCRC), 1992:** यह बालक के सर्वोत्तम हित को संरक्षित करने के लिए सभी पक्षकार देशों द्वारा पालन किए जाने वाले मानकों को निर्धारित करता है। यह न्यायिक कार्रवाई का आश्रय लिए बिना बाल पीड़ितों के समाज में समेकन पर बल देता है।
  - **अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण पर हेग अभिसमय, 1993** अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के लिए न्यूनतम मानक स्थापित करता है।
- **दत्तक ग्रहण (संशोधन) विनियम, 2021:** इसका उद्देश्य **हिंदू दत्तक ग्रहण और भरण-पोषण अधिनियम (HAMA), 1956** के तहत अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण को आसान बनाना है। ये विनियमन यह सुनिश्चित करेंगे कि **केन्द्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण** संभावित माता-पिता को हिन्दू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम के तहत अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र[10] बिना किसी विलंब के प्रदान करे। इससे बच्चे को विदेश ले जाया जा सकता है।
  - अंतर्देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में हेग दत्तक ग्रहण अभिसमय के बाहर के देशों के मामलों में, एजेंसी द्वारा अंतिम समर्थन पत्र जारी करने के लिए CARA द्वारा प्राप्तकर्ता देश के संबंधित सरकारी विभाग से गोद लेने को स्वीकार करने वाला एक पत्र मांगा जाएगा।
  - इस विनियमन से पहले, HAMA के तहत अंतर-देशीय दत्तक ग्रहण के संबंध में CARA के लिए कोई नियम नहीं थे, जिसमें **हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन शामिल हैं** और NOC केवल एक अदालत द्वारा जारी किया जाता था।

1.8. बाल श्रम (Child Labour)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)** और **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF)** ने **"बाल श्रम: वैश्विक अनुमान 2020, प्रवृत्तियां और आगे की राह"** शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष **12 जून** को मनाए जाने वाले **विश्व बालश्रम निषेध दिवस**[11] के अवसर पर जारी की गई थी।

प्रमुख तथ्य/रुझान

- विश्व स्तर पर 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में संलिप्त हैं।
  - बाल श्रम में संलिप्त बच्चों की सर्वाधिक संख्या उप–सहारा अफ्रीका में है।
  - ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग तीन गुना अधिक है।
  - बाल श्रम के कुल 72 प्रतिशत मामले, पारिवारिक श्रम से जुड़े होते हैं, जहां बालक मुख्यतः अपने पारिवारिक खेतों या पारिवारिक सूक्ष्म उद्यमों में कार्य करते हैं।
- कोविड–19 महामारी के कारण वर्ष 2022 के अंत तक वैश्विक स्तर पर 9 मिलियन अतिरिक्त बच्चों के बाल श्रम से ग्रसित होने का खतरा है।

[10] No-objection certificate

[11] World Day Against Child Labour

बाल श्रम क्या है?

- ILO के अनुसार, **"बाल श्रम" को अधिकांशतः ऐसे कार्य (या श्रम) के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो बच्चों को उनके बचपन या बाल्यावस्था, क्षमता और गरिमा से वंचित करता है तथा उनके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए हानिकारक होता है।** यह ऐसे कार्य को संदर्भित करता है जो:
  - बच्चों के लिए **मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से खतरनाक और हानिकारक होते हैं।**
  - उन्हें स्कूल जाने के अवसर से वंचित करके **उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है,** उन्हें समय से पूर्व स्कूल छोड़ने के लिए बाध्य करता है या उनके लिए अत्यधिक अतिरिक्त बाह्य कार्य के संयोजन के साथ स्कूल में उपस्थिति होने हेतु विवश करता है।

- **बाल श्रम के निकृष्टतम रूपों में दासता के सभी रूप शामिल हैं।** उदाहरणार्थ, बच्चों की बिक्री और तस्करी, ऋण बंधक, बलात श्रम, सशस्त्र संघर्ष में बच्चों का उपयोग, अश्लील या अन्य अवैध या खतरनाक कार्यों में संलिप्त करना, जो बच्चों के स्वास्थ्य, नैतिकता या मनोवैज्ञानिक कुशलक्षेम के समक्ष जोखिम उत्पन्न करता है आदि।
- जनगणना (वर्ष 2011) के अनुसार, 5-14 वर्ष के आयु वर्ग में 10.1 मिलियन कार्यशील बच्चें (वर्किंग चिल्ड्रेन) हैं।
  - भारत में कुल कार्यशील बच्चों में से लगभग 55 प्रतिशत **उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश** जैसे राज्यों में नियोजित हैं।

बाल श्रम उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

- **गुरुपदस्वामी समिति, 1979:** इसका गठन **बाल श्रम के मुद्दे का अध्ययन करने** के लिए किया गया था। इसने कामकाजी बच्चों की समस्याओं से निपटने में **बहु-नीतिगत दृष्टिकोण अपनाने की अनुशंसा** की थी।
- भारत द्वारा **बाल श्रम के सर्वाधिक विकृत स्वरूपों पर अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के कन्वेंशन 182 और नियोजन की न्यूनतम आयु पर कन्वेंशन 138** की अभिपुष्टि की गई है।
- **बाल श्रम (प्रतिषेध और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2016 {Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act, 2016}:** यह अधिनियम **सभी व्यवसायों में बालकों और खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में किशोरों** की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। इसमें **'किशोरों'** के रूप में 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति और **'बालकों'** के रूप में 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को संदर्भित किया गया है।

1.9. मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021 {The Trafficking in Persons (Prevention, Care and Rehabilitation) Bill, 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

महिला और बाल विकास मंत्रालय ने सभी हितधारकों से "मानव तस्करी (निवारण, संरक्षण और पुनर्वास) विधेयक, 2021" (TIP विधेयक) के प्रारूप पर टिप्पणी/सुझाव आमंत्रित किए हैं।

मानव तस्करी के बारे में

- मानव तस्करी **मनुष्यों का व्यापार** (अवैध रूप से) है। यह सामान्यतया तस्करों या अन्यों हेतु बलात श्रम, यौन दासता और वाणिज्यिक लैंगिक उत्पीड़न के उद्देश्य से किया जाता है।

- लोगों की कई प्रकार के साधनों के माध्यम से तस्करी की जाती है, **उदाहरणार्थ,** तस्करों द्वारा **उन पर शारीरिक बल** का उपयोग किया जाता है या फिर उनसे **मिथ्या वायदे** किए जाते हैं।
- वर्तमान में, तस्करी संबंधी अपराध **दंड विधि संशोधन अधिनियम, 2013**[12] के अंतर्गत आते हैं। वाणिज्यिक लैंगिक उत्पीड़न के प्रयोजन से की जाने वाली तस्करी, **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956**[13] के अंतर्गत आती है।

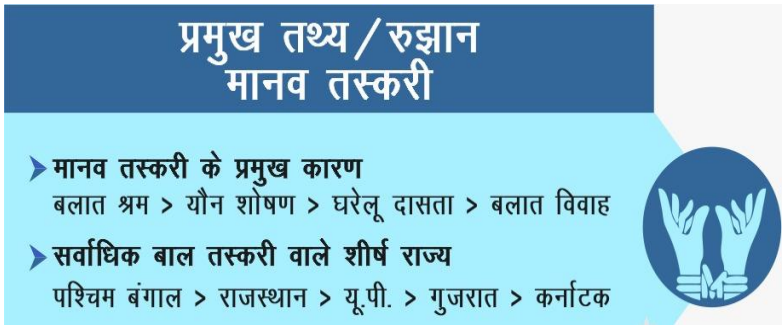

- इन प्रावधानों के उपरांत भी, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के आंकड़ों से **तस्करी के मामलों में वृद्धि की प्रवृत्ति** दृष्टिगत होती है। उदाहरण के लिए वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2019 में इसमें 14.3% की वृद्धि हुई थी।

उठाए गए कदम

- **उज्ज्वला योजना:** यह एक व्यापक योजना है, जिसे तस्करी से निपटने के लिए वर्ष 2007 में आरंभ किया गया था। इसमें, वाणिज्यिक लैंगिक उत्पीड़न के लिए तस्करी की गई पीड़िताओं की **रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, समाज में पुन: समेकन और देश-प्रत्यावर्तन** का प्रावधान किया गया है। इसे मुख्य रूप से गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- **मानव तस्करी रोधी इकाइयां:** गृह मंत्रालय (MHA) ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से मानव तस्करी के विरुद्ध भारत में कानून प्रवर्तन की अनुक्रिया को सुदृढ़ बनाने की व्यापक योजना के अंतर्गत देश के 270 जिलों में मानव तस्करी रोधी इकाइयों की स्थापना हेतु धनराशि जारी की है।
  - **तस्करी रोधी प्रकोष्ठ (Anti-Trafficking Cell: ATC):** वर्ष 2006 में गृह मंत्रालय के अधीन तस्करी रोधी नोडल प्रकोष्ठ का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य, मानव तस्करी के अपराध से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और उनके द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाइयों के बारे में संचार के मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करना था। गृह मंत्रालय समय-समय पर, सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में मनोनीत मानव तस्करी रोधी इकाइयों के नोडल अधिकारियों के साथ समन्वय बैठक करता है।
- **कानूनी उपाय:**
  - **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012**[14] के अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के बालकों के विरुद्ध होने वाले लैंगिक अपराधों की रोकथाम हेतु उपाय किए गए हैं।
  - **दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2013** की धारा 370 और 370A के अंतर्गत मानव तस्करी की समस्या से निपटने के लिए व्यापक उपाय किए गए हैं।
- **न्यायिक सेमिनार:** ट्रायल कोर्ट के न्यायिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और संवेदनशील बनाने के लिए, मानव तस्करी पर न्यायिक सेमिनार उच्च न्यायालय स्तर पर आयोजित किया जाता है।
- **अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग:** भारत ने पारराष्ट्रीय संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNTOC) के मानव तस्करी की रोकथाम, दमन और दंड से संबंधित प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं।

1.10. लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 {Protection of Children From Sexual Offences (POCSO) Act, 2012}

सुर्ख़ियों में क्यों?

उच्चतम न्यायालय ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णय को रद्द कर दिया है। इसके अंतर्गत उच्च न्यायालय ने **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012** (पॉक्सो कानून) के तहत एक व्यक्ति को आरोपों से मुक्त कर दिया था। बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अपने

[12] Criminal Law Amendment Act, 2013

[13] Immoral Trafficking (Prevention Act of 1956)

[14] The POCSO (Protection of Children from Sexual Offences) Act 2012

निर्णय में कहा गया था कि यदि 'त्वचा से त्वचा का सीधा संपर्क नहीं हुआ' है, तो पॉक्सो कानून के तहत यौन उत्पीड़न का कोई अपराध नहीं बनता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- **उच्चतम न्यायालय का निर्णय:**
  - यह निर्दिष्ट करता है कि **पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 में 'स्पर्श' प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरह के स्पर्श को शामिल करता है** अन्यथा अधिनियम अस्वीकार्य व्यवहार की एक संपूर्ण श्रृंखला को वैध मान लेगा। इससे एक बच्चे की गरिमा और स्वायत्तता अत्यंत कमजोर हो जाएगी।
  - शरीर के लैंगिक अंग को स्पर्श करने का कृत्य या **शारीरिक संपर्क से संबंधित कोई अन्य कार्य, यदि 'लैंगिक प्रयोजन' से किया जाता है**, तो पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के अर्थ में यह 'लैंगिक हमला' माना जाएगा।

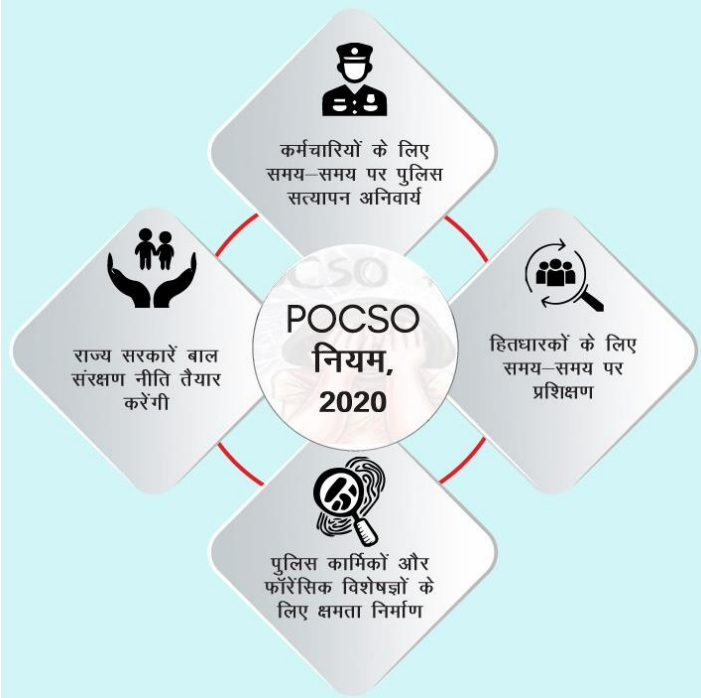

POCSO अधिनियम, 2012 के संबंध में

- यह **लैंगिक हमला, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों (18 वर्ष से कम आयु) को संरक्षण** प्रदान करने वाला एक व्यापक कानून है।
  - पॉक्सो अधिनियम केवल चाइल्ड सर्वाइवर और वयस्क अपराधियों पर लागू होता है। यदि दो बच्चे एक-दूसरे के साथ लैंगिक संबंध बनाते हैं, या यदि कोई बच्चा किसी वयस्क पर लैंगिक अपराध का दोष लगाता है, तो **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000** लागू होगा।
- इसके तहत **न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में बाल अनुकूल तंत्र** का प्रावधान किया गया है, जिसमें रिपोर्टिंग, साक्ष्यों की रिकॉर्डिंग, जांच और निर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के माध्यम से अपराधों की त्वरित सुनवाई शामिल है।
- बच्चे के **साक्ष्य** को विशेष न्यायालय द्वारा **अपराध का संज्ञान लेने के तीस दिनों की अवधि के भीतर** दर्ज किया जाएगा। यदि कोई देरी का कारण है, तो इसे भी **विशेष न्यायालय दर्ज करेगा।**
  - विशेष न्यायालय **अपराध का संज्ञान लेने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर,** जहां तक संभव हो, **मुकदमे को पूरा करेगा।**
- यह लोक सेवकों, शैक्षिक संस्थानों के कर्मचारियों, पुलिस आदि जैसे **प्राधिकार और विश्वास के पदों पर तैनात दोषियों को भी दंडित** करता है।
- हालांकि वर्ष 2019 में निम्नलिखित प्रावधानों को शामिल करने के लिए **अधिनियम में संशोधन किया गया था**
  - **कुछ हमलों के लिए न्यूनतम दंड में वृद्धि।**
  - **गंभीर प्रवेशन लैंगिक उत्पीड़न के दायरे का विस्तार करना।**
  - **बाल पोर्नोग्राफी को परिभाषित करना।**

भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 354 बनाम POCSO अधिनियम, 2012

विशेष	धारा 354 IPC	POCSO
पीड़ित की आयु	अपराध के लिए दंड अनिवार्य है चाहे, **पीड़िता किसी भी आयु की** हो।	बालकों की सुरक्षा हेतु।
पीड़ित का लिंग	• महिला	• लिंग तटस्थ।
लैंगिक हमले की परिभाषा	• परिभाषा **सामान्य** है।	• यह अधिनियम पहली बार, "प्रवेशक लैंगिक हमले", "लैंगिक हमले" और "लैंगिक उत्पीड़न" को परिभाषित करता है।
प्रमाण संबंधी दायित्व	अभियोजन पक्ष पर होता है। **आरोपी 'दोष सिद्ध न होने तक निर्दोष समझा'** जाता है।	आरोपी पर होता है। आरोपी **'निर्दोष सिद्ध न होने तक दोषी माना जाता है।'**

दंड	**न्यूनतम 1 वर्ष।** इसे अर्थदंड के साथ-साथ पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।	**न्यूनतम 3 वर्ष।** इसे अर्थदंड के साथ पाँच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

1.11. महिलाओं और बच्चों से संबंधित वैश्विक रिपोर्ट (Global Reports Related to Women & Children)

1.11.1. यूनिसेफ द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स चिल्ड्रन 2021 रिपोर्ट जारी की गई (State of The World's Children 2021 Report Released by UNICEF)

- यह रिपोर्ट **बच्चों, किशोरों और देखभालकर्ताओं के मानसिक स्वास्थ्य** का आकलन करती है।
- **इस रिपोर्ट में भारत से संबंधित प्रमुख निष्कर्ष**
  - **इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 15 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 14% व्यक्ति डिप्रेशन** से ग्रस्त हैं या कार्यों के प्रति अनिच्छा प्रदर्शित करते हैं।
  - **भारत में कम से कम 5 करोड़ बच्चे कोविड से पहले मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से प्रभावित रहे हैं।** इनमें से 80 - 90% बच्चे, मानसिक तनाव के दौरान किसी का सहयोग नहीं प्राप्त कर सके।
  - भारत में **मानसिक स्वास्थ्य पर प्रतिवर्ष स्वास्थ्य बजट का केवल 0.05%** हिस्सा ही व्यय किया जाता है।
  - रिपोर्ट के अनुसार **केवल 41% युवा (15-24 वर्ष का आयु वर्ग) मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सहायता प्राप्त करने के इच्छुक थे।**

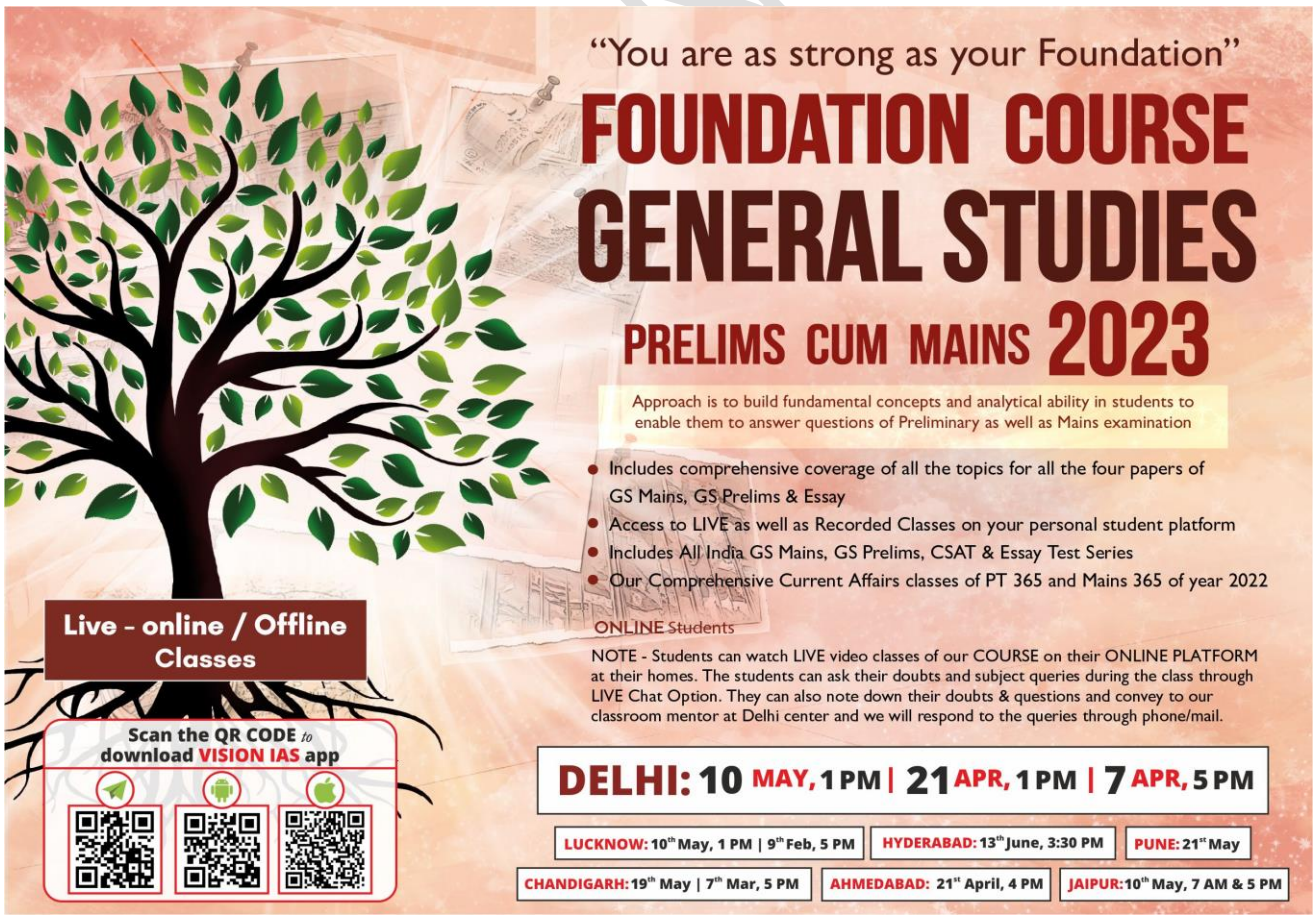

© Vision IAS

2. अन्य सुभेद्य वर्ग (Other Vulnerable Sections)

2.1. दिव्यांगजन (Persons with Disabilities: PwDs)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांगजनों (PwDs) के पुनर्वास पर **6 माह के लिए समुदाय आधारित समावेशी विकास (CBID)[15] कार्यक्रम** आरंभ किया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य **सामुदायिक स्तर पर ऐसे कार्यकर्ताओं का एक समूह सृजित करना है, जो जमीनी स्तर पर पुनर्वास कार्य से जुड़े हों।** ये कार्यकर्ता, विभिन्न प्रकार की निःशक्तता के मामलों के प्रबंधन तथा समाज में दिव्यांगजनों के समावेशन हेतु आशा (ASHA) और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर कार्य करेंगे।
- इस कार्यक्रम को **इन कार्यकर्ताओं के मध्य योग्यता-आधारित ज्ञान और कौशल सृजन करने के लिए** अभिकल्पित किया गया है, ताकि वे अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन करने की क्षमता बढ़ा सकें।
- मौजूदा कोविड परिदृश्य को देखते हुए **इस पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षण का तरीका ऑफलाइन/ऑनलाइन दोनों होगा।**
- समुदाय आधारित समावेशी विकास (CBID) पाठ्यक्रम को **भारतीय पुनर्वास परिषद और मेलबर्न विश्वविद्यालय** द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है।

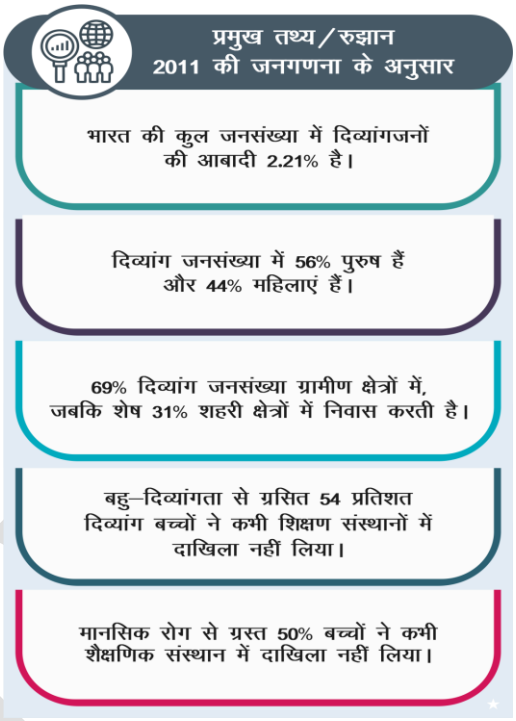

भारत में दिव्यांगता और दिव्यांगजन

- "दिव्यांग व्यक्ति" का अर्थ है, लंबे समय तक रहने वाली ऐसी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संवेदी दुर्बलता से ग्रसित व्यक्ति, जो बाधाओं का सामना होने पर अन्य लोगों के साथ समान रूप से समाज में अपनी पूर्ण और प्रभावी भागीदारी में असमर्थ होता है।
- **दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 निम्नलिखित प्रावधान करता है:**
  - सरकारी नौकरियों में आरक्षण **3% से बढ़ाकर 4%** किया गया।
    - हाल ही में, कार्य की प्रकृति और प्रकार पर विचार करते हुए, सरकार ने अधिनियम की धारा 34 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, पुलिस बलों में दिव्यांगों के लिए 4% आरक्षण को हटा दिया है। इनमें शामिल हैं-
      - भारतीय पुलिस सेवा के सभी पद,
      - रेलवे सुरक्षा बल,
      - दिल्ली, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दमन, दीव, दादरा और नगर हवेली के लिए पुलिस बल,
      - केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी युद्धक पद।

[15] Community Based Inclusive Development

- इससे पहले वर्ष 2018 में, सरकार ने सशस्त्र बलों में युद्धक कर्मियों के सभी श्रेणियों के पदों को प्रावधान से छूट दी थी।
  - **संदर्भित दिव्यांगता (benchmark disability) वाले प्रत्येक बालक** (6 से 18 वर्ष की आयु) को निशुल्क शिक्षा का अधिकार।
  - **सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त उच्चतर शिक्षण संस्थानों में सीटों में 5% आरक्षण।**
- **अन्य पहल:**
  - राष्ट्रीय दिव्यांगजन नीति, 2006;
  - राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तता ग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 (National Trust for the Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999);
  - भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम, 1992 आदि।

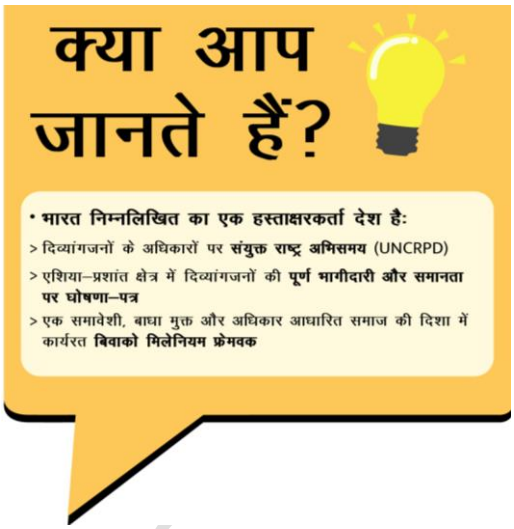

दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं

- **दिव्यांगजनों के लिए राष्ट्रीय कोष।**
- **सहायक सामग्रियों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए दिव्यांग व्यक्तियों की सहायता योजना**[16]
- **नि:शक्त व्यक्ति अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए योजना (SIPDA)**[17] **जिसमें शामिल हैं:**
  - **सुगम्य भारत अभियान (सुगम्य भारत अभियान)**
  - दिव्यांगजनों के लिए **कौशल विकास कार्यक्रम।**
  - जिला मुख्यालयों/सरकारी चिकित्सा महाविद्यालयों वाले अन्य स्थानों पर **शीघ्र निदान एवं हस्तक्षेप केंद्रों की स्थापना करना।**
- **"दिव्यांगजनों के लिए विशिष्ट आई.डी." परियोजना को दिव्यांगजनों हेतु राष्ट्रीय डेटाबेस निर्मित करने** और प्रत्येक दिव्यांग व्यक्ति को एक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान-पत्र (UDID)[18] जारी करने की **दृष्टि से कार्यान्वित** किया जा रहा है।
  - हाल ही में, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग (DEPwD) ने **सभी राज्यों / संघ राज्यक्षेत्रों के लिए UDID पोर्टल का उपयोग करके केवल ऑनलाइन मोड के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण-पत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है।**
  - दिव्यांग व्यक्तियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, क्योंकि वे दस्तावेज़ प्रस्तुत करके विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने में सक्षम हो सकेंगे।

2.2. आंतरिक प्रवास (Internal Migrants)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत के उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल हुए पलायन पर **प्रवासी श्रमिकों की दुर्दशा का स्वत: संज्ञान** लिया है।

भारत में आंतरिक प्रवास

- आंतरिक प्रवास को **देशों के भीतर सामान्य निवास में परिवर्तन** के रूप में परिभाषित किया जाता है। भारत में मुख्य रूप से दो प्रकार के प्रवास प्रचलित हैं (इन्फोग्राफिक देखें)।

[16] Assistance to Disabled Persons for Purchase/ Fitting of Aids and Appliances (ADIP Scheme)

[17] Scheme for Implementing of Persons with Disabilities Act

[18] Unique Disability Identity Card

- वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, पिछले निवास के स्थान के आधार पर भारत में **450 मिलियन लोगों** या कुल जनसंख्या के 37 प्रतिशत **द्वारा आंतरिक प्रवास किया गया था।** इन कुल प्रवासियों में 68 प्रतिशत **महिलाएं थीं।**
- जनगणना के दौरान यदि किसी व्यक्ति की गणना **उस स्थान पर की जाती है, जो उसके ठीक पिछले निवास-स्थान से भिन्न होता है,** तो उसे उसके अंतिम निवास स्थान के आधार पर प्रवासी माना जाता है।

- आर्थिक सर्वेक्षण (2017) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2001 और वर्ष 2011 के मध्य प्रतिवर्ष **50 से 60 लाख भारतीयों ने प्रवास किया था।** इस प्रकार 'लगभग 6 करोड़' लोगों द्वारा **अंतर्राज्यीय प्रवास** और लगभग 8 करोड़ लोगों द्वारा **अंतर-जिला प्रवास** किया गया था।

- एक शोध पत्र के अनुसार, **80 देशों के एक प्रतिदर्श (sample) में** भारत में **आंतरिक प्रवास की दर न्यूनतम** है।
  - **भारत में पांच वर्ष के अंतराल पर अंतर्राज्यीय प्रवास की** दर लगभग 1% है, जबकि अमेरिका में यह 10% और चीन में लगभग 5% है।

प्रवासियों के लिए किए गए उपाय

नीति के उपक्षेत्र	विवरण
खाद्य सुरक्षा	**एक राष्ट्र एक राशन कार्ड:** सब्सिडी युक्त खाद्यान्न का वितरण किया गया। इसके लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में बायोमेट्रिक तकनीक से प्रमाणीकृत ePoS लेन-देन की व्यवस्था करके, **राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक राशन कार्ड से देश के किसी भी भाग में राशन की सुविधा उपलब्ध कराई गई।**
पेंशन	**प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन योजना:** यह असंगठित क्षेत्रक के कामगारों के लिए वृद्धावस्था में सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा की एक योजना है।
बाल प्रवासियों की शिक्षा	**चंगती परियोजना:** यह योजना केरल राज्य साक्षरता मिशन द्वारा कार्यान्वित की गई एक साक्षरता योजना है। इसका लक्ष्य प्रवासी बच्चों को मलयालम सिखाना है।
स्वास्थ्य	**आयुष्मान भारत योजना:** वर्ष 2018 में आरंभ की गई यह योजना विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा/ आश्वासन योजना है। इसके लिए संपूर्ण वित्तपोषण सरकार द्वारा किया जाता है। योजना का लाभ **देश में कहीं भी लिया जा सकता है,** जैसे कि इस योजना का लाभार्थी, देश के किसी भी निर्दिष्ट सरकारी या निजी अस्पताल में जाकर नकदी रहित उपचार की सुविधा प्राप्त कर सकता है।
श्रमिक और प्रवासी कामगारों की सुरक्षा के लिए विधायी उपाय	• **अन्तर्राज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979,** • **भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम,1996 और** • **असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008।** • **सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 में** उल्लिखित उपयुक्त प्रावधान।
रोजगार	**गरीब कल्याण रोजगार अभियान (GKRA):** इसे कोविड-19 प्रकोप के कारण, **अपने गांव लौटने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को** बढ़ाने हेतु आरंभ किया गया था। इसके अंतर्गत, प्रवासी मजदूरों के **कौशल की मैपिंग की गई** और महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से संबद्ध किया गया।

2.3. वृद्धजनों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक, 2021 (Quality of Life for Elderly Index, 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) द्वारा वृद्धजनों के लिए जीवन गुणवत्ता सूचकांक, 2021[19] प्रकाशित किया गया।

[19] Quality of Life for Elderly Index, 2021

सूचकांक के बारे में

- **प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM)**[20] के अनुरोध पर **इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पीटीविनेस** द्वारा यह सूचकांक तैयार किया गया है।
  - सूचकांक आधारित यह रिपोर्ट भारतीय राज्यों में आयु में वृद्धि के क्षेत्रीय प्रारूप की पहचान करने के साथ-साथ देश में आयु बढ़ने की समग्र स्थिति का भी आकलन करती है।
  - एक साधन के रूप में इस सूचकांक का उपयोग करते हुए, **राज्य सरकारें और हितधारक** उन क्षेत्रों की पहचान कर सकते हैं, जिन पर उन्हें अपनी बुजुर्ग पीढ़ी को एक सुविधापूर्ण जीवन प्रदान करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

- **आकलन विधि:**
  - इस सूचकांक की संरचना में **चार स्तंभ-** वित्तीय कल्याण, सामाजिक कल्याण, स्वास्थ्य प्रणाली और आय सुरक्षा शामिल हैं।
  - राज्यों के बीच उचित तुलना स्थापित करने के लिए **वृद्ध आबादी वाले राज्यों** (पांच मिलियन से अधिक वृद्धजन) और **अपेक्षाकृत वृद्ध आबादी वाले राज्यों** (पांच मिलियन से कम वृद्धजन) के बीच विभेद स्पष्ट किया गया है।
  - पूर्वोत्तर के राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के लिए दो पृथक-पृथक श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। यह निर्धारण उनकी भौगोलिकता और वृद्धजन आबादी के हिस्से के आधार पर किया गया है।
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - स्वास्थ्य प्रणाली स्तंभ अखिल भारतीय स्तर पर उच्चतम राष्ट्रीय औसत प्रदर्शित करता है। इसके उपरांत समाज कल्याण, वित्तीय कल्याण तथा अंत में आय सुरक्षा स्तंभ का स्थान है।
  - **राजस्थान और हिमाचल प्रदेश** क्रमशः वृद्ध और अपेक्षाकृत वृद्ध आबादी वाले राज्यों में **सर्वाधिक अंक** प्राप्त करने वाले प्रांत हैं।
  - **चंडीगढ़ और मिजोरम** क्रमशः संघ राज्यक्षेत्रों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की श्रेणी में **सर्वाधिक अंक** प्राप्त करने वाले क्षेत्र हैं।

वृद्धजनों के कल्याण के लिए योजनाएं और कार्यक्रम

- **राष्ट्रीय वृद्धजन नीति (NPOP), 1999:** इस नीति में वृद्धजनों की वित्तीय और खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, आश्रय एवं अन्य आवश्यकताओं, विकास में समान भागीदारी, दुर्व्यवहार व शोषण के विरुद्ध सुरक्षा तथा उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने हेतु सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सहायता की परिकल्पना की गई है।
  - राष्ट्रीय वृद्धजन नीति **60+ आयु वर्ग के व्यक्ति को वृद्धजन के रूप में परिभाषित** करती है।
- **माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007:** यह अधिनियम बच्चों/रिश्तेदारों द्वारा माता-पिता/वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिकरणों के माध्यम से अनिवार्य और वादयोग्य बनाने; रिश्तेदारों द्वारा उपेक्षा की स्थिति में वरिष्ठ नागरिकों द्वारा संपत्ति के हस्तांतरण के निरसन; वरिष्ठ नागरिकों के परित्याग के लिए दंड; जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धाश्रमों की स्थापना तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधाओं एवं सुरक्षा का प्रावधान करता है।
- **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक कल्याण कार्य योजना (National Action Plan for the Welfare of Senior Citizens: NAPSRC):** इस योजना में वरिष्ठ नागरिकों की शीर्ष चार आवश्यकताओं, अर्थात् वित्तीय सुरक्षा, भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और मानव अंतर्क्रिया/गरिमापूर्ण जीवन का ध्यान रखा गया है। यह 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुई एक छत्रक योजना है। इसके अंतर्गत चार उप-योजनाएं शामिल हैं, अर्थात्:
  - **वरिष्ठ नागरिकों के लिए एकीकृत कार्यक्रम की योजना (IPSrC),**

[20] Economic Advisory Council to the Prime Minister

- **वरिष्ठ नागरिकों के लिए राज्य कार्य योजना (SAPSrC),**
- **वरिष्ठ नागरिक कल्याण के क्षेत्र में भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों/विभागों की पहलों के साथ अभिसरण (CWMSrC),**

- **वरिष्ठ नागरिक राष्ट्रीय पुरस्कार-वयोश्रेष्ठ सम्मान:** इसके अंतर्गत वृद्धजनों, विशेष रूप से जरूरतमंद वरिष्ठ नागरिकों को विशिष्ट सेवाएं प्रदान करने में शामिल प्रतिष्ठित वरिष्ठ नागरिकों और संस्थानों द्वारा किए गए प्रयासों को मान्यता प्रदान की जाती है।
- **राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY):** यह वरिष्ठ नागरिकों को शारीरिक सहायक उपकरण और सहायतित-जीवन निर्वाह उपकरण उपलब्ध कराने की योजना है।
- **वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष:** यह वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाओं हेतु वर्ष 2016 में स्थापित किया गया था, जो वृद्ध व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति के अनुरूप हैं। इस कोष में केंद्र सरकार की बचत योजनाओं के तहत उपलब्ध राशि शामिल है, जो खाता निष्क्रिय घोषित किए जाने की तिथि से सात वर्ष की अवधि तक दावारहित रहती है।
- **राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद (NCSrC):** इसका वर्ष 1999 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री की अध्यक्षता में गठन किया गया था। यह वृद्धों के लिए नीति कार्यान्वयन की निगरानी करने और नीतियों एवं कार्यक्रमों के निर्माण व कार्यान्वयन में सरकार को परामर्श देने हेतु अधिदेशित है।
- **राष्ट्रीय वृद्धजन स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम (NPHCE):** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) द्वारा संचालित किया जा रहा है।
- **प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY):** आयुष्मान भारत के तहत, MoHFW द्वारा शुभारंभ किया गया।
- **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS):** ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2007 से कार्यान्वित की जा रही है।
- **प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY):** वर्ष 2017 में प्रारंभ की गई, यह एक पेंशन योजना है। इसे वर्ष 2023 तक विस्तारित किया गया है।
- **सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन (SAGE) पहल:** इसका उद्देश्य सीधे हितधारकों के लिए उत्पादों, समाधानों और सेवाओं की पहचान करना, मूल्यांकन करना, सत्यापित करना, एकत्र करना तथा वितरित करना है। यह **"सिल्वर इकॉनमी"** के विचार को बढ़ावा देती है।

2.4. अनौपचारिक कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा (Social Security for Informal Workers)

सुर्ख़ियों में क्यों?

कोविड-19 महामारी ने विशेष रूप से अनौपचारिक कामगारों से संबंधित भारत की सामाजिक सुरक्षा नीतियों के दोषों को प्रकट किया है।

संवैधानिक प्रावधान

समवर्ती सूची

प्रविष्टि संख्या 23: सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा, नियोजन और बेकारी (अर्थात् बेरोजगारी)।

प्रविष्टि संख्या 24: श्रमिकों का कल्याण, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि नियोजक का दायित्व, कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति, वृद्धावस्था पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं शामिल हैं।

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

अनुच्छेद 41: राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर, काम पाने के, शिक्षा पाने के और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी व निःशक्तता तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का प्रभावी उपबंध करेगा।

अनुच्छेद 42: काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध।

सामाजिक सुरक्षा और इसका महत्व

- अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO)[21] के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा **मानव गरिमा और सामाजिक न्याय की मान्यता** पर आधारित है, जो उन सभी मनुष्यों हेतु कानून द्वारा गारंटीकृत है, जो अपने श्रम पर जीवन यापन करते हैं तथा कुछ परिस्थितियों के कारण अस्थायी रूप से अथवा स्थायी रूप से कार्य करने में अक्षम होते हैं।

[21] International Labour Organization

- ऐसे में प्रभावी सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां किसी भी प्रतिकूल स्थिति में **आय की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुरक्षा** की गारंटी प्रदान करती हैं।
- भारत में **सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (Code on Social Security, 2020) के अनुसार-** "सामाजिक सुरक्षा से किसी कर्मचारी, असंगठित कर्मकार, गिग कर्मकार और प्लेटफॉर्म कर्मकार की स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और इस संहिता के अधीन प्रतिष्ठापित अधिकारों एवं लागू योजनाओं के माध्यम से विशिष्टतया वृद्धावस्था, बेरोजगारी, रुग्णता, अशक्तता, कार्य-क्षति, प्रसूति या जीविका अर्जक की हानि के मामलों में आय सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध संरक्षण के उपाए अभिप्रेत हैं।"
- **अनौपचारिक श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के अन्य प्रयास**
  - श्रम ब्यूरो अनौपचारिक श्रमिकों के संबंध में **5 अखिल भारतीय सर्वेक्षण** कर रहा है।
    - घरेलू कामगारों पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण (AISDW)
    - प्रवासी श्रमिकों का अखिल भारतीय सर्वेक्षण
    - परिवहन क्षेत्र में रोजगार सृजन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
    - पेशेवरों द्वारा रोजगार सृजन पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण
    - अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण (AQEES)
- भारत, **अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) के 189वें अभिसमय का एक हस्ताक्षरकर्ता है।** इसे घरेलू कामगारों पर अभिसमय के रूप में जाना जाता है। लेकिन अभी तक **इसकी पुष्टि नहीं की है।**
  - अभिसमय में कहा गया है कि **घरेलू कामगारों को दैनिक और साप्ताहिक आराम के घंटे दिए जाने चाहिए,** उनका भुगतान **न्यूनतम मजदूरी की आवश्यकता** को पूरा करना चाहिए, और यह कि उन्हें वह स्थान चुनने की अनुमति दी जानी चाहिए जहां वे रहते हैं और अपना अवकाश व्यतीत कर सकते हैं।

2.5. ट्रांसजेंडर के अधिकार (Rights of Transgenders)

सुर्ख़ियों में क्यों?

मद्रास उच्च न्यायालय ने **LGBTQIA+** (लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, क्वीर और/या क्वेश्चनिंग, इंटरसेक्स व एसेक्सुअल तथा /या ऐलाइ) समुदाय के विरुद्ध पूर्वाग्रह को समाप्त करने के निर्देश जारी किए हैं।

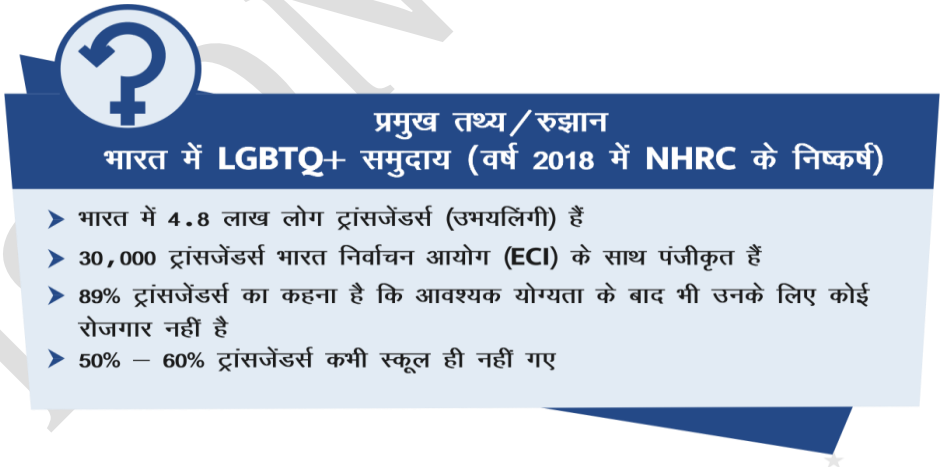

अन्य संबंधित तथ्य

- इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य **LGBTQIA+** समुदाय को उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करना है। **इन दिशा-निर्देशों में शामिल हैं:**
  - LGBTQIA+ लोगों के **लैंगिक अभिविन्यास (sexual orientation) को सही करने या परिवर्तित करने के प्रयासों पर प्रतिबंध** आरोपित किए जाएं।
  - **केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** LGBTQIA+ समुदाय के समक्ष आने वाले मुद्दों से निपटने में विशेषज्ञता रखने वाले **गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) की सूची प्रकाशित** करेगा।
  - LGBTQIA+ समुदाय को समझने के लिए छात्रों को शिक्षित करने हेतु विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के **पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाए।**
  - **माता-पिता को संवेदनशील बनाने** के लिए विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ का उपयोग किया जाए।
  - समावेशिता के लिए **भर्ती नीतियों में परिवर्तन** तथा शिकायतों के मामले में सहायता प्रदान करना आदि।

© Vision IAS

ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) कानून, 2019

- **ट्रांसजेंडर के विरुद्ध भेदभाव को रोकता है:** रोज़गार, शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य सेवाओं में।
- **स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकारः** हालांकि, प्रत्येक व्यक्ति को ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किए गए पहचान प्रमाण–पत्र के आधार पर 'ट्रांसजेंडर' के रूप में मान्यता प्रदान की जाएगी।
- **शिकायत निवारण तंत्रः** इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण करने के लिए प्रत्येक संस्थान द्वारा एक व्यक्ति को शिकायत अधिकारी के रूप में नियुक्त करना अनिवार्य है।
- **आवास का अधिकारः** किसी भी बच्चे को ट्रांसजेंडर होने के कारण उसके माँ–बाप या निकटतम परिवार से अलग नहीं किया जाएगा। हालांकि, प्राधिकृत न्यायालय द्वारा बच्चे के हित में ऐसा करने का आदेश दिया जा सकता है।
- **शिक्षण संस्थानों के दायित्वः** सरकारी–वित्त पोषित या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को बिना किसी भेद–भाव और समान आधार पर समावेशी शिक्षा, खेल–कूद तथा आनंददायक और मनोरंजक गतिविधियों के लिए समान अवसर प्रदान करना होगा।
- **ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद्:** ट्रांसजेंडर व्यक्तियों से संबद्ध योजनाओं, कार्यक्रम, विधेयक और परियोजनाओं के निर्माण हेतु केंद्र सरकार को सलाह देने के लिए।

2.6. हाथ से मैला ढोने की प्रथा (Manual Scavenging)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने संसद को सूचित किया है कि हाथ से मैला ढोने के कारण किसी की भी मृत्यु नहीं हुई है।

हाथ से मैला उठाने पर वर्तमान कानून

- **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013**
  - यह कानून निम्नलिखित को अपराध घोषित करता है:
    - अस्वच्छ शौचालयों की सफाई के लिए हाथ से मैला उठाने वालों का नियोजन;
    - बिना सुरक्षा उपकरणों के सीवरों और सेप्टिक टैंकों की मैनुअल सफाई करने वालों का नियोजन;
    - अस्वच्छ शौचालय का निर्माण;
    - इस अधिनियम के लागू होने की एक निश्चित अवधि के भीतर अस्वच्छ शौचालयों को ध्वस्त या परिवर्तित नहीं किया जाना।
  - **'मैनुअल स्कैवेंजर' या 'हाथ से मैला उठाने' वाले कौन हैं?**
    - मानव अपशिष्ट के सभी स्रोतों जैसे खुली नाली, गड्ढे वाले शौचालय, सेप्टिक टैंक, नालों और रेलवे पटरियों पर मानव मल-मूत्र को किसी व्यक्ति द्वारा हाथों से साफ़ करने को मैनुअल स्कैवेंजर्स या हाथ से मैला उठाने के रूप में संदर्भित किया गया है।
    - **अपवाद:** कोई भी व्यक्ति जिसे मानव अपशिष्ट को साफ करने के लिए नियोजित किया गया है और वह उचित सुरक्षात्मक सामानों तथा उपकरण की मदद से ऐसा करता है, तो उसे इस कानून के तहत हाथ से मैला उठाने वाला नहीं माना जाएगा।
  - **हाथ से मैला उठाने वालों की पहचान करने की जिम्मेदारी:** हाथ से मैला उठाने वालों की **पहचान करने का उत्तरदायित्व स्थानीय प्राधिकरण** (नगर पालिका या पंचायत, छावनी बोर्ड या रेलवे प्राधिकरण) को सौंपा गया है।
  - **हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के पुनर्वास के लिए निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:**
    - आरंभिक एकमुश्त नकद सहायता।
    - मैला उठाने वाले के बच्चों को छात्रवृत्ति।
    - आवासीय भूखंड का आवंटन और निर्मित भवन तथा भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता।
    - आजीविका कौशल में प्रशिक्षण के दौरान कम से कम 3000 रुपये प्रतिमाह वृत्तिका का भुगतान।

- परिवार के कम से कम एक वयस्क सदस्य को रियायती ऋण के साथ सब्सिडी का प्रावधान।

- **अधिनियम के उल्लंघन के लिए दंड:** इस अधिनियम की **धारा 8** के तहत इसका उल्लंघन करने वाला व्यक्ति **2 वर्ष तक के कारावास या 12 लाख रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों दंडों का भोगी** होगा। किसी भी पश्चात्वर्ती उल्लंघन के लिए 5 वर्ष तक के कारावास या 15 लाख का जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा।
- **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय** मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए उत्तरदायी है और यह **'मैनुअल स्कैवेंजर्स के पुनर्वास के लिए स्वरोजगार योजना' (SRMS)** का क्रियान्वयन करता है।

2.7. देशज लोग (Indigenous People)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य और कृषि संगठन (FAO) ने देशज लोगों पर अपनी रिपोर्ट जारी की है।

प्रमुख तथ्य / रुझान

हालांकि इंडिजेनस यानी स्वदेशी लोग वैश्विक आबादी का 5% हैं, लेकिन अत्यधिक गरीबों की संख्या में उनकी भागीदारी 15% है।

देशज लोगों के बारे में

- देशज लोग **विशिष्ट सामाजिक और सांस्कृतिक समूह हैं। ये लोग सामूहिक पैतृक संबंधों को उन भूमियों और प्राकृतिक संसाधनों से जोड़ते हैं जहां उनका आवास व अधिकार है या जहां से वे विस्थापित हुए हैं।**
- देशज लोगों को **देशज लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणा (UNDRIP)** के माध्यम से अपनी खाद्य प्रणालियों के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अधिकार मिले हुए हैं।
- **भारत में PVTGs:** विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (PVTGs) जनजातीय समूहों में अधिक सुभेद्य या कमज़ोर हैं। **705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 PVTGs हैं।** भारत सरकार PVTGs की पहचान के लिए निम्नलिखित मानदंडों का पालन करती है।
  - प्रौद्योगिकी का पूर्व-कृषि स्तर,
  - साक्षरता का निम्न स्तर,
  - आर्थिक पिछड़ापन, तथा
  - घटती या स्थिर जनसंख्या।

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह तीसरा संस्करण **"देशज लोगों की खाद्य प्रणाली, जलवायु परिवर्तन की अग्रिम पंक्ति से सततता और लचीलेपन की अंतर्दृष्टि"**[22] शीर्षक से **बायोडायवर्सिटी इंटरनेशनल** और **इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रॉपिकल एग्रीकल्चर** (ICTA) के गठबंधन के साथ मिलकर जारी किया गया था।
- रिपोर्ट में **अमेज़ॅन, साहेल, हिमालय, प्रशांत द्वीप समूह और आर्कटिक (मानचित्र देखें)** में आठ देशज लोगों की खाद्य प्रणालियों का अध्ययन किया गया है, ताकि **जैव विविधता के संरक्षण एवं लचीली खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा** देने में उनकी अनूठी क्षमता का दस्तावेजीकरण किया जा सके।
- इन प्रणालियों के समक्ष जलवायु परिवर्तन, प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और देशज लोगों के क्षेत्रों में खनन व वाणिज्यिक कृषि की अनुमति देने वाली रियायतों के कारण उच्च जोखिम व्याप्त है।

भारत विशिष्ट निष्कर्ष

देशज लोग	खाद्य प्रणालियों की विशेषताएं	महत्त्वपूर्ण परिवर्तन
खासी (मेघालय)	• **बायोम:** उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन व जल धाराएं। • **मुख्य आजीविका गतिविधियाँ:** कृषि, संग्रहण, आखेट करना, मत्स्यन, नकदी फसलें आदि। • **सचल प्रथाएं:** स्थानांतरण कृषि। • **खाद्य वस्तु विनिमय:** वर्तमान में उपयोग में	• भारत की **सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS)** ने स्थानीय निर्वाह तंत्र को परिवर्तित कर दिया है। • चावल ने स्थानीय मुख्य खाद्यान्न (बाजरा और दाल) को प्रतिस्थापित कर दिया है। • आहार में वन्य खाद्य पदार्थ की मात्रा कम हो गई है। • नकदी आधारित अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है।

[22] Indigenous Peoples' Food System, Insights of sustainability and resilience from the front line of climate change

	नहीं।	
भोटिया और अनवाल (उत्तराखंड)	• **बायोम:** वन एवं पर्वत • **मुख्य आजीविका गतिविधियाँ:** कृषि, पशुधन, संग्रहण आदि। • **सचल प्रथाएं:** अर्ध-घुमंतू /पशु चारे के लिए मौसम के अनुरूप स्थान परिवर्तन। • **खाद्य वस्तु विनिमय:** विद्यमान है।	• वन्य खाद्य पदार्थों तक पहुंच में कमी। • जलवायु परिवर्तन से प्रेरित भूमि क्षरण। • पारंपरिक चिकित्सा पर अल्प निर्भरता।

3. शिक्षा (Education)

3.1. राष्ट्रीय शिक्षा नीति (National Education Policy: NEP)

सुर्ख़ियों में क्यों?

भारत में **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020** को लागू हुए एक वर्ष पूरा हो गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 की प्रथम वर्षगांठ के अवसर पर शिक्षा क्षेत्रक में कई प्रमुख पहलों का आरंभ किया। हालांकि, इनमें से कुछ पहले ही आरंभ किए जा चुके हैं। **ये पहल निम्नलिखित हैं:**

पहल	विवरण
एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट	• यह **एक डिजिटल बैंक की भांति** होगा। इसमें पंजीकृत उच्चतर शिक्षा संस्थान उनके द्वारा संचालित कोर्सेज हेतु छात्रों के ऐकडेमिक बैंक खाते में क्रेडिट जमा करेंगे। • यह **बहुविषयक और समग्र शिक्षा को सुविधाजनक बनाने हेतु एक प्रमुख साधन** होगा। इससे स्नातक और परास्नातक डिग्री कोर्सेज के छात्रों को **प्रवेश एवं निकास के कई विकल्प** उपलब्ध होंगे।
विद्या प्रवेश	• यह प्रथम कक्षा के छात्रों के लिए **स्कूल पूर्व तैयारी कार्यक्रम** है। • इस कार्यक्रम में **तीन माह का प्ले स्कूल आधारित शैक्षणिक मॉड्यूल** होगा। इसके अंतर्गत इन छात्रों को स्कूल जाने के लिए तैयार किया जाएगा।
सीखने की प्रक्रिया का सुव्यवस्थित तरीके से विश्लेषण और आंकलन (सफल/SAFAL:Structured Assessment For Analyzing Learning Levels)	• यह **CBSE छात्रों के मूल्यांकन के लिए एक कार्यक्रम** है। इसका उद्देश्य कक्षा 3, 5 और 8 के छात्रों के बीच मूलभूत कौशल की प्रगति और बुनियादी शिक्षा के परिणामों एवं क्षमताओं का आंकलन करना है।
राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षण संरचना (NDEAR)	• यह डिजिटल अवसंरचना विकसित करने के लिए **विविध शिक्षा पारितंत्र व्यवस्था प्रदान करेगा।** यह एक संघीय परन्तु अंतर्संचालनीय प्रणाली होगी। यह सभी हितधारकों विशेषकर राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की स्वायत्तता सुनिश्चित करेगी। • यह विद्यालय शिक्षा की योजना निर्माण, प्रशासन एवं अभिशासन में केंद्र और राज्यों दोनों के लिए उपयोगी होगी। साथ ही, एक निर्बाध डिजिटल शिक्षा का अनुभव प्राप्त करने में शिक्षकों, छात्रों और विद्यालयों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगी।
राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी फोरम (NETF):	• अधिगम, आंकलन, नियोजन व प्रशासन में वर्धन हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता,, ब्लॉकचेन, मशीन लर्निंग, स्मार्ट बोर्ड्स और गणना करने वाली **युक्तियों जैसी प्रौद्योगिकियों के प्रयोग पर विचारों के स्वतंत्र आदान-प्रदान हेतु एक प्लेटफॉर्म** उपलब्ध करवाया जाएगा। • यह तकनीक आधारित हस्तक्षेपों पर **केंद्र और राज्य सरकार की एजेंसियों को प्रमाण आधारित स्वतंत्र परामर्श** प्रदान करेगा।
निष्ठा 2.0 (स्कूल प्रमुखों और शिक्षकों की समग्र उन्नति के लिए राष्ट्रीय पहल) (National Initiative for School Heads' and Teachers' Holistic Advancement: NISHTHA 2.0)	• इसके अंतर्गत शिक्षकों को उनकी आवश्यकता के अनुसार **प्रशिक्षण** प्रदान किया जाएगा और वे विभाग को अपने सुझाव प्रदान करने में सक्षम हो सकेंगे। इसमें 68 मॉड्यूल होंगे, जिनमें से 12 सामान्य और 56 विषय विशिष्ट मॉड्यूल होंगे। साथ ही, इसके अंतर्गत लगभग 10 लाख शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। ○ **निष्ठा** विश्व में अपने प्रकार का प्रथम **सबसे बड़ा शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम है।** इसका उद्देश्य छात्रों में गहन चिंतन के समावेशन व प्रोत्साहन हेतु शिक्षकों को अभिप्रेरित एवं सुसज्जित करना है।
भाषा से संबंधित अन्य पहल	• **महाविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होगी:** आठ राज्यों के 14 इंजीनियरिंग महाविद्यालय पांच भारतीय भाषाओं यथा: **हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी और बांग्ला** में इंजीनियरिंग की शिक्षा आरंभ करेंगे। • **सांकेतिक भाषा माध्यमिक स्तर पर विषय के रूप में सम्मिलित होगी:** भारतीय सांकेतिक भाषा को प्रथम बार भाषाई विषय का दर्जा प्रदान किया गया है। इससे भारतीय सांकेतिक भाषा को बढ़ावा मिलेगा और दिव्यांग जनों को सहायता प्राप्त होगी।

पृष्ठभूमि: NEP के विषय में

- NEP को **शिक्षा व्यवस्था को परिवर्तित करने,** शिक्षा को समग्र बनाने और आत्मनिर्भर भारत के लिए एक मजबूत नींव के निर्माण के लिए **मार्गदर्शक दर्शन** के रूप में जुलाई 2020 में आरंभ किया गया था।
- यह **21वीं सदी की प्रथम शिक्षा नीति है।** इसने शिक्षा पर 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय नीति, 1986 को प्रतिस्थापित किया है।
- यह नीति **सतत विकास एजेंडा, 2030 के अनुरूप है।** इसका उद्देश्य विद्यालयी और महाविद्यालयी शिक्षा को अधिक समग्र, लोचशील, बहुविषयक एवं 21वीं सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाकर भारत को जीवंत ज्ञान समाज और वैश्विक ज्ञान महाशक्ति में परिवर्तित करना है।

नोट: राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के विस्तृत उपबंधों के लिए इस मैगज़ीन के अंत में दिए गए परिशिष्ट को देखें।

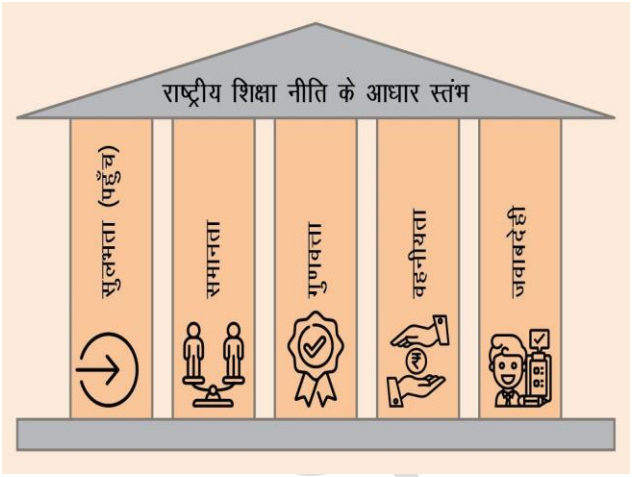

संबंधित सुर्ख़ियाँ

शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा (NCF)[23] के विकास के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)[24] का गठन किया

- NCF, संपूर्ण देश के विद्यालयों में पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण और अधिगम प्रथाओं के लिए एक दिशा-निर्देश के रूप में कार्य करता है। यह स्कूली शिक्षा की भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है।
- NCF को अंतिम बार वर्ष 2005 में तैयार किया गया था और इसे वर्ष 1975, वर्ष 1988 और वर्ष 2000 में संशोधित किया गया था।
- **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)** का नेतृत्व **के.कस्तूरीरंगन** करेंगे। ज्ञातव्य है कि उन्होंने ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)-2020 की प्रारूप समिति का भी नेतृत्व किया था।
- **राष्ट्रीय संचालन समिति (NSC)** के विचारार्थ विषयों में शामिल हैं:
  - समिति चार NCF विकसित करेगी: **स्कूली शिक्षा, बाल्यकालीन देखभाल और शिक्षा, शिक्षक शिक्षा व प्रौढ़ शिक्षा।**
  - सभी NCF भविष्य के लिए संबंधित क्षेत्रों पर कोविड-19 महामारी जैसी स्थितियों के प्रभावों पर भी विचार करेंगे।
  - राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा (SCF) से इनपुट प्राप्त किए जा सकते हैं।

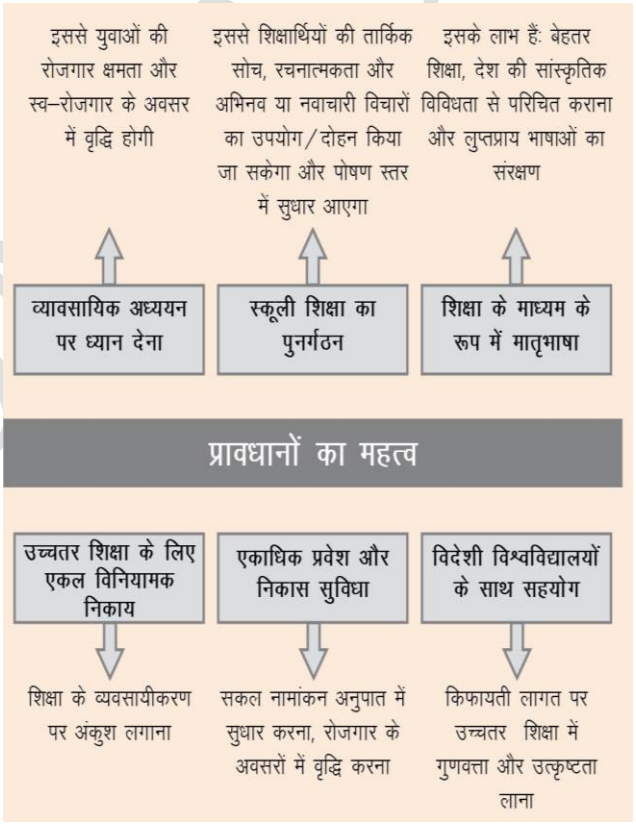

3.2. स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता (Quality of Education in Schools)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में किए गए **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)[25] और शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER)[26]** ने स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता के मुद्दों को फिर से सुर्ख़ियों में ला दिया है।

[23] National Curriculum Framework

[24] National Steering Committee

[25] National Achievement Survey

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS)

- यह भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा छात्रों के सीखने का **राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधिक व्यापक सर्वेक्षण** है। NAS **स्कूली शिक्षा की प्रभावशीलता** को व्यवस्थित स्तर पर प्रदर्शित करता है।
- NAS 2021 का उद्देश्य राष्ट्रीय, राज्य, जिला और स्कूल के प्रकार के स्तर पर **प्रमुख कक्षा एवं विषयों में भारत के छात्र क्या जानते हैं और क्या कर सकते हैं,** इसकी जानकारी प्रदान करना है।
- सर्वेक्षण की कार्यवाही के दौरान, राज्यों के शिक्षकों ने देखा कि बच्चे (विशेष रूप से कक्षा 3 और 5 के बच्चे) **न तो प्रश्नों को भली भांति समझ पा रहे हैं तथा न ही ओएमआर शीट भरने में सक्षम हैं।**
- **ASER 2021 रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं:**
  - वर्ष 2018 और वर्ष 2021 के बीच सभी कक्षाओं में बालक और बालिकाओं दोनों के नामांकन में **निजी से सरकारी स्कूलों की ओर "शिफ्ट" का** एक पैटर्न दिखाई दिया है।
  - **ट्यूशन** लेने वाले बच्चों का अनुपात **वर्ष 2018 से वर्ष 2021 तक बढ़ गया** है। ज्यादातर वंचित परिवारों में। सर्वाधिक वंचित परिवारों के बच्चों में ट्यूशन लेने की प्रवृत्ति में सबसे अधिक वृद्धि देखी गई है।
  - सभी कक्षाओं में नामांकित सभी बच्चों में से **दो तिहाई से अधिक के पास घर पर स्मार्टफोन** है। स्मार्टफोन वाले घरों में भी केवल एक चौथाई बच्चे (27%) ही आवश्यकता होने पर इसका उपयोग कर पाते थे।

ASER सर्वेक्षण और राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (NAS) के मध्य अंतर निम्नलिखित हैं:

ASER सर्वेक्षण	NAS सर्वेक्षण
• ASER एक **नागरिक-संचालित सर्वेक्षण** है। इसे **प्रथम नामक एक गैर-सरकारी संगठन आयोजित** करता है।	• इसका संचालन शिक्षा मंत्रालय के तहत **NCERT** द्वारा किया जाता है।
• ASER एक परिवार-आधारित सर्वेक्षण है, जिसका संचालन वर्ष 2005 से किया जा रहा है।	• NAS एक विद्यालय-आधारित सर्वेक्षण है।
• **इसमें व्यक्तिगत मौखिक आकलनों को शामिल किया जाता है।**	• इसमें लिखित टेस्ट को शामिल किया जाता है।
• यह सभी बच्चों (विद्यालय या विद्यालय से बाहर) के प्रतिनिधि सैंपल पर आधारित होता है।	• इसमें सरकारी विद्यालयों और सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में नामांकित बच्चों को शामिल किया जाता है।
• यह पठन और गणित जैसे मूलभूत कौशलों पर ध्यान केन्द्रित	• इसमें विविध कौशलों (न कि केवल पठन और गणित) को शामिल

प्रमुख तथ्य/रुझान
भारत में स्कूल

यूनाइटेड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस (UDISE+) 2019–20 के अनुसार, भारतीय विद्यालयों में वर्ष 2018–19 की तुलना में निम्नलिखित मापदंडों के तहत सुधार देखा गया है:

- सभी स्तरों पर सकल नामांकन अनुपात (GER)
- सभी स्तरों पर छात्र शिक्षक अनुपात (PTR)
- प्राथमिक से उच्च माध्यमिक तक बालिकाओं का नामांकन
- माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक दोनों स्तरों पर लैंगिक समानता सूचकांक (GPI)

ग्रामीण भारत में विद्यालय शिक्षा की वार्षिक स्थिति रिपोर्ट (ASER), 2021 के अनुसार–

- लड़के और लड़कियों दोनों के नामांकन के मामले में निजी से सरकारी विद्यालयों की ओर रुख।
- ट्यूशन लेने वाले बच्चों में लगातार वृद्धि।
- स्मार्टफोन की उपलब्धता लगभग दोगुनी होकर 68% पर पहुंच गयी है।
- 92% बच्चों के पास अपने ग्रेड के लिए पाठ्यपुस्तकें थीं, लेकिन केवल एक तिहाई के पास किसी अन्य लर्निंग संसाधन या व्हाट्सएप या लाइव कक्षाओं जैसी सहायता तक पहुंच थी।
- वर्ष 2020 और 2021 में, विद्यालयों में नामांकित नहीं होने वाले बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई है, खासकर लड़कों में।

क्या आप जानते हैं?

- ASER भारत के सभी ग्रामीण जिलों में **वर्ष 2005 से प्रत्येक वर्ष** आयोजित किया जाता है।
- यह भारत में **नागरिकों के नेतृत्व वाला सबसे बड़ा सर्वेक्षण है।**
- यह स्कूल आधारित सर्वेक्षण की बजाय **परिवार–आधारित सर्वेक्षण** है।
- **महामारी** के संदर्भ में, ASER केंद्र ने वर्ष 2020 में **"लर्निंग के अवसरों तक पहुंच"** पर अपना ध्यान केंद्रित किया।

[26] Annual Status of Education Report

 © Vision IAS

करता है।	किया जाता है।
• यह देश के ग्रामीण क्षेत्रों तक ही सीमित है।	• इसका संचालन ग्रामीण और नगरीय, दोनों क्षेत्रों सहित संपूर्ण भारत में किया जाता है।

3.3. भारत में उच्चतर शिक्षा (Higher Education in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, शिक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के लिए **अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE)[27] रिपोर्ट** जारी की है।

अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के बारे में

- AISHE एक **वार्षिक वेब-आधारित सर्वेक्षण** है। इसे पूर्ववर्ती मानव संसाधन विकास मंत्रालय (वर्तमान शिक्षा मंत्रालय) द्वारा वर्ष 2010-11 से आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य **देश में उच्चतर शिक्षा की स्थिति को प्रदर्शित करना है।**
- यह सर्वेक्षण केंद्रीय क्षेत्र की योजना **उच्चतर शिक्षा सांख्यिकी और जन सूचना प्रणाली (HESPIS)[28]** के तहत संचालित किया जा रहा है।
- यह सर्वेक्षण **उच्चतर शिक्षा संस्थानों द्वारा स्वैच्छिक रूप से अपलोड किए गए डेटा पर आधारित** है। साथ ही, इसमें देश के सभी उच्चतर शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। इन्हें निम्नलिखित **3 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत** किया गया है:
  - **विश्वविद्यालय**
  - **महाविद्यालय/संस्थान**
  - **स्टैंड-अलोन या स्वचालित संस्थान (Stand-alone Institutions)** (ये विश्वविद्यालयों से संबद्ध नहीं होते हैं। ये डिग्री प्रदान करने हेतु अधिकृत नहीं होते हैं, इसलिए डिप्लोमा स्तर के कार्यक्रम संचालित करते हैं।)

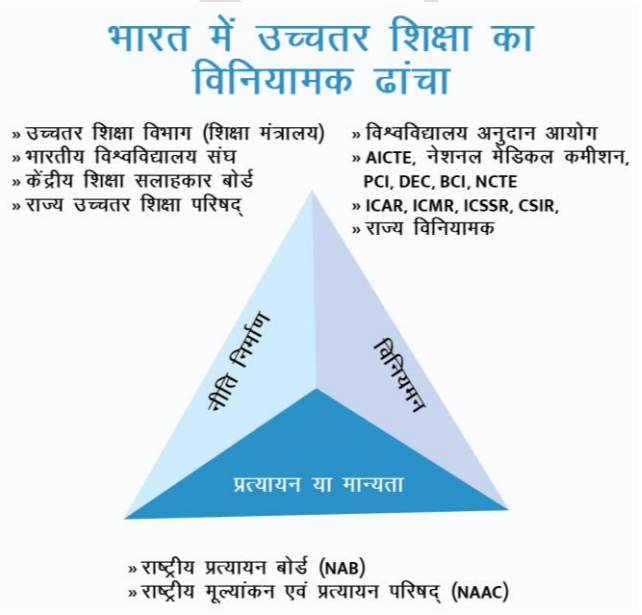

उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के लिए सरकार द्वारा आरंभ की गई प्रमुख पहलें

- **छात्र नामांकन में सुधार:**
  - **राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP)[29], 2020** का उद्देश्य वर्ष 2035 तक उच्चतर शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाना है। इसमें एक अंतर्विषयक दृष्टिकोण के माध्यम से पाठ्यक्रम को लचीला बनाने, कई निकास बिंदुओं का निर्माण करने और ST, SC, OBC एवं सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs)[30] के छात्रों के लिए उनकी योग्यता के अनुसार छात्रवृत्ति पर बल दिया गया है।
  - **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा[31] के लिए UGC का नया विनियमन** दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के इस क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति प्रदान करता है।

[27] All India Survey on Higher Education

[28] Higher Education Statistics and Public Information System

[29] National Education Policy

[30] Socially and Economically Disadvantaged Groups

[31] Open and Distance Learning

- लोगों तक पहुंचने और उन्हें उत्तम गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने हेतु **स्वयं (SWAYAM) पोर्टल** लॉन्च किया गया है।

- **वित्त पोषण आवश्यकताओं का समाधान करना:**
  - **राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA), 2013** का उद्देश्य राज्य के संस्थानों को उनके शासन एवं प्रदर्शन के संबंध में वित्तपोषण प्रदान करना है।
  - **उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA)[32], 2018,** शिक्षा मंत्रालय (MoE) और केनरा बैंक का एक संयुक्त उद्यम है। इसका उद्देश्य बाजार से धन, दान और निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व (CSR) निधि प्राप्त कर, शीर्ष संस्थानों की अवसंरचना में सुधार के लिए इनका उपयोग करना है।
- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों का बेहतर विनियमन: भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)[33]** को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE)[34] के स्थान पर उच्चतर शिक्षा के एक व्यापक विनियामक के रूप में कार्य करने हेतु प्रस्तावित किया गया है।
- **अनुसंधान पारितंत्र को पुनर्जीवित करना:**
  - **शिक्षा में बुनियादी ढांचे और प्रणालियों को पुनर्जीवित करना (RISE)[35] या राइज योजना** को पुनर्गठित उच्चतर शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (HEFA) द्वारा वित्तपोषित किया जाता है। इसका उद्देश्य प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों में अनुसंधान और संबंधित अवसंरचना में निवेश में वृद्धि करना है।
  - तकनीकी अनुसंधान की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए **प्रधान मंत्री अनुसंधान अध्येता (PMRF)[36] योजना** आरंभ की गई है।
  - **इंपैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT) इंडिया,** मूल वैज्ञानिक और तकनीकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए IITs और IISc की संयुक्त पहल है।
  - **अकादमिक और अनुसंधान सहयोग संवर्धन योजना (स्पार्क) (SPARC)[37]** का उद्देश्य भारतीय संस्थानों एवं विश्व के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के मध्य अकादमिक और अनुसंधान सहयोग को सुविधाजनक बनाकर भारत के उच्चतर शिक्षण संस्थानों के अनुसंधान परिवेश में सुधार करना है।
- **उच्चतर शिक्षा संस्थानों की गुणवत्ता में सुधार:**
  - **राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF)[38] 2015,** भारत में उच्चतर शिक्षा संस्थानों को रैंक प्रदान करने के लिए शिक्षा मंत्रालय (MoE) द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है। इसके अंतर्गत संस्थानों को एक-दूसरे के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। साथ ही, उनके विकास की दिशा में भी कार्य किया जाता है।
  - NIRF भी **उत्कृष्ट संस्थान/इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस (IoE) योजना** के लिए निजी संस्थानों के मूल्यांकन के मानदंडों में से एक है। ऐसे में, IoE विश्व स्तरीय शिक्षण और अनुसंधान संस्थानों के रूप में 20 संस्थानों (सार्वजनिक क्षेत्र से 10 तथा निजी क्षेत्र से 10) की स्थापना या उन्नयन के लिए विनियामक संरचना प्रदान करता है।
  - **अनिवार्य मूल्यांकन:** UGC ने वित्तपोषण के लिए आवेदन करने वाले सभी HEIs के लिए NAAC मूल्यांकन अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में, AICTE ने घोषणा की है कि HEIs द्वारा संचालित किए जा रहे कम से कम आधे कार्यक्रमों को राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (NBA) द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए।

[32] Higher Education Financing Agency

[33] Higher Education Commission of India

[34] All India Council for Technical Education

[35] Revitalising Infrastructure and Systems in Education

[36] Prime Minister's Research Fellows

[37] Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration

[38] National Institutional Ranking Framework

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

4. स्वास्थ्य (Health)

4.1. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) द्वितीय चरण {National Family Health Survey (NFHS-5) Phase II}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल हीं में, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) द्वितीय चरण के निष्कर्ष जारी किए।

अन्य संबंधित तथ्य

- NFHS के क्रमागत चरणों का मुख्य उद्देश्य **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा अन्य उभरते मुद्दों से संबंधित विश्वसनीय एवं तुलनात्मक डेटा प्रदान करना है।**
- NFHS-5 में कुछ **नए प्रमुख क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कि मृत्यु पंजीकरण, पूर्व-विद्यालय शिक्षा, बाल टीकाकरण के विस्तारित प्रक्षेत्र, मासिक धर्म स्वच्छता, अल्कोहल और तंबाकू के उपयोग की आवृत्ति आदि।**

सर्वेक्षण की मुख्य विशेषताएं (अखिल भारतीय स्तर)

क्या आप जानते हैं?

- **प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की कुल प्रजनन दर (TFR) को प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन दर कहते हैं।** इसे जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण में रखने के लिए आवश्यक माना जाता है।
- **नवजात मृत्यु दर (Neonatal mortality rate),** पहले 28 दिनों के दौरान सभी जीवित जन्मों में नवजात मृत्यु की संख्या को संदर्भित करती है। इसे प्रति 1,000 जीवित जन्मों के आधार पर व्यक्त किया जाता है।
- **शिशु मृत्यु दर (Infant mortality rate),** अपने प्रथम जन्मदिन से पहले किसी शिशु की मृत्यु को संदर्भित करती है। शिशु मृत्यु दर, प्रत्येक 1,000 जीवित जन्मों पर शिशु मृत्यु की संख्या को व्यक्त करती है।
- **पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर,** किसी विशिष्ट वर्ष या अवधि में जन्में बच्चे की पांच वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले मृत्यु की संभावना है।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष (अखिल भारतीय स्तर)

संकेतक	*NFHS* 5 (वर्ष 2019–21)	NFHS 4 (वर्ष 2015–16)	NFHS 4 से NFHS 5 में परिवर्तन
कुल प्रजनन दर (TFR) (प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या)	2.0	2.2	↓
कुल जनसंख्या में लिंगानुपात (प्रति 1,000 पुरुषों पर महिलाएं) • यह पहली बार है, जब किसी भी NFHS या जनगणना में लिंगानुपात महिलाओं के पक्ष में झुका हुआ है।	1,020	991	↑
नवजात मृत्यु दर (NMR)	24.9	29.5	↓
शिशु मृत्यु दर (IMR)	35.2	40.7	↓
पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर (U-5 MR)	41.9	49.7	↓
20-24 वर्ष की आयु की महिलाओं का विवाह 18 वर्ष की आयु से पहले हुआ (%)	23.3%	26.8%	↓
संस्थागत जन्म	88.6%	78.9%	↑
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे, जो ठिगनेपन से पीड़ित हैं (आयु के अनुरूप लम्बाई कम होना)	35.5%	38.4%	↓
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जो दुबलेपन से पीड़ित हैं (ऊंचाई के अनुरूप वजन कम होना)	19.3%	21%	↓
5 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिनका वजन कम है (आयु के अनुरूप वजन कम होना)	32.1%	35.8%	↓

4.2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान {The National Health Accounts (NHA) Estimates}

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, भारत के लिए वर्ष 2017-18 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान जारी किये गए।

- यह **राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र** द्वारा तैयार की गई लगातार **पांचवीं** NHA रिपोर्ट है। इसे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय (NHATS)[39] के रूप में नामित किया गया था।
  - NHA अनुमान **विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रदान किए गए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत सिस्टम ऑफ हेल्थ अकाउंट्स 2011 के आधार पर एक लेखांकन ढांचे का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं।**
- **प्रमुख निष्कर्ष:**

महत्वपूर्ण रुझान

आधार	वर्ष 2013-14	वर्ष 2017-18	वर्ष 2013-14 से वर्ष 2017-18 में परिवर्तन
कुल स्वास्थ्य व्यय के हिस्से के रूप में **आउट-ऑफ-पॉकेट व्यय** (OOPE)	64.2%	48.8%	↓
भारत की कुल GDP में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा	1.15%	1.35%	↑
कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा	28.6%	40.8%	↑
प्रति व्यक्ति के संदर्भ में सरकारी स्वास्थ्य व्यय	₹21,042	₹21,753	↑
वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का हिस्सा	51.1%	54.7%	↑
कुल स्वास्थ्य व्यय के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य के लिए बाहरी/दाता अनुदान	0.3%	2.3%	↑

- **अन्य निष्कर्ष**
  - **वर्तमान सरकारी स्वास्थ्य व्यय में प्राथमिक और द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल की हिस्सेदारी 80%** से अधिक है।
  - **स्वास्थ्य पर सामाजिक सुरक्षा व्यय के हिस्से में वृद्धि** हुई है। इसमें सामाजिक स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, सरकार द्वारा वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजनाएँ और सरकारी कर्मचारियों को दी गई चिकित्सा प्रतिपूर्ति शामिल हैं।

4.3. यूथेनेशिया (Euthanasia)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, कोलंबिया में एक व्यक्ति कानूनी तौर पर इच्छामृत्यु से मरने वाला पहला व्यक्ति बन गया। उस व्यक्ति ने लाइलाज बीमारी से पीड़ित हुए बिना इच्छामृत्यु का विकल्प चुना था।

अन्य संबंधित तथ्य

- **विक्टर एस्कोबार एंडियन देश में बिना लाइलाज बीमारी के कानूनी रूप से विनियमित इच्छामृत्यु से मरने वाला पहला व्यक्ति बन गया है।**
  - एस्कोबार अंतिम चरण के क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी रोग से पीड़ित था, जो जीवन की गुणवत्ता को बहुत कम कर देता है। साथ ही, कई अन्य गंभीर स्थितियां भी थीं।
- कोलंबियाई संवैधानिक न्यायालय ने पिछले वर्ष माना था कि **इच्छामृत्यु प्रक्रिया केवल लाइलाज बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों के लिए ही उपलब्ध नहीं होनी** चाहिए।

[39] National Health Accounts Technical Secretariat

इच्छामृत्यु या यूथेनेशिया के बारे में

- **इच्छामृत्यु को, किसी आश्रित व्यक्ति को उसके कथित लाभ के लिए कार्य या अकार्य द्वारा इरादतन उसका जीवन समाप्त करने की प्रक्रिया** के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।
  - इसे **'दया मृत्यु'** के रूप में भी जाना जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है, जिसके तहत किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित या अति कष्टदायक स्थिति में रहे व्यक्ति (जहां उसके जीवित बने रहने की कोई संभावना नहीं है) द्वारा इच्छामृत्यु की मांग की जाती है। इस प्रकार दर्द रहित तरीके से उसके जीवन को समाप्त करने में सहयोग किया जाता है।
- यह **ग्रीक शब्द 'eu' और 'thanatos' से लिया गया एक पद** है। इसका आशय **'सुलभ या आसान मृत्यु'** से है।
- इच्छामृत्यु मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं।
  - **सक्रिय इच्छामृत्यु अथवा एक्टिव यूथेनेशिया** का तात्पर्य लाइलाज रूप से बीमार व्यक्ति को इच्छामृत्यु की मांग पर उसके जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सक द्वारा इरादतन किए जाने वाले प्रयास से है। सामान्य तौर पर इसमें प्राणघातक दवा देना शामिल है।
  - **निष्क्रिय इच्छामृत्यु अथवा पैसिव यूथेनेशिया** का तात्पर्य जीवन बनाए रखने के लिए आवश्यक उपचार प्रदान नहीं करने या उपचार उपकरणों को हटा लेने से है।

इच्छामृत्यु के संबंध में भारत में न्यायिक निर्णय

- उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2011 **में अरुणा रामचंद्र शानबाग बनाम भारत संघ वाद में यह माना था कि असाधारण परिस्थितियों में निष्क्रिय इच्छामृत्यु की अनुमति दी जा सकती है।**
  - अरुणा शानबाग वाद से पहले, **ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य में आत्महत्या की वैधता पर** उच्चतम न्यायालय ने यह निर्दिष्ट किया था कि **अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मृत्यु का अधिकार शामिल नहीं है।**
- **कॉमन कॉज़ (पंजीकृत सोसाइटी) बनाम भारत संघ और अन्य वाद** में 9 मार्च 2018 को दिए गए निर्णय में **उच्चतम न्यायालय ने माना कि लगातार निष्क्रियता की स्थिति में पड़ा व्यक्ति निष्क्रिय इच्छामृत्यु का विकल्प चुन सकता है। असाध्य बीमारी के मामले में वह व्यक्ति चिकित्सा उपचार से इनकार करने के लिए लिविंग विल निष्पादित कर सकता है।**
  - "लिविंग विल" का आशय एडवांस में यानी पहले से दिए गए निर्देश से है। जब किसी व्यक्ति को पता होता है कि तत्काल या एक समय के बाद उसे जीवित रखने के लिए आवश्यक चिकित्सा देखभाल उपलब्ध होने या कराये जाने में बहुत अधिक परेशानी होगी, तब वह व्यक्ति अपनी इच्छा जाहिर कर इसके बारे में औपचारिक रूप से बताता है। **इस प्रकार की स्थिति में व्यक्ति लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को हटाने के लिए अपनी सहमति दे सकता है।**

लिविंग विल के लिए दिशा-निर्देश:

- लिविंग विल को स्वेच्छा से और किसी दबाव या प्रलोभन या मजबूरी के बिना निष्पादित किया जाएगा।
- लिविंग विल का **लिखित प्रारूप** में होना अनिवार्य है। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि कब चिकित्सीय उपचार समाप्त किया जा सकता है या किसी विशेष प्रकार का चिकित्सीय उपचार दिया जा सकता है, जिससे केवल पीड़ित की मृत्यु को टाला जा सकता है, जिसके नहीं होने से उस व्यक्ति का दर्द, वेदना और पीड़ा बढ़ सकता है।
- इसमें किसी भी समय आदेशों/निर्देशों/प्राधिकरण को रद्द करने के निष्पादक के अधिकार का उल्लेख होना चाहिए। साथ ही, उन स्थितियों और परिस्थितियों का भी उल्लेख होना चाहिए, जिनके तहत वह ऐसा कर सकता है।

भारत में इच्छामृत्यु

- भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 302 या 304 के तहत सक्रिय इच्छामृत्यु को एक अपराध माना गया है।
- **असाधारण परिस्थितियों** में भारत में **निष्क्रिय इच्छामृत्यु को क़ानूनी वैधता** प्रदान की गई है। निष्क्रिय इच्छामृत्यु के सिद्धांत को वर्ष 2011 में क़ानूनी वैधता प्रदान की गई थी।
  - वर्ष 2016 में, **मरणासन्न रोगियों का चिकित्सीय उपचार (रोगियों और चिकित्सा व्यवसायियों का संरक्षण) विधेयक, 2016 प्रस्तुत किया गया था।** इसमें सक्षम रोगियों के लिए स्वयं के चिकित्सीय उपचार को रोकने के बारे में सूचित निर्णय लेने का प्रावधान किया गया था। इसने देश में निष्क्रिय इच्छामृत्यु के कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त किया था।
  - वर्ष 2018 के निर्णय ने निष्क्रिय इच्छामृत्यु के कार्यान्वयन को कठिन बना दिया है। इसका कारण यह है कि अब इसमें निदेश के निष्पादन की प्रक्रिया को दो गवाहों की उपस्थिति में निम्नलिखित द्वारा प्रमाणित किया जाता है:
    - न्यायिक मजिस्ट्रेट,
    - दो चिकित्सा बोर्डों से अनुमति तथा
    - क्षेत्राधिकार के साथ कलेक्टर।
- **अग्रिम निदेशों (या लिविंग विल) का दुरुपयोग होने की आशंकाओं के प्रत्युतर में, न्यायालय ने अग्रिम निदेश के निष्पादन की प्रक्रिया पर और साथ ही निष्क्रिय इच्छामृत्यु को कार्यान्वित करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं।**
  - जब तक संसद इस विषय पर कानून नहीं बनाती, तब तक ये दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे।

संबंधित सुर्ख़ियाँ

प्रशामक देखभाल (Palliative Care)

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने प्रशामक देखभाल को जानलेवा बीमारी या गंभीर स्वास्थ्य संबंधी कष्टों से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रहे **रोगियों और उनके परिवारों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने वाली पद्धति** के रूप में परिभाषित किया है।

- WHO के अनुसार, **"प्रशामक देखभाल एक मानवाधिकार है और सभी स्वास्थ्य प्रणालियों के लिए एक नैतिक अनिवार्यता है।"**

- **WHO के अनुसार:**
  - **10 जरूरतमंद लोगों में से केवल एक व्यक्ति को** प्रशामक देखभाल **प्राप्त हो रही है।**
  - प्रत्येक वर्ष 56.8 मिलियन से अधिक लोगों को प्रशामक देखभाल की आवश्यकता होती है। इनमें से लगभग 78% लोग निम्न और मध्यम आय वाले देशों में रहते हैं।
  - जीवन के समक्ष खतरा पैदा करने वाली बीमारियों से ग्रस्त लोगों की देखभाल की **वैश्विक मांग बढ़ती जा रही है।** इसका कारण यह है कि आबादी की आयु और गैर-संचारी रोगों का प्रसार बढ़ रहा है।
  - **वर्ष 2060 तक,** प्रशामक देखभाल की आवश्यकता **लगभग दोगुनी** होने की उम्मीद है।
- प्रशामक देखभाल की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए, WHO ने विभिन्न देशों को प्रशामक देखभाल के विकास का आकलन करने एवं सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करने में सहायता करने के लिए दो नए उपाय जारी किए हैं। **ये उपाय हैं-**
  - **संकेतकों के साथ तकनीकी रिपोर्ट** जिनका उपयोग देशों द्वारा सेवाओं की प्रदायगी की निगरानी के लिए किया जा सकता है। इसका लक्ष्य है संकेतकों पर वैश्विक सहमति बनाना। साथ ही, निर्णय लेने का समर्थन करने वाले डेटा भी प्रदान करना है।
  - **तकनीकी सार (टेक्निकल ब्रीफ),** इसमें नीति, रणनीति और अभ्यास का समर्थन करने के लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण एवं संसाधन शामिल हैं। सार गाइड (ब्रीफ गाइड) राष्ट्रीय, जिला स्तर और देखभाल के बिंदु पर कार्रवाई करती है।

4.4. भारत में तंबाकू का सेवन (Tobacco Use in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

"भारत में तंबाकू के उपयोग से होने वाली बीमारियों और मृत्युओं की आर्थिक लागत"[40] नामक शीर्षक से प्रकाशित विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि भारत में तंबाकू के सेवन से होने वाली बीमारियों और मृत्यु का आर्थिक बोझ इसके **सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 1 प्रतिशत के बराबर है।**

भारत में तंबाकू का सेवन

- तंबाकू वर्तमान विश्व में समय से पूर्व रोके जा सकने वाले मृत्यु और रोग का सबसे प्रमुख कारण है। इसका सेवन करने वाले लगभग आधे लोगों की समय से पहले मृत्यु हो जाती है।
- **ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे-इंडिया (GATS2)** के अनुसार, भारत में **27 करोड़ से अधिक लोग तंबाकू का सेवन करते हैं** तथा विश्व स्तर पर यह तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक व उपभोक्ता देश है।
  - हालांकि, वर्ष 2009-10 से वर्ष 2016-17 की अवधि के दौरान तंबाकू के सेवन की व्यापकता **34.6% से घटकर 28.6%** रह गई है।
- वर्तमान में **महिलाओं में 14.2%** की तुलना में **पुरुषों में** तंबाकू के सेवन की व्यापकता **42.4%** है।
- पुरुषों और महिलाओं दोनों में, **शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में तंबाकू के सेवन की व्यापकता अधिक** है।

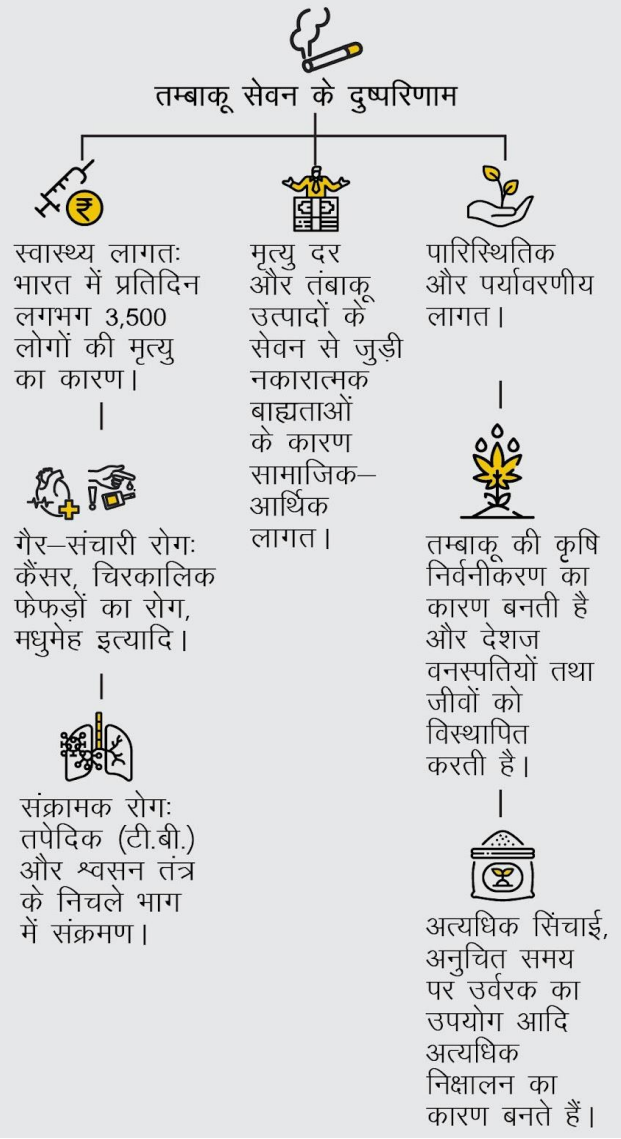

भारत में उठाए गए कदम

- भारत वर्ष 2005 में **WHO फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल (FCTC)** का एक पक्षकार बना था।
  - FCTC वस्तुतः WHO के तत्वावधान में वार्ता के माध्यम से निर्मित की गई प्रथम **अंतर्राष्ट्रीय संधि** है। इसे तंबाकू जनित महामारी के वैश्वीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया हेतु

[40] Economic Costs of Diseases and Deaths Attributable to Tobacco Use in India

© Vision IAS

विकसित किया गया है।

- विश्व स्वास्थ्य संगठन का FCTC व्यसनकारी पदार्थों (addictive substances) के मुद्दों का समाधान करने के लिए **मांग में कमी से संबद्ध रणनीतियों के साथ-साथ आपूर्ति के मुद्दों,** दोनों के महत्व पर बल देता है।

- भारत में तंबाकू सेवन को नियंत्रित करने या इसपर लगाम लगाने के लिए **सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003**[41], अधिनियमित किया गया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान मुक्त करना तथा तंबाकू के विज्ञापन और प्रचार पर प्रतिबंध आरोपित करना है।

- वर्ष 2007-08 में **राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम (NTCP)**[42] आरंभ किया गया था। इसका लक्ष्य तंबाकू सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता सृजित करना था। साथ ही, COTPA, 2003 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना भी इसका एक प्रमुख उद्देश्य था।
- **किशोर न्याय अधिनियम, 2015** बच्चों को तंबाकू उत्पाद देने या बेचने के विरुद्ध कठोर दंड का प्रावधान करता है।
- **राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2017 के तहत वर्ष 2025 तक तंबाकू के सेवन को 30% तक कम करने** का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है।
- टोल फ्री नंबर के माध्यम से समुदाय को तंबाकू त्यागने के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करने हेतु **राष्ट्रीय स्तर की तंबाकू निषेध क्विट-लाइन जारी की गई है।**
- तंबाकू उत्पाद पैकेज के **आगे और पीछे के पैनल के 85% हिस्से को कवर करने के लिए सचित्र स्वास्थ्य चेतावनी जारी करना अनिवार्य किया गया है।**
- **इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम, 2019** ई-सिगरेट के उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन को प्रतिबंधित करता है।

4.5. भारत में द्वितीयक स्वास्थ्य देखभाल (Secondary Health Care in India)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, नीति आयोग ने "जिला अस्पतालों के कामकाज में अपनाये जा रहे तौर-तरीके" शीर्षक से एक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट जारी की।

अन्य संबंधित तथ्य

- यह जिला अस्पतालों के प्रदर्शन-मूल्यांकन से संबंधित प्रथम रिपोर्ट है। यह स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ प्राप्त करने वाले समुदायों और लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवा वितरण प्रणाली के डेटा-संचालित अभिशासन की ओर संक्रमण का प्रतीक है।
  - यह रिपोर्ट नीति आयोग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा WHO-इंडिया द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है।

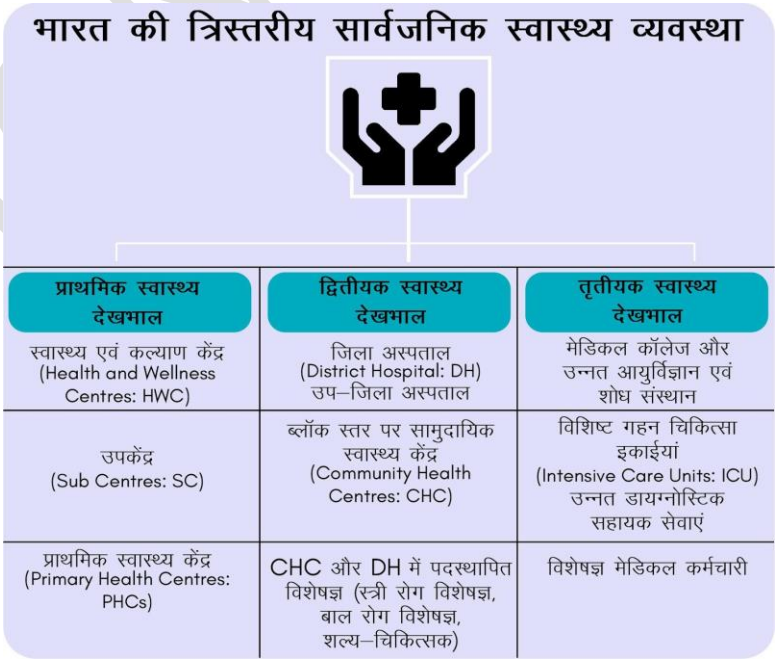

इस रिपोर्ट की मुख्य विशेषताएं

- **भारत में जिला अस्पतालों में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर औसतन 24 बिस्तर हैं। इन आंकड़ों में बिहार में न्यूनतम 6 बिस्तर और पुडुचेरी में सर्वाधिक 222 बिस्तर हैं।**
  - **भारतीय जन स्वास्थ्य मानक** (IPHS)[43] 2012 के दिशा-निर्देश में यह अनुशंसा की गई थी कि जिला अस्पतालों में **प्रति 1 लाख जनसंख्या के लिए** (वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर) कम से कम **22 बिस्तर** होने चाहिए।

[41] Cigarettes and other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade, Commerce, Production, Supply and Distribution) Act (COTPA), 2003

[42] National Tobacco Control Programme

- भारत में एक जिला अस्पताल में औसतन **11 सहायता सेवाएं** उपलब्ध हैं। इसके विपरीत, IPHS ने 14 सहायता सेवाओं की पहचान की है, जो एक जिला अस्पताल द्वारा अवश्य उपलब्ध करवाई जानी चाहिए।
- **आकलन किए गए कुल 707 जिलों में से केवल 189** (लगभग 27%) **ने प्रति 100 बिस्तर पर 29 चिकित्सकों** (IPHS के आदर्श के आधार पर) **के अनुपात को पूरा किया है।**
- **भारत में जिला अस्पतालों में औसत बिस्तर उपयोग दर 57% है** (IPHS दिशा-निर्देश कम से कम 80% बिस्तर उपयोग की सलाह देते हैं)।
- जिला अस्पताल अपने सेवा वितरण में सुधार करने के लिए **विभिन्न क्षेत्रों में अनूठी पहल कर रहे हैं।**
  - उदाहरण के लिए, **बेलगाम जिला अस्पताल, कर्नाटक में 0% की प्रभावशाली ब्लड बैंक प्रतिस्थापन दर है** (प्रतिस्थापन पर जारी 0 यूनिट ब्लड)।

संबंधित सुर्खियाँ

नीति आयोग ने भारत में गैर-लाभकारी अस्पताल मॉडल पर रिपोर्ट जारी की

- **निजी अस्पतालों को वृहद पैमाने पर "लाभ हेतु अस्पतालों",** जो उपचारित रोगों के 23.3% के लिए उत्तरदायी हैं और **"गैर-लाभ हेतु अस्पतालों",** जो उपचारित रोगों के केवल 1.1 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं; **में विभाजित किया गया है।**
- रिपोर्ट ने गैर-लाभ हेतु अस्पतालों की चार श्रेणियों को परिभाषित किया है (इन्फोग्राफिक देखें)।

	आस्था आधारित अस्पताल	समुदाय आधारित अस्पताल	सहकारी अस्पताल	निजी न्यास अस्पताल
प्रांगण	ईश्वर की सेवा के रूप में समाज की निस्वार्थ सेवा।	समाज के वंचितों के लिए निस्वार्थ सेवा, आवश्यक नही कि आस्था से प्रभावित हो	स्वयं की भागीदारी से स्वास्थ्य सेवा में आत्मनिर्भरता	बिना लाभ और हानि के आधार पर प्रदान की गई सेवा

गैर-लाभ वाले मॉडल की आवश्यकता

- विशेषकर समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बीच **गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच का अभाव।**
- स्वास्थ्य सेवाओं की **अनुपलब्धता और उनकी अवहनीयता** से संबद्ध चुनौतियाँ।
- **भारत में बिस्तर घनत्व** (1/1000 जनसंख्या) शेष विश्व की तुलना में बहुत कम है।
- शहरी क्षेत्रों में अस्पताल संबंधी सेवाओं का उच्च स्तर (अस्पताल बिस्तरों का 72 प्रतिशत) है।

4.6. नशीली दवाओं का सेवन (Drug Abuse)

सुर्ख़ियों में क्यों?

नशीली दवाओं का उपयोग करने और नशा करने वालों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण का आह्वान करते हुए, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने **उन्हें कारावास के दंड से मुक्त करने** के लिए स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ (NDPS)[44] अधिनियम में बदलाव की सिफारिश की है।

अन्य संबंधित तथ्य

- मंत्रालय ने सुझाव दिया है कि नशीली दवाओं का उपयोग करने वालों और नशा करने वालों को **'पीड़ित व्यक्ति' माना जाए**, जिन्हें **नशामुक्ति एवं पुनर्वास** की आवश्यकता है तथा उनके विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए।
- इसमें व्यक्तिगत उपभोग के लिए नशीली दवाओं की **'थोड़ी मात्रा' रखे जाने को अपराध से मुक्त** किए जाने की बात कही गई है।

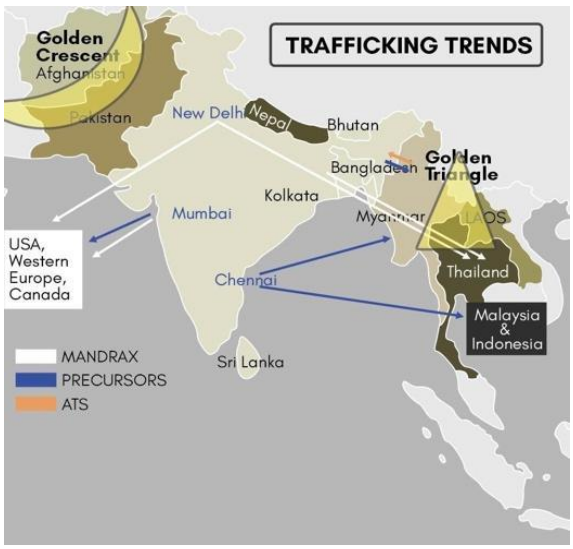

---

[43] Indian Public Health Standards

[44] Narcotic Drugs and Psychotropic Substances

नशीली दवाओं का सेवन

- **नशीली दवाओं के सेवन या मादक द्रव्यों के सेवन** का तात्पर्य शराब और अवैध नशीली दवाओं सहित **मनःसक्रिय पदार्थों के हानिकारक या खतरनाक उपयोग** से है।
  - मनः-सक्रिय पदार्थ वे पदार्थ हैं, जो शरीर में लिए जाने या प्रयोग किए जाने पर **मानसिक स्थिति को प्रभावित करते हैं।**
- भारत उच्चस्तरीय नशीली दवाओं के दुरुपयोग के प्रति सुभेद्य है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से, भारत **गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रिसेंट** के बीच स्थित है। ये प्रमुख **अफीम उत्पादक क्षेत्र** हैं। इस प्रकार, भारत मादक पदार्थों की तस्करी के केंद्र के रूप में कार्य करता है (मानचित्र देखें)।

नशीली दवाओं के सेवन को रोकने के लिए सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें

- **स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (NDPS** अधिनियम): इसे स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों के संबंध में **कठोर प्रावधान करने और सख्त कानून बनाने** के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था।
  - इस अधिनियम के तहत **नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो** का गठन किया गया है जो नशीली दवाओं से जुड़े कानूनों के प्रवर्तन, संग्रह, और **खुफिया जानकारी** के प्रसार आदि में लगी विभिन्न एजेंसियों के बीच स**मन्वय** जैसे कार्य करता है।
- **शराब और मादक द्रव्यों (नशीली दवाओं) के सेवन की रोकथाम के लिए सामाजिक और रक्षा सेवाओं के लिए केंद्रीय क्षेत्रक की सहायता योजना:** यह योजना शराब और मादक द्रव्यों (नशीली दवाओं) के सेवन की रोकथाम के लिए स्वयंसेवी संगठनों की मदद करती है।
- **मानसिक स्वास्थ्य देख-रेख अधिनियम (2017)** में इसके दायरे में **शराब और नशीली दवाओं के उपयोग** से जुड़े विकारों को शामिल किया गया है। इस उपाय से **मादक द्रव्यों के सेवन से जुड़े विकारों से ग्रस्त लोगों के लिए देखभाल और पुनर्वास** के न्यूनतम मानक की उपलब्धता और पहुँच में वृद्धि होने की संभावना है।
- **राष्ट्रीय सर्वेक्षण**: सरकार द्वारा **2018 के दौरान** देश में **नशीली दवाओं के सेवन की व्यापकता** का विश्लेषण करने के लिए, **AIIMS**, नई दिल्ली के राष्ट्रीय औषध निर्भरता उपचार केंद्र (NDDTC) के माध्यम से भारत में मादक द्रव्यों के उपयोग की सीमा और पैटर्न पर **पहला राष्ट्रीय सर्वेक्षण** किया गया था।
- **2018-2025 की अवधि के लिए नशीली दवाओं की माँग में कमी लाने के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPDDR)**: सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा निर्मित एवं कार्यान्वित इस योजना का उद्देश्य बहु-आयामी रणनीति के माध्यम से नशीली दवाओं के सेवन के **प्रतिकूल परिणामों को कम करना** है जिसमें जागरूकता पैदा करने वाले कार्यक्रम, सामुदायिक पहुँच, क्षमता निर्माण कार्यक्रम आदि शामिल है।
- **2020** में शुरू किए गए **'नशा मुक्त भारत अभियान'** में विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर **देश के 272 जिलों को सबसे अधिक सुभेद्य पाया गया है।**
- **संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन**: भारत **नशीली दवाओं पर तीन संयुक्त राष्ट्र सम्मेलनों,** यथा स्वापक औषधि पर एकल सम्मेलन **1961,** मन: प्रभावी पदार्थों पर सम्मेलन, **1971** और स्वापक औषधियों और मन: प्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी के खिलाफ सम्मेलन, **1988** का पक्षकार है।

4.7. गेमिंग डिसऑर्डर (Gaming Disorder)

सुर्ख़ियों में क्यों?

गेमिंग डिसऑर्डर तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि कोविड महामारी ने इंटरनेट उपकरणों के उपयोग को बढ़ावा दिया है।

अन्य संबंधित तथ्य

- ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन के अनुसार, भारत का **ऑनलाइन गेमिंग उद्योग 2023 तक 15,500 करोड़ रुपए होने की उम्मीद है।**
- U.S. स्थित लाइमलाइट नेटवर्क्स द्वारा 2019 में किए गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि
  - दक्षिण कोरिया के बाद **भारत में खिलाड़ियों की दूसरी सबसे बड़ी संख्या थी**, और

- जहाँ **भारतीय खिलाड़ियों का** ऑनलाइन व्यतीत किया गया समय अभी भी अन्य देशों से अधिक नहीं है, वहीं यह **पाया गया कि लगभग एक चौथाई वयस्क भारतीय खिलाड़ियों** ने गेम खेलते समय अपने **काम में लापरवाही बरती थी।**

- पिछले महीने, **चीन ने 18 साल से कम उम्र के खिलाड़ियों के लिए प्रति सप्ताह ऑनलाइन गेम** की **निर्दिष्ट समय सीमा को केवल तीन घंटे तक** सीमित कर दिया और इस प्रतिबंध को लागू करने के लिए उद्योगों को जिम्मेदार ठहराया गया है।

गेमिंग डिसऑर्डर के बारे में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने 2018 में गेमिंग डिसऑर्डर को मानसिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में वर्गीकृत किया था।
- WHO की परिभाषा के अनुसार, गेमिंग डिसऑर्डर वाले व्यक्ति में कम से कम 12 महीनों तक निम्नलिखित लक्षण दिखाई देते हैं:
  - अपनी गेम खेलने की आदतों पर नियंत्रण का अभाव।
  - अन्य रुचियों और गतिविधियों की तुलना में गेम खेलने को प्राथमिकता देना।
  - इसके नकारात्मक परिणामों के बावजूद गेम खेलना जारी रखना।
- इस प्रकार, WHO के अनुसार, **इन मानदंडों के तहत खेलने में बिताए गए घंटों की संख्या शामिल नहीं है।** इसके बजाय, यह विवरण ऐसे व्यक्ति का है जो **गेम खेलना बंद करने में असमर्थ होता है**, भले ही यह जीवन के अन्य क्षेत्रों, जैसे कि पारिवारिक संबंध, स्कूल, काम और नींद में बाधा उत्पन्न करता हो।
- **परिणाम:**
  - गेमिंग डिसऑर्डर शारीरिक, सामाजिक एवं भावनात्मक क्षति, नींद और भूख में कमी तथा करियर और सामाजिक जीवन में हानि पहुंचाने का कारण बनता है।
  - दिल्ली स्थित डिस्ट्रेस मैनेजमेंट कलेक्टिव नामक एक गैर सरकारी संगठन ने अन्य उदहारण देते हुए इस बात की पुष्टि की कि ऑनलाइन गेमिंग, वित्तीय संकट का कारण भी बन सकता है। "गरीब परिवार के लिए, गेमिंग की लत की पूर्ति करने के लिए मोबाइल फोन रिचार्ज करने के लिए आवश्यक धन भी परिवार को संकट में डाल सकता है।"
  - जो लोग गेम खेलने के कारण लंबे समय तक शारीरिक रूप से निष्क्रिय रहते हैं। उनमें मोटापे, नींद की समस्या और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का खतरा भी अधिक होता है।

4.8. हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया'ज मिसिंग मिडिल (Health Insurance for India's Missing Middle)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग ने 'हेल्थ इंश्योरेंस फॉर इंडिया'ज मिसिंग मिडिल' पर रिपोर्ट जारी की है।**

संबंधित तथ्य

- भारत में **स्वास्थ्य देखभाल के लिए एक विकेंद्रीकृत दृष्टिकोण** है। यह स्वास्थ्य बीमा को वैकल्पिक बनाने की अनुमति प्रदान करता है।
- भारत में **कई प्रकार की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं** हैं।
  - केंद्र प्रायोजित **आयुष्मान भारत-प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY)** जैसी सरकारी सब्सिडी वाली स्वास्थ्य बीमा योजनाएं और राज्य विशिष्ट योजनाएं जैसे **'आरोग्य कर्नाटक योजना'** इत्यादि।

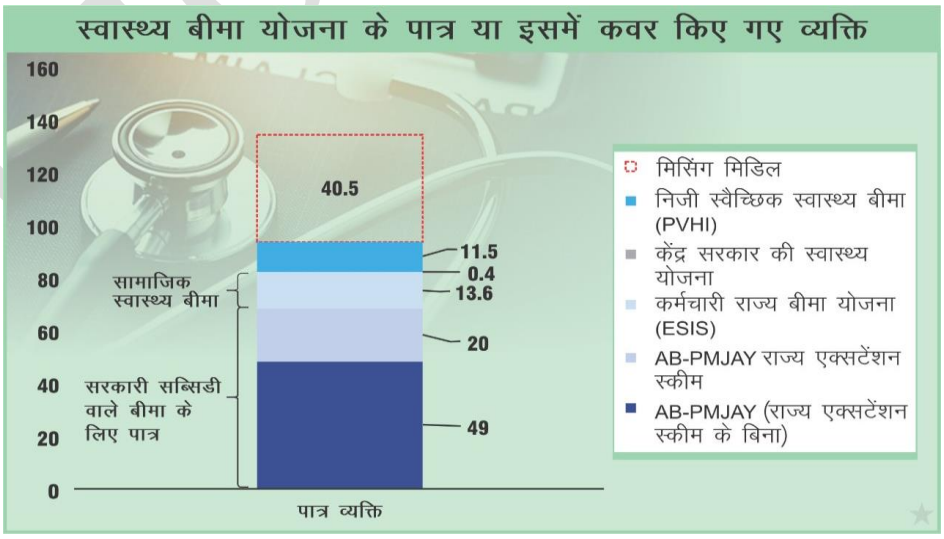

  - कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC)[45] द्वारा संचालित **कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESIS)** जैसी **सामाजिक स्वास्थ्य बीमा (SHI)[46]** योजनाएं। रेलवे और रक्षा जैसे केंद्रीय विभागों के पास अपने कर्मचारियों के लिए अलग-अलग योजनाएं हैं। इसके अतिरिक्त, अर्धसैनिक बलों के सीमावर्ती क्षेत्रों में बड़े अस्पताल हैं।

[45] Employee State Insurance Corporation

© Vision IAS

- **निजी स्वैच्छिक स्वास्थ्य बीमा (PVHI)[47] योजनाएं** आदि।

- इस रिपोर्ट के अनुसार कम से कम **30% आबादी (40 करोड़ लोग) स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार की वित्तीय सुरक्षा से वंचित है।** इस आबादी को **मिसिंग मिडिल** कहा गया है।
  - मिसिंग मिडिल वंचित गरीब वर्गों और अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संपन्न संगठित क्षेत्र के बीच स्थित आबादी का गैर-निर्धन वर्ग है। यह वर्ग अंशदान वाले स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान करने की वित्तीय क्षमता के बावजूद, निर्धन कर देने वाले स्वास्थ्य व्यय के प्रति प्रवण होता है।
  - इसमें शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों से कई समूह शामिल होते हैं।
  - यह मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार (कृषि और गैर-कृषि) अनौपचारिक क्षेत्र तथा शहरी क्षेत्रों में अनौपचारिक, अर्ध-औपचारिक एवं औपचारिक व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला का सृजन करता है।

[46] Social Health Insurance

[47] Private Voluntary Health Insurance

5. पोषण और स्वच्छता (Nutrition and Sanitation)

5.1. वैश्विक भुखमरी सूचकांक, 2021 {Global Hunger Index (GHI), 2021}

सुर्ख़ियों में क्यों?

वर्ष 2021 के वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) में भारत को 116 देशों में से 101वां स्थान प्राप्त हुआ है। ज्ञातव्य है कि इस रैंकिंग में यह अपने दक्षिण एशियाई पड़ोसियों यथा **पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल** से भी पीछे रह गया है।

वैश्विक भुखमरी सूचकांक (GHI) के बारे में

- GHI का उपयोग वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर भुखमरी के स्तर को मापने तथा निगरानी करने के लिए किया जाता है।
- उच्च आय वाले देश GHI में शामिल नहीं हैं।
- GHI को **वेल्थहुंगरहिल्फ़े** (हाल ही तक कंसर्न वर्ल्डवाइड के साथ संयुक्त रूप में) द्वारा वर्ष 2000 से प्रकाशित किया जा रहा है।
- GHI भुखमरी को 100 बिन्दु स्केल पर मापता है। जहां 0 सर्वोत्तम संभावित अंक है (कोई भुखमरी नहीं) और 100 सबसे खराब।

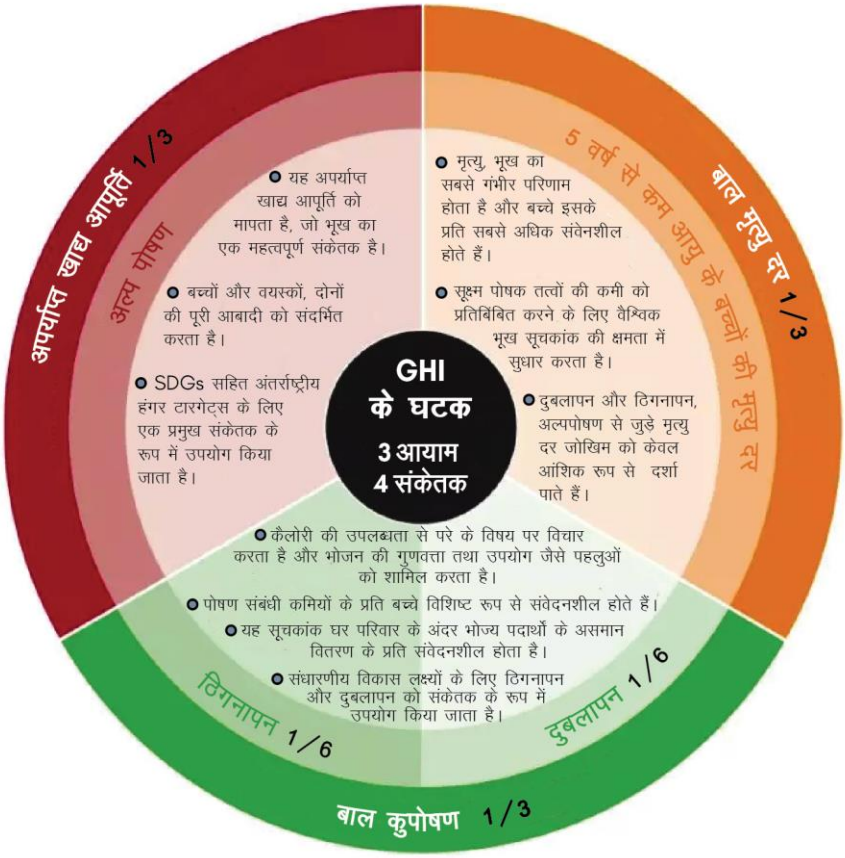

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं:

- **वैश्विक परिदृश्य:** 17.9 के GHI स्कोर को दर्शाने वाली वैश्विक भुखमरी, मध्यम (moderate) श्रेणी में है। समस्त विश्व, 2030 तक भुखमरी के स्तर को कम करने में सफल नहीं हो सकेगा।
- **प्रेरक शक्ति:** विवाद, जलवायु परिवर्तन और कोविड-19 महामारी, भुखमरी को संचालित करने वाले अत्यंत शक्तिशाली घटक हैं।
- **विश्वभर में भुखमरी का स्तर:**
  - **अत्यधिक भुखमरी वाले क्षेत्र: सोमालिया में भुखमरी का उच्चतम स्तर है।** चीन, ब्राजील और कुवैत सहित 18 देश शीर्ष देशों में शामिल हैं। **सहारा के दक्षिण में स्थित अफ्रीका और दक्षिण एशिया,** विश्व के वह क्षेत्र हैं, जहां भुखमरी का स्तर सबसे अधिक है। दोनों क्षेत्रों में भुखमरी की समस्या को **गंभीर** माना जा रहा है।
  - **बेहतर प्रदर्शन करने वाले देश:** सभी क्षेत्रों में से यूरोप और मध्य एशिया का वर्ष 2021 का GHI स्कोर सबसे कम है।
- **भारत के संदर्भ में:** 27.5 के स्कोर के साथ भारत का भुखमरी स्तर गंभीर है। विभिन्न घटकों में भारत का प्रदर्शन:
  - पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **दुबलापन: 17.3 प्रतिशत।**
  - आबादी में **कुपोषितों** का अनुपात: 15.3 प्रतिशत।
  - पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **ठिगनापन:** 34.7 प्रतिशत।
  - पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों में **मृत्यु दर:** 3.4 प्रतिशत।

अन्य संबंधित सुर्ख़ियाँ

नीति आयोग ने मातृ, किशोरावस्था और बाल्यावस्था में मोटापे की रोकथाम पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

DELHI | JAIPUR | PUNE | HYDERABAD | AHMEDABAD | LUCKNOW | CHANDIGARH | GUWAHATI © Vision IAS

- वार्ता का उद्देश्य भारत में बच्चों, किशोरों और महिलाओं में **अधिक वजन तथा मोटापे की रोकथाम के लिए नीतिगत विकल्प विकसित** करना है।
- नीति आयोग ने **मोटापे को 'मौन महामारी'** की संज्ञा प्रदान की है।
  - **25 से अधिक बॉडी मास इंडेक्स (BMI) वाले व्यक्ति को अधिक वजन वाले व्यक्ति के रूप में संदर्भित** किया जाता है और 30 से अधिक BMI को मोटापे के रूप में जाना जाता है।
  - अधिक वजन वाले या मोटापे से ग्रसित बच्चों की संख्या **विकासशील देशों में सर्वाधिक है**। यहां मोटापे में वृद्धि की दर विकसित देशों की तुलना में 30% से अधिक रही है।
- **मोटापे के जोखिम कारक:**
  - अस्वास्थ्यकर खाद्य परिवेश (अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों तक/की पहुंच/उपलब्धता, वांछनीयता और सुलभता);
  - अपर्याप्त शारीरिक गतिविधि और निष्क्रिय जीवन शैली (शारीरिक श्रम न करना);
  - अपर्याप्त स्तनपान प्रथाएं;
  - माता-पिता का मोटापा, मातृ अल्पपोषण आदि।
- **मोटापा कम करने की दिशा में भारत की कार्रवाई:**
  - **भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की ईट राइट इंडिया पहल:** सुरक्षित और पौष्टिक आहार के सेवन की अनिवार्यता पर बल देना, विद्यालय परिसर के आसपास स्वास्थ्यप्रद खाद्य को बढ़ावा देना आदि।
  - **फिट इंडिया पहल:** इसके अंतर्गत फिटनेस और शारीरिक गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने एवं फिटनेस को प्रत्येक स्कूल, कॉलेज तथा गांव तक विस्तारित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है।
  - नवजात और शिशु स्तनपान को प्रोत्साहन देने के लिए **माँ का पूर्ण स्नेह (MAA)[48] कार्यक्रम** आरंभ किया गया है।

5.2. विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2021 (State of Food Security and Nutrition in the World 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने **'विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2021'** नामक शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है।

विश्व में खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति रिपोर्ट, 2021 रिपोर्ट के बारे में

- यह संयुक्त रूप से **खाद्य एवं कृषि संगठन** (FAO), **अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष** (IAFD), **संयुक्त राष्ट्र बाल कोष** (यूनिसेफ/UNICEF), **विश्व खाद्य कार्यक्रम** (WFP) और **विश्व स्वास्थ्य संगठन** (WHO) द्वारा तैयार की गई है।
- यह रिपोर्ट वर्ष 2020 के लिए **खाद्य असुरक्षा और कुपोषण का प्रथम वैश्विक मूल्यांकन** प्रस्तुत करती है। साथ ही, वैश्विक खाद्य सुरक्षा और पोषण की स्थिति पर सभी का ध्यानाकर्षण करने हेतु इस पर गहन चिंतन की आवश्यकता को रेखांकित करती है।

[48] Mother's Absolute Affection

सतत विकास लक्ष्य (SDGs)

- **लक्ष्य 2.** भुखमरी की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा एवं बेहतर पोषण प्राप्त करना और स्थायी कृषि को बढ़ावा देना।
- **लक्ष्य 2.1:** वर्ष 2030 तक भुखमरी का उन्मूलन करना। साथ ही, सभी लोगों, विशेषकर गरीब और शिशुओं सहित सुभेद्य वर्गों को पूरे वर्ष सुरक्षित, पौष्टिक तथा पर्याप्त भोजन सुलभ कराने की व्यवस्था करना।
  - **2.1.1:** अल्पपोषण की व्यापकता।
  - **2.1.2: खाद्य असुरक्षा अनुभव स्केल (FIES)** के आधार पर जनसंख्या में मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा की व्यापकता।

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

मापदंड	निष्कर्ष
वर्ष 2020 में भुखमरी से पीड़ित लोग	• अनुमानित **720 मिलियन से 811 मिलियन तक लोग भुखमरी से पीड़ित थे।** • वर्ष 2019 की तुलना में लगभग **118 मिलियन अधिक लोग भुखमरी से पीड़ित थे।** • **अफ्रीका में 21 प्रतिशत** जनसंख्या भुखमरी से पीड़ित है (किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सर्वाधिक)।
कुपोषण की व्यापकता	• विश्व, वर्ष 2030 तक किसी भी पोषण संकेतक के अंतर्गत निर्धारित **लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर नहीं है।** • **वर्ष 2014 से वर्ष 2019 तक वस्तुतः स्थिति अपरिवर्तित** रही है। • वर्ष 2019 और वर्ष 2020 के मध्य यह **8.4 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 9.9 प्रतिशत** हो गई है। • **कुपोषण से पीड़ित आधी से अधिक आबादी एशिया में** और एक तिहाई से अधिक आबादी अफ्रीका में निवास करती है। • **वर्ष 2016 में 13.1 प्रतिशत वयस्क मोटापे से पीड़ित थे।**
वैश्विक स्तर पर मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा (खाद्य असुरक्षा अनुभव के पैमाने पर आधारित)	• यह वर्ष 2014 में 22.6 प्रतिशत थी, जो वर्ष 2019 में बढ़कर 26.6 प्रतिशत हो गयी थी। • वर्ष 2020 में **पुरुषों की तुलना में यह महिलाओं में 10 प्रतिशत अधिक** थी। • वर्ष 2020 में विश्व में तीन में से एक व्यक्ति के पास पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं था।
बाल कुपोषण	• **ठिगनापन (Stunting):** पांच वर्ष से कम आयु के **22.0 प्रतिशत** बच्चे ठिगनेपन से पीड़ित हैं। • **दुबलापन (Wasting):** पांच वर्ष से कम आयु के **6.7 प्रतिशत** बच्चे दुबलेपन से पीड़ित हैं। • **अधिक वजन (Overweight):** पांच वर्ष से कम आयु के **5.7 प्रतिशत** बच्चे अधिक वजन के हैं। • **वर्ष 2019 में** 6 माह से कम आयु के **44 प्रतिशत शिशुओं को विशेष रूप से स्तनपान (exclusively breastfed)** कराया गया **(वर्ष 2012 में 37%)** था।

भारत विशिष्ट निष्कर्ष

मापदंड	निष्कर्ष
कुपोषण की व्यापकता	• वर्ष 2018-20 के दौरान कुपोषण की दर **15.3%** (2004-06 के दौरान 21.6 %) थी। • **वयस्क मोटापा (Adult obesity):** वर्ष 2016 में **3.9%**
बाल कुपोषण	• **ठिगनापन:** भारत में पांच वर्ष से कम आयु के **30.9%** बच्चे ठिगनेपन से पीड़ित हैं। • **दुबलापन:** पांच वर्ष से कम आयु के **17.3%** बच्चे दुबलेपन से पीड़ित हैं। • **अधिक वजन:** पांच वर्ष से कम आयु के **1.9%** बच्चे अधिक वजन के हैं। • 0-5 माह की आयु के शिशुओं में **विशेष स्तनपान: वर्ष 2019 में 58%** था।

5.3. वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2021 (Global Nutrition Report 2021)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में जारी वैश्विक पोषण रिपोर्ट (GNR), 2021 से पता चलता है कि विश्व अभी भी पोषण संकट का सामना कर रहा है।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट के बारे में:

- GNR एक **बहु-हितधारक पहल** है। इसमें एक हितधारक समूह, स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह और सचिवालयी रिपोर्ट शामिल हैं।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट की कल्पना **वर्ष 2013 में प्रथम न्यूट्रिशन फॉर ग्रोथ इनिशिएटिव समिट (N4G) के बाद** की गई थी। यह सरकारों, सहायता प्रदाताओं, नागरिक समाज, संयुक्त राष्ट्र और व्यवसायों में फैले 100 हितधारकों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं पर नज़र रखने के लिए एक तंत्र के रूप में स्थापित है।

- GNR वैश्विक, क्षेत्रीय और विभिन्न देशों के मध्य **विश्व की पोषण स्थिति** के बारे में विवरण प्रदान करती है। साथ ही, अपने सभी रूपों में **असंतुलित आहार और कुपोषण से निपटने के संघर्ष में सामना की जा रही चुनौतियों का आकलन करती है।**
  - यह रिपोर्ट **पोषण पर स्वतंत्र रूप से सटीक डेटा** उपलब्ध कराती है। यह डेटा **साक्ष्य-आधारित, समयबद्ध और प्रभावी कार्यों** के लिए महत्वपूर्ण होता है। इससे देश अपने असंतुलित आहार और कुपोषण को समाप्त करने के लिए अपनी वैश्विक प्रतिबद्धता तथा इस संदर्भ में अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं।

प्रमुख निष्कर्ष:

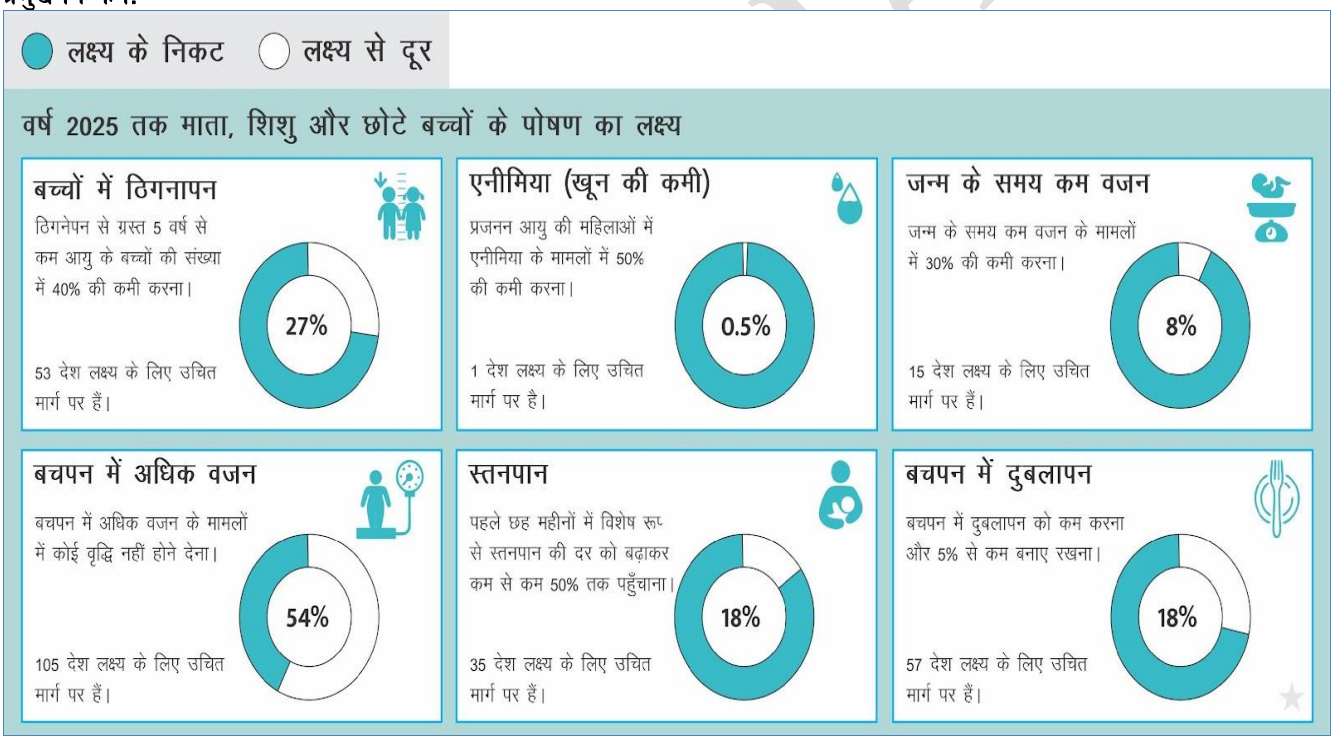

भारत से संबंधित निष्कर्ष:

- **वर्ष 2016 के बाद से रक्ताल्पता से पीड़ित भारतीय महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।**
- **भारत भी उन 23 देशों में शामिल है, जिन्होंने बाल दुबलेपन को कम करने की दिशा में कोई प्रगति नहीं की है** या जहाँ स्थिति और खराब हो रही है।
- **भारत उन 105 देशों में से एक है, जो शीघ्र ही बचपन में अतिवजन की समस्या को कम करने के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं।** इसके अतिरिक्त, उन 53 देशों में से भी एक है, जो जल्द ही ठिगनेपन के निवारण के लक्ष्य को प्राप्त करने वाले हैं।
- भारत में 'जन्म के समय कम वज़न की समस्या' के प्रसार पर **पर्याप्त डेटा उपलब्ध नहीं है।**

5.4. खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट (Global Report on Food Crises)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ़ूड क्राइसिस ने 'खाद्य संकट पर वैश्विक रिपोर्ट' जारी की है।

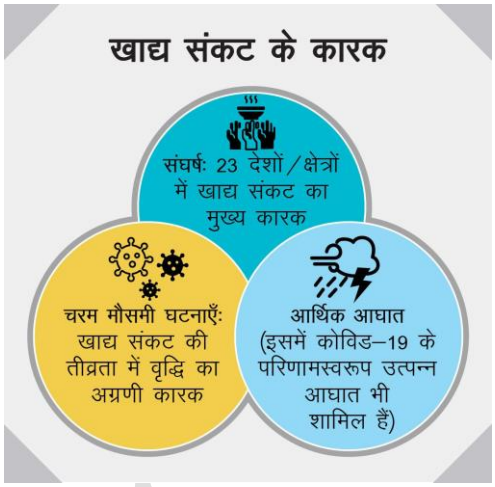

इस रिपोर्ट के बारे में

- यह रिपोर्ट **एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (Integrated Food Security Phase Classification: IPC) और कैडर हार्मोनाईज़ (Cadre Harmonise: CH) या तुलनीय स्रोतों के आधार पर देशों / राज्यक्षेत्रों में आबादियों के लिए खाद्य संकट का अनुमान** प्रदान करती है।
- यह रिपोर्ट **55 देशों** पर केंद्रित है, जो **97% मानवीय सहायता प्राप्त करते हैं।**

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- **बुर्किना फासो, साउथ सूडान** और **यमन** में लगभग **1.3 लाख लोग सर्वाधिक गंभीर खाद्य संकट (या विनाश)** की स्थिति में हैं। इन देशों में वृहद पैमाने पर मृत्युओं और आजीविकाओं की समग्र क्षति को रोकने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की आवश्यकता है।
  - **वर्ष 2021 के पूर्वानुमान** में यह आंकड़ा लगभग **1.5 लाख लोगों का है।**
- वर्ष 2020 में खाद्य संकट से प्रभावित 55 देशों में रहने वाले **5 वर्ष से कम आयु के 15.8 मिलियन से अधिक बच्चे दुबलेपन (wasting) से पीड़ित थे।**
  - **नाइजीरिया, इथियोपिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो और सूडान** दुबलेपन से प्रभावित एक तिहाई से अधिक बच्चों के लिए जिम्मेदार थे।
- **3X3 का क्या अर्थ है?**
  - **ग्लोबल नेटवर्क के भागीदार 3 स्तरों** (वैश्विक, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय) पर कार्य करते हैं।
  - **3 परस्पर जुड़े हुए आयाम हैं:** खाद्य संकट को समझना, खाद्य और पोषण सुरक्षा में रणनीतिक निवेश करना और भोजन से परे जाना।

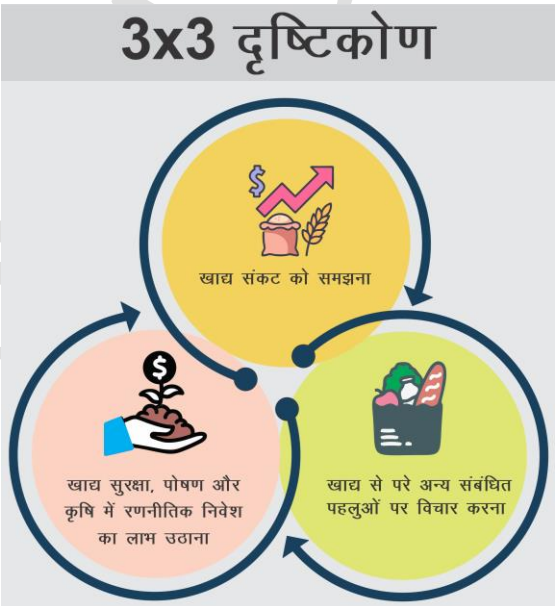

ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फ़ूड क्राइसिस

- इसकी स्थापना **यूरोपीय संघ, खाद्य और कृषि संगठन (FAO)[49] तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम (WFP)[50]** द्वारा **वर्ष 2016** में **विश्व मानवता शिखर सम्मेलन[51]** के दौरान की गई थी।
- **इसके निम्नलिखित प्रयोजन हैं:**
  - तीव्र भुखमरी से संबंधित सुभेद्यताओं को कम करना।
  - खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण की स्थिति प्राप्त करना।
  - '3x3 दृष्टिकोण' (इन्फोग्राफिक देखें) का उपयोग करके संधारणीय कृषि और खाद्य प्रणालियों को बढ़ावा देना।

एकीकृत खाद्य सुरक्षा चरण वर्गीकरण (IPC) के बारे में

- यह **खाद्य सुरक्षा और पोषण विश्लेषण** तथा निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में **सुधार के लिए नवोन्मेषों तथा अनेक भागीदारों को शामिल करने वाली पहल है।**
- इसे मूल रूप से **सोमालिया** में उपयोग करने के लिए FAO की खाद्य सुरक्षा और पोषण विश्लेषण इकाई द्वारा वर्ष 2004 में विकसित किया था।

कैडर हार्मोनाईज़ के बारे में

[49] Food and Agriculture Organization

[50] World Food Programme

[51] World Humanitarian Summit

- यह एक एकीकृत साधन है, जो **वर्तमान और अनुमानित खाद्य एवं पोषण स्थितियों का विश्लेषण** करने में मदद करता है।

5.5. 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2021' रिपोर्ट (Swachh Survekshan 2021 Report)

सुर्ख़ियों में क्यों?

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) ने 'स्वच्छ सर्वेक्षण 2021' रिपोर्ट जारी की है।

'स्वच्छ सर्वेक्षण 2021' रिपोर्ट के बारे में

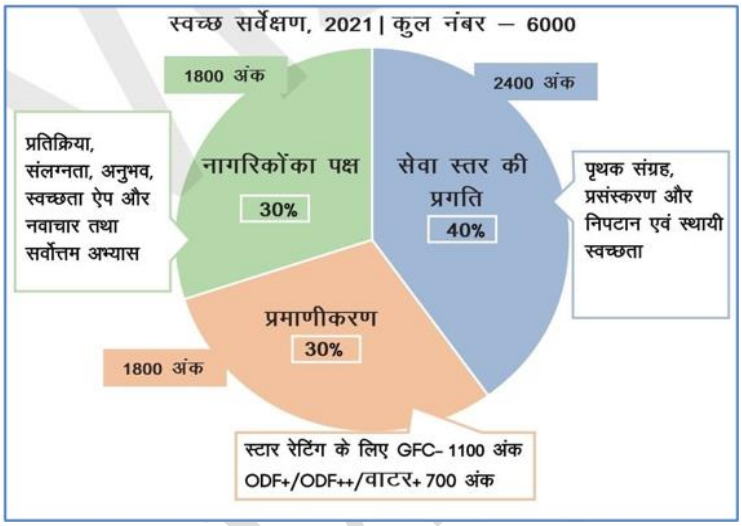

- स्वच्छ सर्वेक्षण (SS), स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (SBM-U) के तहत संपूर्ण भारत के **शहरों और कस्बों में साफ-सफाई, आरोग्यकारिता तथा स्वच्छता का एक वार्षिक सर्वेक्षण है।**
  - इसका संचालन **MoHUA द्वारा** किया जाता है। **भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI)**[52] इसका कार्यान्वयन भागीदार है।
  - सर्वेक्षण का उद्देश्य **व्यापक पैमाने पर नागरिक भागीदारी** को प्रोत्साहित करना तथा कचरा मुक्त शहर (garbage free city) और खुले में शौच मुक्त (ODF) शहर की दिशा में की गई **पहल की संधारणीयता सुनिश्चित करना है।**
  - ध्यातव्य है कि **प्रथम स्वच्छता सर्वेक्षण वर्ष 2016 में किया गया था।**
- 4,320 शहरों की भागीदारी के साथ, स्वच्छता सर्वेक्षण का **छठा संस्करण विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण** बन गया है।
  - इस सर्वेक्षण को तीन प्रमुख भागों में विभाजित किया गया था - (इन्फोग्राफिक देखें)
- **मुख्य निष्कर्ष:**
  - '1 लाख से अधिक आबादी' की श्रेणी में **इंदौर ने लगातार पांचवीं बार 'सबसे स्वच्छ शहर' की उपाधि प्राप्त की है।** इसके बाद **सूरत और विजयवाड़ा** ने '1 लाख से अधिक आबादी' की श्रेणी में क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर सफलता प्राप्त की है।
  - **वाराणसी 'सर्वश्रेष्ठ गंगा शहर'** के रूप में उभरा है, जबकि **अहमदाबाद छावनी ने 'भारत की सबसे स्वच्छ छावनी'** का खिताब प्राप्त किया है।
  - इसके अतिरिक्त, **स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत शुरू की गई एक नई प्रदर्शन श्रेणी 'प्रेरक दौर सम्मान'** के तहत पांच शहरों - इंदौर, सूरत, नवी मुंबई, नई दिल्ली नगर परिषद और तिरुपति को 'दिव्य' (प्लैटिनम) के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (Quality Council of India: QCI)

- यह **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय** द्वारा भारतीय उद्योग के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया गया एक **स्वायत्त निकाय है।** भारतीय उद्योग का प्रतिनिधित्व **तीन प्रमुख उद्योग संघों** अर्थात् एसोचैम (ASSOCHAM), भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) और फेडरेशन ऑफ़ इंडियन चैम्बर्स ऑफ़ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की/FICCI) द्वारा किया जाता है।
- इसका उद्देश्य **राष्ट्रीय प्रत्यायन संरचना** को स्थापित करना और संचालित करना तथा **राष्ट्रीय गुणवत्ता अभियान** के माध्यम से गुणवत्ता को बढ़ावा देना है।
- QCI गैर-लाभकारी सोसायटी के रूप में पंजीकृत है और **सरकार, उद्योग एवं उपभोक्ताओं के समान प्रतिनिधित्व** के साथ एक परिषद द्वारा शासित है।
- यह **उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** के प्रशासनिक नियंत्रण में है।
- **परिषद के अध्यक्ष को सरकार द्वारा भारतीय उद्योग की अनुशंसा पर प्रधान मंत्री द्वारा नियुक्त** किया जाता है।

[52] Quality Council of India

वाश (WASH)

- WASH **जल, सफाई एवं स्वच्छता[53] के लिए सामूहिक पद** है। इनकी एक दूसरे से संबद्ध होने की प्रकृति के कारण, इन तीन मुख्य मुद्दों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए, शौचालय के बिना, जल स्रोत दूषित हो जाते हैं; स्वच्छ जल के बिना बुनियादी स्वच्छता प्रथाएं संभव नहीं हैं।
  - विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO)/संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) ने **WASH रिपोर्ट** के लिए संयुक्त निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक है- **"घरेलू पेयजल, सफाई और स्वच्छता पर प्रगति 2000-2020' SDGs में पांच वर्ष।"** इस रिपोर्ट के अनुसार **वर्ष 2015 के बाद से खुले में शौच में सबसे बड़ी गिरावट के लिए भारत की भूमिका सराहनीय रही है।**

संबंधित सुर्ख़ियाँ

एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स: नीति आयोग

हाल ही में, **नीति आयोग** ने "सतत विकास लक्ष्य सूचकांक– एस.डी.जी. इंडिया इंडेक्स" का **तीसरा संस्करण** जारी किया। इस रिपोर्ट का शीर्षक था- **"भारत सतत विकास लक्ष्य सूचकांक और डैशबोर्ड– 2020-21: कार्रवाई के दशक में भागीदारियां"[54]।**

इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) में भारत का समग्र स्कोर **वर्ष 2019 के 60 से कुछ बढ़कर वर्ष 2021 में 66 हो गया है।** यह वृद्धि स्वच्छ जल और स्वच्छता (लक्ष्य 6), वहनीय एवं स्वच्छ ऊर्जा (लक्ष्य 7) सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने के प्रदर्शन में सुधार के कारण हुई है।
  - हालांकि, **उद्योग, नवाचार और अवसंरचना** के साथ-साथ **उत्तम कार्य और आर्थिक विकास के क्षेत्रों में बड़ी गिरावट आई है।**
- **केरल शीर्ष स्थान पर बरकरार है,** उसके पश्चात् हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। जबकि **बिहार सबसे नीचे है** उसके उपरांत झारखंड व असम का स्थान है।
- **संघ राज्यक्षेत्रों में चंडीगढ़ ने अपना शीर्ष स्थान बनाए रखा है** और उसके बाद दिल्ली का स्थान है।

[53] Water, Sanitation and Hygiene

[54] Sustainable Development Goals (SDG) India Index and Dashboard 2020–21: Partnerships in the Decade of Action

6. विविध (Miscellaneous)

6.1. जनसंख्या नियंत्रण नीति (Population Control Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, विश्व जनसंख्या दिवस (11 जुलाई) पर उत्तर प्रदेश सरकार ने **वर्ष 2021 से वर्ष 2030 की अवधि के लिए एक नई जनसंख्या नीति की घोषणा** की है। इस वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस-2021 का विषय (थीम) है- **'कोविड-19 महामारी का प्रजनन क्षमता पर प्रभाव'**[55]।

अन्य संबंधित तथ्य

- प्रस्तावित **उत्तर प्रदेश जनसंख्या (नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण) विधेयक, 2021** के अधिनियम बन जाने के उपरांत इसके प्रावधान **राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से एक वर्ष पश्चात् लागू होंगे।**
- यह **बढ़ती जनसंख्या के कारण संसाधनों पर पड़ रहे दबाव की ओर संकेत करते हुए** एक जनसंख्या नियंत्रण नीति की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
- **उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है।** इसकी जनसंख्या लगभग 220 मिलियन अर्थात् 22 करोड़ है।

सम्बंधित तथ्य

- **'नागरिक पंजीकरण प्रणाली (CRS)**[56] महत्वपूर्ण घटनाओं (जन्म, मृत्यु व मृत प्रसव) और उनकी विशेषताओं की निरंतर, स्थायी, अनिवार्य तथा सार्वभौमिक अभिलेखन (recording) की एकीकृत प्रक्रिया है।
  - **जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969** जन्म और मृत्यु के अनिवार्य पंजीकरण का प्रावधान करता है।
  - जन्म और मृत्यु का पंजीकरण उनके संपन्न होने के 21 दिनों के भीतर **उनके संपन्न होने वाले स्थान पर ही किया जाता है।**

जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

- भारत **विश्व का प्रथम देश** है, जिसने वर्ष **1952 में ही परिवार नियोजन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम** आरंभ किया था।
- **राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000** ने जनसंख्या स्थिरीकरण की समस्या के लिए एक केंद्रित दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है।
  - **राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन वर्ष 2000 में किया गया था।** इसका अध्यक्ष प्रधान मंत्री होता है। यह राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के कार्यान्वयन की समीक्षा, निगरानी और संबंधित निर्देश देने हेतु अधिदेशित है।
- **मिशन परिवार विकास** 7 उच्च प्राथमिकता वाले राज्यों के 146 उच्च जनन क्षमता वाले जिलों में गर्भ निरोधकों और परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच बढ़ाने के लिए आरंभ किया गया है।
- **विस्तारित गर्भनिरोधक विकल्प:** वर्तमान गर्भनिरोधक विकल्पों का विस्तार किया गया है। इनमें नए गर्भ निरोधकों अर्थात् इंजेक्शन योग्य गर्भनिरोधक (अंतरा कार्यक्रम) और सेंटक्रोमैन (छाया) को सम्मिलित किया गया है।
- **प्रसवोत्तर अंतर्गर्भाशयी गर्भनिरोधक उपकरण (PPIUCD) प्रोत्साहन योजना** आरंभ की गई है। इसके अंतर्गत PPIUCD सेवाएं प्रसव के उपरांत प्रदान की जाती हैं।
- **पुन: डिजाइन की गई गर्भनिरोधक पैकेजिंग:** कंडोम, मौखिक गर्भनिरोधक गोली (OCPs) और आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली (ECPs) की पैकेजिंग में अब सुधार किया गया है और इनकी मांग को बढ़ाने के लिए इन्हें पुनः डिजाइन किया गया है।
- **परिवार नियोजन मीडिया अभियान:** गर्भनिरोधकों की मांग सृजित करने के लिए एक समग्र मीडिया अभियान संचालित किया जा रहा है।
- पुरुष भागीदारी पर बल देने के लिए प्रत्येक वर्ष नवंबर में संपूर्ण देश में **पुरुष नसबंदी पखवाड़ा** मनाया जाता है।
- आशा (ASHA) कार्यकर्ताओं द्वारा लाभार्थियों के **घर-घर जाकर गर्भ निरोधकों की होम डिलीवरी की योजना** आरंभ की गई है।
- **फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक मैनेजमेंट इनफॉर्मेशन सिस्टम (FP-LMIS)** परिवार नियोजन से जुड़े घटकों की अंतिम छोर तक उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वित किया जा रहा है।

6.2. राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक (National Multidimensional Poverty Index: NMPI)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में, **नीति आयोग** द्वारा भारत का पहला NMPI जारी किया गया।

[55] the impact of the Covid-19 pandemic on fertility

[56] Civil Registration System

- **MPI रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष:**
  - **बिहार में सर्वाधिक 51.91% आबादी निर्धन है।** इसके पश्चात् **झारखंड** (42.16%) व **उत्तर प्रदेश** (37.79%) का स्थान है।
  - **केरल में सबसे कम आबादी (0.71%) निर्धन है।** इसके बाद **पुडुचेरी** (1.72%) का स्थान है।
  - **37.6% भारतीय परिवार स्वस्थ पोषण स्तर से वंचित हैं।**
  - **कम से कम 13.9% परिवारों में** 10 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने छह वर्ष की स्कूली शिक्षा भी पूरी नहीं की है।
  - **स्वच्छता की दृष्टि से कम से कम 52% परिवारों में सुधार नहीं हुआ है** या उनके पास कोई स्वच्छता सुविधा नहीं है **या वे अपने संसाधनों को अन्य परिवारों के साथ साझा कर रहे हैं।**
- **NMPI के बारे में:**
  - यह **संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव (OPHI) द्वारा शुरू किए गए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक** (GMPI)[57] का अनुसरण करता है।
    - GMPI ने पहले **भारत को 109 देशों में 62वें स्थान पर रखा था।** इसमें यह दर्शाया गया था कि **भारत की 27.9% आबादी बहुआयामी रूप से निर्धनता से ग्रस्त है।**
  - **NMPI** वर्ष 2015-16 के **राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिवार सर्वेक्षण (NHFS) पर आधारित है।**
  - यह **तीन आयामों और 12 खंडों पर आधारित है** (इन्फोग्राफिक देखें)।
- **NMPI का महत्व:**
  - यह परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले विभिन्न और एक साथ प्रभावी वंचनाओं को रेखांकित करता है।
  - सूचित साक्ष्य-आधारित और केंद्रित हस्तक्षेपों के लिए एक सार्वजनिक नीतिगत प्रणाली स्थापित करने में योगदान करता है।

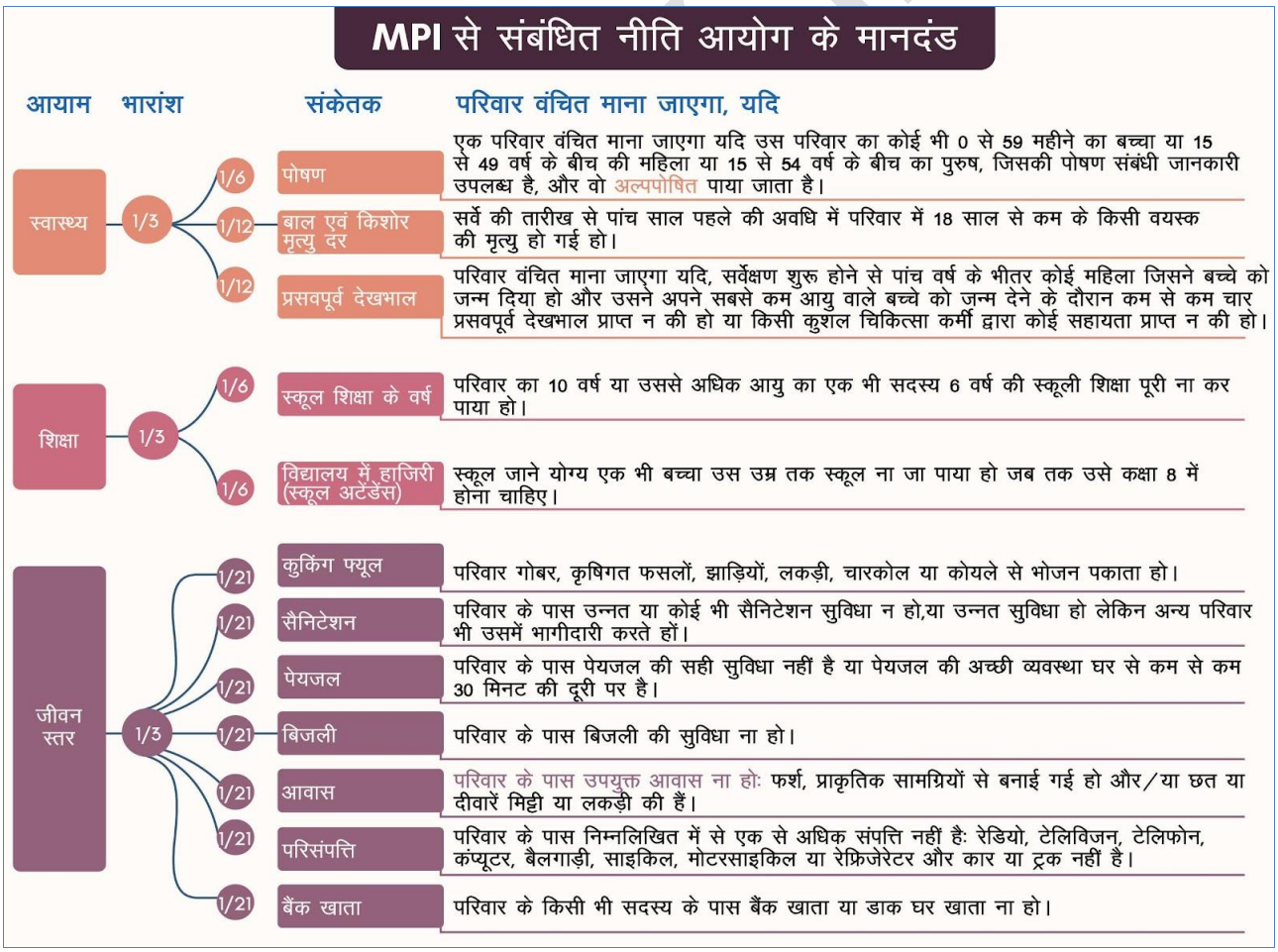

[57] Global Multidimensional Poverty Index

7. परिशिष्ट: नई शिक्षा नीति, 2020 के प्रावधान (Provisions of National Education Policy, 2020)

7.1. विद्यालयी शिक्षा (School Education)

आयाम	प्रावधान
प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा (Early Childhood Care and Education: ECCE)	• **3-6 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की सार्वभौमिक उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ECCE, आंगनवाड़ियों और प्री-स्कूलों के माध्यम से प्रदान की जाएगी।** • राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT), 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए **प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यक्रम एवं शैक्षणिक ढांचा** (NCPFECCE)[58] विकसित करेगी।
बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति {Attainment of Foundational Literacy and Numeracy (FLN)}	• **बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन (शिक्षा मंत्रालय द्वारा):** इसके तहत, राज्य / संघ राज्यक्षेत्र द्वारा वर्ष 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा तीन तक के सभी विद्यार्थियों (learners) को **सार्वभौमिक आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्रदान** करने के लिए एक कार्यान्वयन योजना तैयार की जाएगी। • सभी भौगोलिक क्षेत्रों, भाषाओं, शैक्षणिक स्तरों पर और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुँच, गुणवत्ता और पाठकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एक **राष्ट्रीय पुस्तक संवर्धन नीति** को भी तैयार किया जाएगा। • बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान के विषय पर उच्च गुणवत्तापूर्ण संसाधनों के राष्ट्रीय निक्षेपागार को **"दीक्षा" {ज्ञान साझा करने हेतु डिजिटल अवसंरचना (DIKSHA)[59]** पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।
सभी स्तरों पर विद्यालयी शिक्षा के दौरान विद्यालय छोड़ने (ड्रॉपआउट) की दरों को कम करना तथा विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना (Curtailing Dropout Rates and Ensuring Universal Access to Education at All Level)	इस नीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक **प्री-स्कूल से लेकर माध्यमिक स्तर तक 100% सकल नामांकन अनुपात (GER)[60]** प्राप्त करना है। यह उपलब्धि अर्जित करने के लिए निम्नलिखित पहलें कार्यान्वित की गई हैं: • **प्रभावी तथा पर्याप्त अवसंरचना प्रदान करना,** ताकि सभी विद्यार्थियों को सुरक्षित और मनोनुकूल विद्यालयी शिक्षा तक पहुंच प्राप्त हो सके। • राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान (NIOS) और राज्य मुक्त विद्यालयों द्वारा प्रस्तुत **मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा (ODL)[61]** कार्यक्रम को, **सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों** पर विशेष बल देते हुए विस्तारित किया जाएगा और उसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। • **परामर्शदाताओं या भलीभांति प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ताओं के माध्यम से छात्रों** तथा साथ ही साथ उनकी शिक्षा के स्तर की निगरानी की जाएगी।
पाठ्यक्रम और शिक्षाशास्त्र (Curriculum and Pedagogy)	• **विभिन्न प्रकार के विषय संयोजन के चयन की स्वतंत्रता:** कला, मानविकी एवं विज्ञान के मध्य; पाठ्यक्रम, पाठ्येतर व सह-पाठ्यक्रम के बीच; तथा व्यावसायिक और शैक्षणिक विषयों के मध्य कठोर रूप में कोई भिन्नता नहीं होगी। • कृत्रिम बुद्धिमत्ता (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस), डिज़ाइन थिंकिंग, समग्र स्वास्थ्य, ऑर्गेनिक लिविंग (स्वस्थ जीवन शैली अर्थात कीटनाशकों व उर्वरकों के प्रयोग से विहीन खाद्य सामग्री का उपयोग करना), पर्यावरण शिक्षा, वैश्विक नागरिकता शिक्षा (GCED)[62] आदि **जैसे समकालीन विषयों का आरंभ किया जाएगा।** • कक्षा 6-8 के दौरान कुछ समय के लिए 10 दिन की बैग-विहीन अवधि के माध्यम से **व्यावसायिक शिक्षा,** जहां विद्यार्थी बढ़ई, माली, कुम्हार, कलाकार आदि जैसे **स्थानीय व्यावसायिक विशेषज्ञों** से कुछ कौशल

[58] National Curricular and Pedagogical Framework for Early Childhood Care and Education

[59] Digital Infrastructure for Knowledge Sharing

[60] Gross Enrolment Ratio

[61] Open and Distance Learning

[62] Global Citizenship Education

	अर्जित करेंगे। 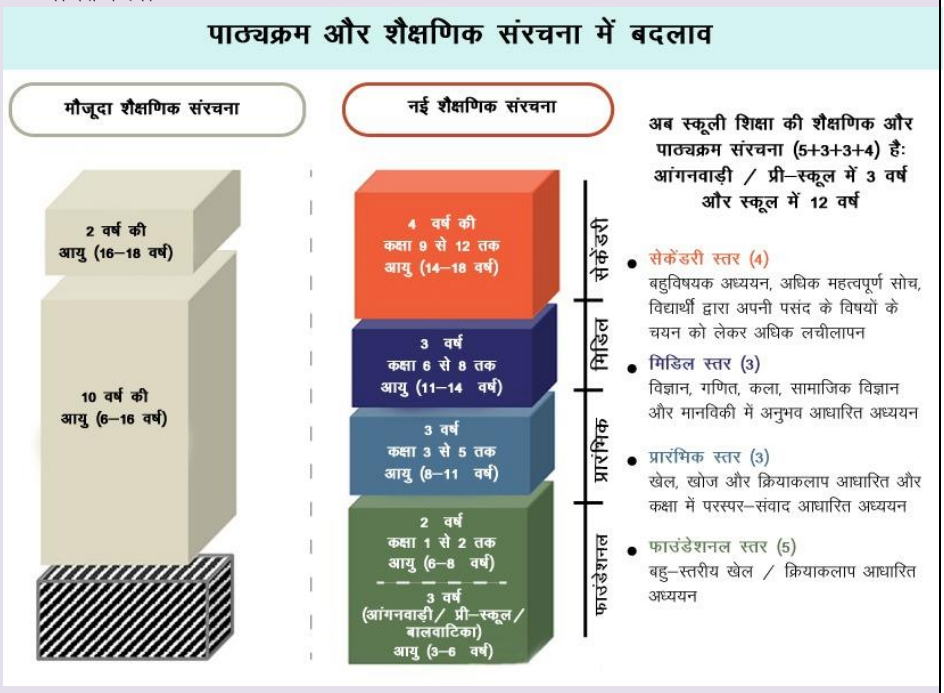 • **NCERT द्वारा विद्यालयी शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा** विकसित की जाएगी।
छात्र आकलन (Student Assessment)	• **कक्षा 3, 5 और 8 की विद्यालयी परीक्षाओं** को उचित प्राधिकरणों द्वारा आयोजित किया जाएगा। • **कक्षा 10 और 12 के लिए बोर्ड परीक्षा जारी रखी जाएंगी,** परंतु समग्र विकास करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए इसे नया स्वरूप प्रदान किया जाएगा। • **राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख {समग्र विकास के लिए प्रदर्शन आकलन, समीक्षा और ज्ञान का विश्लेषण (PARAKH)**[63], को मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत मानकों का निर्धारण करने वाले एक निकाय के रूप में स्थापित किया जाएगा। • सभी पहलुओं को समाविष्ट करने वाली (360 डिग्री) एक बहुआयामी रिपोर्ट के साथ **समग्र विकास कार्ड,** जो प्रगति के साथ-साथ संज्ञानात्मक, भावात्मक और मन:प्रेरक (साइकोमोटर) प्रक्षेत्र में प्रत्येक शिक्षार्थी की विशिष्टता को दर्शाता हो। इसमें स्व-आकलन, साथियों के द्वारा आकलन और शिक्षक आकलन भी सम्मिलित होंगे। • **राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA)**[64] पूर्वस्नातक और स्नातक प्रवेशों के लिए प्रवेश परीक्षाओं का संचालन करने और उच्चतर शिक्षण संस्थानों में फेलोशिप के लिए स्वायत्त परीक्षण संगठन के रूप में कार्य करेगी।
बहुभाषावाद (Multilingualism)	• कक्षा 5 तक और अधिमानतः कक्षा 8 व उससे आगे तक **शिक्षा का माध्यम, क्षेत्रीय भाषा/मातृभाषा/स्थानीय भाषा होगी।** • विद्यार्थियों को **'एक भारत श्रेष्ठ भारत'** पहल के तहत **'भारत की भाषाओं'** पर एक आनंददायक परियोजना/गतिविधि में भाग लेना होगा। • **त्रि-भाषा सूत्र का अधिक नम्यता के साथ कार्यान्वयन।** • **सभी शास्त्रीय भाषाएँ** (संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और ओडिया) स्कूलों में विकल्प के रूप में व्यापक रूप से उपलब्ध होंगी। इसके अतिरिक्त, पाली, फारसी और प्राकृत भी व्यापक रूप से विकल्प के रूप में उपलब्ध होंगी। • **भारतीय सांकेतिक भाषा (ISL)**[65] को संपूर्ण देश में **मानकीकृत किया जाएगा।**
समान और समावेशी शिक्षा - सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों	• **निम्नलिखित की स्थापना करना:** ○ महिला और ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए **जेंडर समावेशन कोष।**

[63] Performance Assessment, Review, and Analysis of Knowledge for Holistic Development

[64] National Testing Agency

[65] Indian Sign League

 © Vision IAS

के लिए प्रावधान (Equitable and Inclusive Education-Provisions for Socio-Economically Disadvantaged groups: SEDGs)	○ **विशेष शिक्षा क्षेत्र** (SEZs)[66]- सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों की (SEDGs) बड़ी आबादियों वाले अंचलों को विशेष शिक्षा क्षेत्र (SEZs) घोषित किया जाएगा। • **दिव्यांग बच्चों** को बुनियादी चरण से उच्चतर शिक्षा तक नियमित विद्यालयी शिक्षा प्रक्रिया में पूर्णतया भाग लेने के लिए सक्षम किया जाएगा। • प्रत्येक राज्य / जिले को कला, करियर और खेल से संबंधित गतिविधियों में भाग लेने के लिए **विशेष दिवसकालीन बोर्डिंग स्कूल** के रूप में, **"बाल भवन"** स्थापित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाएगा। • सामाजिक, बौद्धिक और स्वैच्छिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विद्यालय की निःशुल्क अवसंरचना का **सामाजिक चेतना केंद्रों** के रूप में उपयोग किया जा सकेगा। • गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए **जनजातीय समूहों से संबंधित बच्चों के लिए विशेष तंत्र।** • **सामाजिक-आर्थिक रूप से वंचित समूहों (SEDGs)** के मेधावी छात्रों के लिए **शुल्क छूट और छात्रवृत्ति** प्रदान की जाएगी। • **अतिरिक्त विद्यालय- आकांक्षी जिलों/ विशेष शिक्षा क्षेत्रों** (SEZs) में अतिरिक्त जवाहर नवोदय विद्यालयों (JNVs) तथा केंद्रीय विद्यालयों (KVs) की स्थापना की जाएगी।
प्रभावकारी शिक्षक शिक्षा और भर्ती (Robust Teacher Education and Recruitment)	• वर्ष 2021 तक **शिक्षक शिक्षा के लिए नवीन एवं व्यापक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा तैयार की जाएगी।** • वर्ष 2030 तक, अध्यापन के लिए न्यूनतम डिग्री पात्रता **4 वर्षीय एकीकृत बीएड** डिग्री होगी। • बीएड में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। • उत्कृष्ट वरिष्ठ/सेवानिवृत्त संकाय के एक वृहद समूह से **'राष्ट्रीय परामर्श (मेंटरिंग) मिशन'** की स्थापना की जाएगी। • सार्वजनिक एवं निजी दोनों प्रकार के विद्यालयों में मौलिक, प्रारंभिक, मध्य और माध्यमिक चरण में **सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (TETs) अनिवार्य होगी।** • कक्षा शिक्षण में शिक्षाशास्त्र के पहलुओं के चयन **हेतु शिक्षकों को** अधिक **स्वायत्तता प्रदान की जाएगी।** • राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) द्वारा वर्ष 2022 तक **शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक (NPST)[67] विकसित किए जाएंगे।** • **राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) का पुनर्गठन:** NCTE को सामान्य शिक्षा परिषद (GEC) के अंतर्गत एक व्यावसायिक मानक निर्धारण निकाय के रूप में पुनर्गठित किया जाना है।
विद्यालयी प्रशासन (School Governance)	• देश भर में एक **पब्लिक स्कूल का एक निजी स्कूल के साथ युग्मन/जोड़ा बनाने की प्रक्रिया** अपनाई जाएगी, ताकि युग्मित स्कूल एक दूसरे से सीख सकें और यदि संभव हो तो संसाधनों को भी साझा कर सकें।
स्कूली शिक्षा के लिए मानक- निर्धारण और प्रत्यायन (Standard-setting and Accreditation for School Education)	• राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा **स्वतंत्र राज्य स्कूल मानक प्राधिकरण (SSSA) की स्थापना की जाएगी।** • राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (SCERT) द्वारा **स्कूल गुणवत्ता आकलन और प्रत्यायन संरचना (SQAAF)[68] विकसित की जाएगी।** • **सरकारी और निजी स्कूलों** (केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित/सहायता प्राप्त/नियंत्रित विद्यालयों को छोड़कर) **का आकलन करने और मान्यता प्रदान करने के लिए एक ही मापदंड का उपयोग किया जाएगा।** • **समग्र प्रणाली की आवधिक 'स्वास्थ्य जांच'** के लिए प्रस्तावित, नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र, परख (PARAKH) द्वारा, छात्रों के अधिगम स्तरों का एक प्रतिदर्श आधारित **राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण** संपन्न किया जाएगा।

7.2. उच्चतर शिक्षा (Higher Education)

संस्थागत पुनर्गठन एवं समेकन (Institutional	• सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों को तीन प्रकार के संस्थानों में समेकित किया जाएगा, यथा- ○ **अनुसंधान विश्वविद्यालय:** अनुसंधान एवं शिक्षण पर समान ध्यान दिया जाएगा;

[66] Special Education Zones

[67] National Profession Standards for Teachers

[68] School Quality Assessment and Accreditation Form

Restructuring & Consolidation)	○ **शिक्षण विश्वविद्यालय:** अनुसंधान पर महत्वपूर्ण ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षण पर प्राथमिक ध्यान दिया जाएगा तथा ○ **स्वायत्त डिग्री प्रदान करने वाले महाविद्यालय:** लगभग संपूर्ण ध्यान शिक्षण पर केंद्रित होगा। • महाविद्यालयों की संबद्धता को 15 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा तथा महाविद्यालयों को **क्रमिक स्वायत्तता** प्रदान करने के लिए एक चरणवार तंत्र स्थापित किया जाएगा। • यह परिकल्पना की गई है कि एक निर्धारित अवधि में, **प्रत्येक महाविद्यालय**, एक स्वायत्त डिग्री देने वाले महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के एक घटक महाविद्यालय के रूप में विकसित होगा। • वर्ष 2030 तक, प्रत्येक जिले में या उसके आसपास कम से कम **एक वृहद बहु-विषयक HEI स्थापित होगा।** • **वर्ष 2040** तक, सभी उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs)[69] का उद्देश्य बहु-विषयक संस्थान बनना होगा। • इसका उद्देश्य व्यावसायिक शिक्षा सहित उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (GER) को **26.3% (2018) से बढ़ाकर वर्ष 2035 तक 50% करना है।**
समग्र बहुविषयक शिक्षा (Holistic Multidisciplinary Education)	• नीति में **लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण तथा उपयुक्त प्रमाणन के साथ कई प्रवेश व निकास बिंदुओं** के साथ व्यापक, बहुविषयक, समग्र अवर स्नातक शिक्षा की परिकल्पना की गई है। • विभिन्न HEIs से अर्जित **शैक्षिक क्रेडिट्स को डिजिटल रूप से संग्रहीत करने के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ़ क्रेडिट (ABC)** की स्थापना की जाएगी, ताकि इन्हें प्राप्त अंतिम डिग्री में अंतरित किया जा सके एवं उनकी गणना की जा सके। • देश में वैश्विक मानकों के सर्वश्रेष्ठ बहुविषयक शिक्षा के प्रतिमानों के रूप में आईआईटी, आईआईएम के समकक्ष **बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय (मेरु/MERU) स्थापित किए जाएंगे।** • संपूर्ण उच्च शिक्षा में एक सुदृढ़ अनुसंधान संस्कृति तथा अनुसंधान क्षमता को बढ़ावा देने के लिए एक **शीर्ष निकाय** के रूप में **राष्ट्रीय अनुसंधान फ़ाउंडेशन** का सृजन किया जाएगा।
विनियमन (Regulation)	• **सार्वजनिक एवं निजी उच्चतर शिक्षा संस्थान,** विनियमन, प्रत्यायन व अकादमिक मानकों के लिए **समान मानदंडों द्वारा ही शासित होंगे।** • चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा के अतिरिक्त, शेष **उच्चतर शिक्षा के लिए एकल अति महत्वपूर्ण सर्वसमावेशी निकाय के रूप में भारतीय उच्चतर शिक्षा आयोग (HECI)[70] की स्थापना की जाएगी। HECI के चार स्वतंत्र स्तर होंगे** (इन्फोग्राफिक देखें)
उच्चतर शिक्षण संस्थानों (HEIs) का अंतर्राष्ट्रीयकरण (Internationalization of HEIs)	• **अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रासंगिक पाठ्यक्रम**, सामाजिक संलग्नता हेतु सार्थक अवसर, गुणवत्तापूर्ण आवासीय सुविधाएं एवं संस्थान में कहीं भी सहायता प्रदान करना आदि। • **प्रत्येक HEI में,** विदेश से आने वाले छात्रों का स्वागत व उनकी सहायता से संबंधित सभी मामलों का समन्वय करने के लिए विदेशी छात्रों की मेजबानी करने वाला **एक अंतर्राष्ट्रीय छात्र कार्यालय** स्थापित किया जाएगा। • **उच्च प्रदर्शन करने वाले भारतीय विश्वविद्यालयों को अन्य देशों में परिसर स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा** तथा इसी प्रकार, विश्व के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में से चयनित विश्वविद्यालयों को भारत में परिचालन की सुविधा प्रदान की जाएगी। • **इस प्रकार की प्रविष्टि को सुविधाजनक बनाने वाला एक विधायी ढांचा** तैयार किया जाएगा तथा ऐसे विश्वविद्यालयों के लिए भारत के अन्य स्वायत्त संस्थानों के समतुल्य विनियामकीय, अभिशासनात्मक व सामग्री मानदंडों के संदर्भ में **विशेष व्यवस्था** की जाएगी।

[69] Higher Education Institutions

[70] Higher Education Council of India

 © Vision IAS

	• भारतीय संस्थानों एवं वैश्विक संस्थानों के मध्य **अनुसंधान सहयोग व छात्र विनिमय** को बढ़ावा दिया जाएगा। • प्रत्येक HEI की आवश्यकताओं के अनुसार, जहां उपयुक्त होगा, **विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त क्रेडिट** को भी डिग्री प्रदान करते समय सम्मिलित किया (गिना) जाएगा।
समानता और समावेशन (Equity and Inclusion)	**सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम** • सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से वंचित समूहों (SEDGs)[71] की शिक्षा के लिए **उपयुक्त सरकारी निधि** निर्धारित की जाएगी। • SEDGs के लिए उच्च सकल नामांकन अनुपात (GER) हेतु स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित किए जाएंगे। • HEIs में प्रवेश में छात्र-छात्रा संतुलन में वृद्धि की जाएगी। • आकांक्षी जिलों तथा SEDGs की बड़ी आबादी वाले विशेष शिक्षा क्षेत्रों (SEZs) में उच्च गुणवत्ता वाले अतिरिक्त HEIs की स्थापना करके पहुंच बढ़ाई जाएगी। **सभी HEIs द्वारा किए जाने वाले उपाए** • उच्च शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए अवसर लागत एवं शुल्क को कम करना। • SEDGs को अधिक वित्तीय सहायता व छात्रवृत्ति प्रदान करना। • पाठ्यक्रम को अधिक समावेशी बनाना। • लैंगिक-पहचान के मुद्दे पर संकाय, परामर्शदाता एवं छात्रों की संवेदनशीलता (जागरूकता) सुनिश्चित करना। • सभी गैर-भेदभाव व उत्पीड़न-विरोधी नियमों को सख्ती से लागू करना।

7.3. अन्य प्रमुख प्रावधान (Other Major Provisions)

शिक्षा का वित्तपोषण (Financing Education)	• शिक्षा क्षेत्रक में **सार्वजनिक निवेश को बढ़ाकर उसे सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक** करने के लिए केंद्र व राज्य मिलकर कार्य करेंगे। • नवीन शिक्षा नीति **शिक्षा क्षेत्रक में निजी परोपकारी गतिविधियों को प्रोत्साहन व सहयोग** प्रदान करने का आह्वान करती है।
शिक्षा में प्रौद्योगिकी (Technology in education)	• कक्षा प्रक्रियाओं में सुधार करने, पेशेवर शिक्षकों के विकास को समर्थन प्रदान करने तथा वंचित समूहों की शैक्षिक पहुंच बढ़ाने के लिए **शिक्षा के सभी स्तरों में प्रौद्योगिकी का उपयुक्त एकीकरण** किया जाएगा।
प्रौढ़ शिक्षा (Adult Education)	• नीति का लक्ष्य **वर्ष 2030 तक 100% युवा एवं प्रौढ़ साक्षरता** प्राप्त करना है। • **कक्षाओं के समाप्त हो जाने के पश्चात विद्यालयों/ विद्यालय परिसरों** तथा सार्वजनिक पुस्तकालयों का प्रौढ़ शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाएगा। • प्रौढ़ शिक्षा के लिए **गुणवत्तायुक्त प्रौद्योगिकी-आधारित विकल्प** जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम, उपग्रह-आधारित टीवी चैनल तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (ICT) से सुसज्जित पुस्तकालय और प्रौढ़ शिक्षा केंद्र आदि विकसित किए जाएंगे।
ऑनलाइन शिक्षा एवं डिजिटल शिक्षा (Online Education and Digital Education)	• जब कभी और जहां भी पारंपरिक एवं व्यक्तिगत शिक्षा प्राप्त करने के साधन उपलब्ध होना संभव नहीं हो, वहां गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के वैकल्पिक साधनों के साथ-साथ, ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने की **विस्तारपूर्वक अनुशंसाएं** की गई हैं। • डिजिटल अवसंरचना, **डिजिटल सामग्री एवं क्षमता निर्माण के समन्वय के प्रयोजनार्थ** विद्यालय व उच्च शिक्षा, दोनों के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय (अब शिक्षा मंत्रालय) में एक **समर्पित इकाई** का गठन किया जाएगा।
व्यावसायिक शिक्षा (Professional Education)	• सभी व्यावसायिक शिक्षाएं उच्च शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग होगी। • स्वचालित तकनीकी विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, कानूनी व कृषि विश्वविद्यालय आदि बहु-विषयक संस्थान बनने का लक्ष्य निर्धारित करेंगे।
भारतीय भाषाओं, कलाओं व संस्कृति को प्रोत्साहन	• भारतीय भाषाओं, तुलनात्मक साहित्य, रचनात्मक लेखन, कला, संगीत, दर्शन आदि में **सशक्त विभाग गठित किए जाएंगे एवं कार्यक्रम आरंभ** किए जाएंगे तथा इन्हें देश भर में विकसित किया जाएगा। साथ ही, इन

[71] Socio Economically Disadvantaged Groups

(Promotion of Indian Languages, Arts, and Culture)	विषयों में 4-वर्षीय बीएड की दोहरी डिग्री सहित अन्य डिग्रियां भी विकसित की जाएंगी। • स्थानीय संगीत, कला, भाषाओं एवं हस्तकला को प्रोत्साहित करने तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कि छात्र जहां अध्ययन करते हैं, वे वहां की संस्कृति व स्थानीय ज्ञान से अवगत हों, **उत्कृष्ट स्तर के स्थानीय कलाकारों व शिल्पकारों** को **अतिथि संकाय** के रूप में नियुक्त किया जाएगा। • प्रत्येक उच्चतर शिक्षण संस्थान एवं यहां तक कि प्रत्येक विद्यालय या विद्यालय परिसर में छात्रों को कला, रचनात्मकता व क्षेत्र / देश के समृद्ध कोष से परिचित कराने के लिए **कलाकारों के नियोजन {Artist(s)-in-Residence} की पृथक व्यवस्था करनी होगी।** • अनुवाद एवं व्याख्या, कला व संग्रहालय प्रशासन, पुरातत्व आदि में **उच्च गुणवत्तायुक्त पाठ्यक्रम तथा डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे।** • **भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित प्रत्येक भाषा** के संदर्भ में नवीनतम अवधारणाओं के लिए सरल परंतु सटीक शब्दावली का निर्धारण करने तथा नियमित आधार पर शब्दकोशों को जारी करने के लिए विद्वानों व देशी वक्ताओं को नियोजित करते हुए अकादमियों की स्थापना की जाएगी।

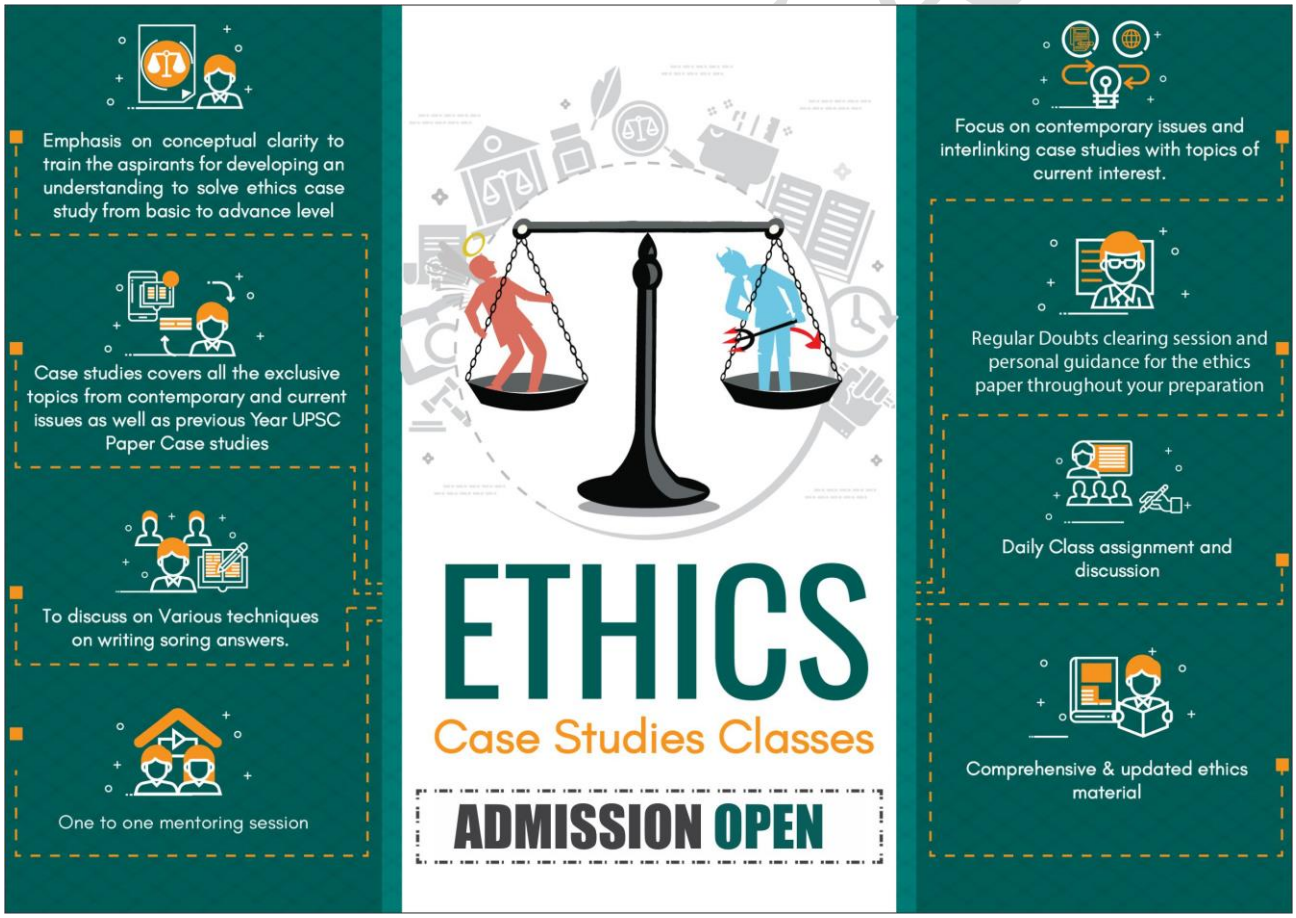

Copyright © by Vision IAS
All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

सभी सफल अभ्यर्थियों को हार्दिक बधाई

2020 सिविल सेवा परीक्षा में शीर्ष 10 में से 10 चयन

VISIONIAS के विभिन्न कार्यक्रमों से

1 AIR SHUBHAM KUMAR
2 AIR JAGRATI AWASTHI
3 AIR ANKITA JAIN
4 AIR YASH JALUKA
5 AIR MAMTA YADAV
6 AIR MEERA K
7 AIR PRAVEEN KUMAR
8 AIR JIVANI KARTIK NAGJIBHAI
9 AIR APALA MISHRA
10 AIR SATYAM GANDHI

ABHYAAS 2022

ALL INDIA PRELIMS
(GS + CSAT)
MOCK TEST SERIES

3 TEST

TEST-1	TEST-2	TEST-3
17 APRIL	1 MAY	15 MAY

- All India Ranking
- Comprehensive Evaluation, Feedback & Corrective Measures
- Available In ENGLISH / हिन्दी

Register @ www.visionias.in/abhyaas

OFFLINE IN 100+ CITIES

AGARTALA | AGRA | AHMEDABAD | AIZAWL | AJMER | ALIGARH | ALMORA | ALWAR | AMRAVATI | AMRITSAR | ANANTHAPURU | AURANGABAD | BAREILLY BENGALURU | BHAGALPUR | BHOPAL | BHUBANESWAR | BIKANER | BILASPUR | CHANDIGARH | CHENNAI | CHHATARPUR | COIMBATORE | CUTTACK | DEHRADUN DELHI MUKHERJEE NAGAR | DELHI RAJENDRA NAGAR | DHANBAD | DHARWAR | DIBRUGARH | FARIDABAD | GANGTOK | GAYA | GHAZIABAD | GORAKHPUR GREATER NOIDA | GUNTUR | GURGAON | GUWAHATI | GWALIOR | HALDWANI | HARIDWAR | HAZARIBAGH | HISAR | HYDERABAD | IMPHAL | INDORE | ITANAGAR JABALPUR | JAIPUR | JAMMU | JAMSHEDPUR | JHANSI | JODHPUR | JORHAT | KANPUR | KOCHI | KOHIMA | KOLKATA | KOTA | KOZHIKODE (CALICUT) | KURNOOL KURUKSHETRA | LUCKNOW | LUDHIANA | MADURAI | MANGALURU | MATHURA | MEERUT | MORADABAD | MUMBAI | MUZAFFARPUR | MYSURU | NAGPUR | NASIK NAVI MUMBAI | NOIDA | ORAI | PANAJI (GOA) | PANIPAT | PATIALA | PATNA | PRAYAGRAJ (ALLAHABAD) | PUNE | RAIPUR | RAJKOT | RANCHI | ROHTAK | ROORKEE SAMBALPUR | SHILLONG | SHIMLA | SILIGURI | SONIPAT | SRINAGAR | SURAT | THANE | THIRUVANANTHAPURAM | TIRUCHIRAPALLI | UDAIPUR | VADODARA VARANASI | VIJAYAWADA | VISHAKHAPATNAM | WARANGAL

8468022022 WWW.VISIONIAS.IN

DELHI | JAIPUR | PUNE | AHMEDABAD | HYDERABAD | CHANDIGARH | LUCKNOW | GUWAHATI